[2020] 12 एस. सी. आर 1

भारत सरकार

वी.

1. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड)

2. रवा ऑयल (सिंगापुर) पीटीई। लिमिटेड।

3. वीडियो उद्योग सीमित

(2020 की सिविल अपील संख्या 3185)

16 सितंबर, 2020

[एस. अब्दुल नजीर, इंदु मल्होत्रा और

अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 47 और 49 विदेशी पुरस्कार-विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन/निष्पादन याचिका दायर करने की सीमा-आयोजित: विदेशी पुरस्कार यू/एस के प्रवर्तन के लिए याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि। 47 और 49, कला द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। 137 सीमा अधिनियम, जो आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने से तीन साल की अवधि निर्धारित करता है -सीमा अधिनियम, 1963-कला। 137 .

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 44 , 46 , 47 और 48-न्यूयॉर्क कन्वेंशन के प्रवर्तन के लिए अधिनियम की योजनाप्रवर्तन अदालत को निर्णय में त्रुटियों को सुधारना नहीं है धारा. 48, या पुरस्कार के गुण-दोष पर समीक्षा करना, लेकिन प्रवर्तन को "अस्वीकार" करने की सीमित शक्ति से सम्मानित किया जाता है, यदि आधार बनाए जाते हैं-यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदन यू / धारा 48 योग्यता के बिना है, और विदेशी पुरस्कार लागू करने योग्य पाया जाता है, तो यू / एस. 49, पुरस्कार को "उस न्यायालय" की डिक्री माना जाएगा, कानूनी कल्पना का सीमित उद्देश्य विदेशी अधिनियम को लागू करना है।पुरस्कार-विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर न्यूयॉर्क सम्मेलन, 1958-कला। IV और V.मध्यस्थता-विदेशी पुरस्कार-विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए सीमा-लेक्स फोरी-आयोजित: का मुद्दाप्रक्रियात्मक होने के कारण विदेशी पुरस्कारों को लागू करने की सीमाप्रकृति, लेक्स फोरम यानी उस फोरम (राज्य) के कानून के अधीन है जहां विदेशी पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है।

मध्यस्थता-मध्यस्थता पुरस्कार-विदेशी पुरस्कार-भारत में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन/निष्पादन याचिका दायर करने के लिए सीमा अवधि-आयोजित: भारतीय कानून द्वारा शासित होगा-भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 किसी भी अवधि को निर्दिष्ट नहीं करता है।विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए आवेदन दायर करने की सीमा - धारा 43 तथापि यह उपबंध करती है कि

सीमा अधिनियम, 1963 मध्यस्थताओं पर लागू होगा, जैसा कि यह न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की कार्यवाहियों पर लागू होता है - धारा 43-सीमा अधिनियम, 1963।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 36 मध्यस्थता कार्यवाही में पुरस्कार-घरेलू पुरस्कार-सांविधिक कल्पना बनाई गईयू / एस. 36 न्यायालय की डिक्री के रूप में 'घरेलू पुरस्कार' के प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए-आयोजितः काल्पनिक मान कर, एक घरेलू पुरस्कार को अदालत का एक डिक्री माना जाता है, भले ही यह एक दीवानी अदालत द्वारा पारित डिक्री नहीं है। काल्पनिक मान कर पुरस्कार को अदालत के डिक्री के रूप में मानने के लिए प्रतिबंधित है।निष्पादन, भले ही यह वास्तव में, एक मध्यस्थ कार्यवाही में केवल एक पुरस्कार है।मध्यस्थता-विदेशी पुरस्कार-आयोजितः विदेशी पुरस्कार भारतीय दीवानी अदालत के आदेश नहीं हैं-एक कानूनी कल्पना के अनुसार, एस. 49 प्रदान करता हैकि एक विदेशी पुरस्कार, इसके बाद मान्यता और प्रवर्तन यू / धारा 48, प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए "उस न्यायालय" की डिक्री मानी जाएगी-वाक्यांश "वह न्यायालय" उस न्यायालय को संदर्भित करता है जिसने यू/एस. एस. दायर याचिका पर निर्णय दिया है। 47 और सीमा अधिनियम के विदेशी अधिनिर्णय के प्रवर्तन के लिए 49 किसी विदेशी अधिनिर्णय के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि यह भारत सीमा अधिनियम, 1963 में किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री नहीं है। 136 – मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-ss. 47 , 48 और 49-कानूनी कथा।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-विदेशी पुरस्कार-प्रवर्तन स्तर पर लागू कानून-आयोजितः प्रवर्तन अदालत सीट अदालत के निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठती है पुरस्कार का प्रवर्तन पीठ पर कार्यवाही को अलग करने के बाद की और अलग कार्यवाही है-प्रवर्तन अदालत भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अध्याय 1 भाग 2 के प्रावधानों के अनुसार भारत में विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तनीयता के मुद्दे को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करेगी। तथ्यों पर, मलेशियाई न्यायालयों को सीट कोर्ट होने के नाते भारत सरकार बनाम भारत सरकार को उचित ठहराया गया था।वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी।भारत सरकार द्वारा उठाई गई सार्वजनिक नीति की चुनौती के लिए मलेशियाई अधिनियम को लागू करने में-हालांकि, केवल इसलिए कि मलेशियाई न्यायालयों ने विचाराधीन निर्णय को बरकरार रखा, यह भारतीय न्यायालयों के लिए यह जांचने में बाधा नहीं होगी कि क्या यह निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ था। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48-प्रवर्तन न्यायालय उपलब्ध आधारों के अनुसार पुरस्कार को चुनौती देने की जांच करेगा। यू / अधिनियम की धारा 48, मलेशिया न्यायालयों के निष्कर्षों से बाधित हुए बिना-यदि पुरस्कार का उल्लंघन पाया जाता है भारत की सार्वजनिक नीति, इसे भारतीय अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जाएगा-प्रवर्तन अदालत हालांकि द्वितीय नहीं होगी-निर्णय को चुनौती देते समय सीट अदालतों के फैसले की शुद्धता का अनुमान या समीक्षा।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 48-विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन-प्रवर्तन से इनकार करने के लिए सार्वजनिक नीति रक्षा यू / अधिनियम की धारा 48 - धारा. 48 को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित किया गया था-प्रभाव, चाहे पूर्वव्यापी हो या संभावित-आयोजितः इस संशोधन द्वारा सार्वजनिक नीति को एक संकीर्ण और विशिष्ट आधार दिया गया था।कानून द्वारा निर्माण, दो स्पष्टीकरणों को सम्मिलित करके-एस में किए गए संशोधन। 48 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा मूल संशोधन हैं

जिन्हें परिभाषा बनाने के लिए शामिल किया गया था" सार्वजनिक नीति "कानून द्वारा संकीर्ण-एस में दो स्पष्टीकरण। 48 "किसी भी संदेह से बचने के लिए" शब्दों से शुरू करें। - हालाँकि, चूंकि संशोधनों ने पहली बार विशिष्ट मानदंड पेश किए हैं, इसलिए "संदेहों को दूर करने के लिए" वाक्यांश के उपयोग की परवाह किए बिना इसे संभावित माना जाना चाहिए।

मध्यस्थता विदेशी पुरस्कार-प्रवर्तन राज्य याचिका की सार्वजनिक नीति के आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ कि विचाराधीन पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्याय की बुनियादी धारणाओं के विपरीत है-आयोजित: तथ्यों पर, नहींदो कारणों से मान्य है-पहला, अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला नहीं बनाया-प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता।

मध्यस्थता प्रक्रिया की अखंडता के लिए एक मौलिक आधार का गठन करता है-पक्षों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार एक गैर-अपमानजनक और अनिवार्य प्रावधान है, जिस पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की पूरी इमारत आधारित है-वर्तमान मामले में, नहींइस तरह के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था-दूसरा, अपीलकर्ताओं ने [2020] 12 एस. सी. आर. नहीं बनाया। इस बारे में कि कैसे यह पुरस्कार न्याय की बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में था, या भारत की मूल सार्वजनिक नीति का उल्लंघन था। कानूनी कथा-उद्देश्य-आयोजित: कानूनी कल्पनाएँ केवल किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं-एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था, और यह वैध नहीं होगा। उस उद्देश्य के दायरे से परे यात्रा करना, और प्रावधान में पढ़ना, कोई अन्य उद्देश्य कितना आकर्षक हो सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: प्रवर्तन/निष्पादन दाखिल करने की सीमा

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47 के तहत विदेशी पुरस्कार की याचिका

1.1 . विदेशी प्रवर्तन के लिए सीमा का मुद्दा

पुरस्कार प्रक्रियात्मक प्रकृति के होने के कारण, लेक्स फ़ोर के अधीन होते हैं।

उस मंच (राज्य) का कानून जहां विदेशी पुरस्कार लागू करने की मांग की जाती है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन का अनुच्छेद III

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन, 1958 में कहा गया है कि मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन उस राज्य की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए जहां पुरस्कार लागू किया जाना था। कन्वेंशन पुरस्कारों की मान्यता या प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय कानून में समय सीमा विशेष रूप से प्रदान की जा सकती है, या यह अदालती कार्यवाही पर लागू होने वाला एक सामान्य नियम हो सकता है। भारत में किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए प्रवर्तन/निष्पादन याचिका दायर करने की सीमा अवधि भारतीय कानून द्वारा शासित होगी। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 दाखिल करने के लिए किसी भी सीमा की अवधि को निर्दिष्ट नहीं करता है।

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए आवेदन। हालांकि धारा 43 में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम, 1963 मध्यस्थता पर लागू होगा, जैसा कि यह अदालत में कार्यवाही पर लागू होता है। सीमा अधिनियम, 1963 में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 136 और 137 सीमा अधिनियम की अनुसूची के तीसरे खंड में आते हैं। अनुच्छेद 136 में प्रावधान है कि "दीवानी अदालत" की किसी भी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए सीमा की अवधि उस तारीख से बारह साल है जब डिक्री या आदेश लागू करने योग्य हो जाता है। अनुच्छेद 137 अवशिष्ट है।

सीमा अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि जहां अधिनियम में सीमा की कोई अवधि प्रदान नहीं की गई है, "जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है" से तीन साल होगी। [भाग ए, पैरा VII (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) [51-बी-सी; 52-ए-जी] भारत सरकार v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी।

1.2 . मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए एक वैधानिक कल्पना का निर्माण करती है

न्यायालय के आदेश के रूप में एक 'घरेलू पुरस्कार' का, भले ही यह है

अन्यथा एक मध्यस्थ कार्यवाही में एक पुरस्कार। इस काल्पनिक कल्पना के अनुसार, एक घरेलू पुरस्कार को अदालत का आदेश माना जाता है, भले ही यह एक दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेश न हो। मध्यस्थता न्यायाधिकरण को 'अदालत' नहीं माना जा सकता है, और मध्यस्थता कार्यवाही दीवानी कार्यवाही नहीं हैं। डीमिंग फिक्शन पुरस्कार को निष्पादन के उद्देश्यों के लिए अदालत की डिक्री के रूप में मानने के लिए प्रतिबंधित है, भले ही यह वास्तव में, मध्यस्थता कार्यवाही में केवल एक पुरस्कार है। [भाग ए, पैरा VII (vii)] [53-डी-एफ]

1.3 . सीमा अधिनियम भारतीय अदालतों में दायर किए जाने वाले मुकदमों, अपीलों और आवेदनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।

जहाँ भी किसी आवेदन/याचिका पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई

भारत के बाहर दायर, सीमा अधिनियम ने विशेष रूप से उस स्थिति के लिए एक समय अवधि प्रदान की। विधायिका ने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के तहत "विदेशी फरमानों" के संदर्भ को हटा दिया है। विधायिका का इरादा अनुच्छेद 136 को भारत में दीवानी अदालत के फरमानों तक सीमित रखना था। विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन एक ऐसा आवेदन होगा जो सीमा अधिनियम के किसी अन्य अनुच्छेद के तहत नहीं आता है और यह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत आता है। विदेशी पुरस्कार भारतीय दीवानी अदालत के आदेश नहीं हैं। एक कानूनी कल्पना द्वारा, धारा 49 प्रदान करती है कि एक विदेशी पुरस्कार, इसे मान्यता दिए जाने के बाद और

धारा 48 के तहत प्रवर्तन को प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए "उस न्यायालय" की डिक्री माना जाएगा। वाक्यांश "वह न्यायालय" उस न्यायालय को संदर्भित करता है जिसने प्रवर्तन के लिए धारा 47 और 49 के तहत दायर याचिका पर निर्णय दिया है।

विदेशी पुरस्कार। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 136 किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में किसी दीवानी अदालत का आदेश नहीं है। संबंधित उच्च न्यायालय की मानित डिक्री के रूप में एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

न्यायालय [2016 के अधिनियम 3 द्वारा धारा 47 के संशोधित स्पष्टीकरण के अनुसार उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है

विदेशी पुरस्कारों का निष्पादन] अवशिष्ट प्रावधान अर्थात सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आएगा। [भाग ए, पैरा VII (ix), (x) और (xi)] [55-ई-एच; 56-ए-सी; 60-सी-ई] [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.4 . याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि

धारा 47 और 49 के तहत विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो आवेदन करने के अधिकार से तीन साल की अवधि निर्धारित करता है। प्रवर्तन के लिए धारा 47 और 49 के तहत आवेदन

विदेशी पुरस्कार, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत दायर एक मूल याचिका है। यह एक अच्छी तरह से तय स्थिति है कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। धारा 47 के तहत आवेदन सी. पी. सी., 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत दायर आवेदन नहीं है। आवेदन प्रवर्तन के लिए उपयुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है, जो केवल एक मानित डिक्री के रूप में विदेशी पुरस्कार के निष्पादन के उद्देश्यों के लिए सी. पी. सी. के आदेश XXI के प्रावधानों का सहारा लेगा। धारा 5 में निहित बार, जिसमें एक आवेदन शामिल नहीं है

सी. पी. सी. के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत दायर, के तहत दायर एक ठोस याचिका पर लागू नहीं होगा मध्यस्थता अधिनियम, 1996। नतीजतन, एक पक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो देरी की माफी के लिए धारा 5 के तहत। [भाग ए, पैरा VII (xiv) और (xv)] [57 एफ-एच; 58-ए-सी]न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए 1996 अधिनियम की योजना

2.1 . मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का भाग II अध्याय 1 न्यूयॉर्क समझौते के प्रवर्तन से संबंधित है।

पुरस्कार। 1996 के अधिनियम के तहत, सीट अदालत के समक्ष विदेशी पुरस्कार दायर करने और उस पर एक डिक्री प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद यह एक विदेशी डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय हो जाता है। इसे "दोहरे समीकरण" के रूप में संदर्भित किया गया था जो जिनेवा कन्वेंशन, 1927 के तहत एक आवश्यकता थी और न्यूयॉर्क कन्वेंशन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, जिसने इसे हटा दिया था। 1996 के अधिनियम के तहत एक आदर्श परिवर्तन हुआ है। 1996 के अधिनियम के तहत, एक पक्ष किसी विदेशी संगठन की मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है।

पुरस्कार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए जाने के बाद। आवेदक को उस सीट के न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है जिसमें या जिसके कानूनों के तहत पुरस्कार दिया गया था। [भाग बी, पैरा (ii) (ए)] [60-एफ-एच; 61-ए-सी]

2.2 . धारा 48 न्यूयॉर्क के अनुच्छेद V की प्रतिकृति है।

कन्वेंशन, और उन सीमित शर्तों को निर्धारित करता है जिन पर भारत सरकार v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी।

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। धारा 48 की उप-धारा (1) और (2) में विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के लिए सात आधार हैं। उप-धारा (1) में पाँच आधार हैं जिन्हें हारने वाले पक्ष द्वारा प्रवर्तन से इनकार करने के लिए उठाया जा सकता है।विदेशी अधिनिर्णय, जबकि उप-धारा (2) में दो आधार हैं जिन्हें न्यायालय अधिनिर्णय के प्रवर्तन से इनकार करने के लिए पदेन आह्वान कर सकता है, अर्थात भारत के कानूनों के तहत विवाद के विषय की गैर-मध्यस्थता; और दूसरा, यह पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है। [भाग बी, पैरा (ii) (एच)] [66-ए-सी]

2.3 . प्रवर्तन न्यायालय किसी विदेशी पुरस्कार को दरकिनार नहीं कर सकता है, भले ही धारा 48 के तहत शर्तें बनाई गई हों। शक्ति।

किसी विदेशी पुरस्कार को अलग रखने का अधिकार केवल मध्यस्थता के स्थान पर न्यायालय के पास निहित है, क्योंकि पर्यवेक्षी या प्राथमिक अधिकारिता का प्रयोग मध्यस्थता के स्थान पर न्यायिक न्यायालयों द्वारा किया जाता है। यदि धारा 48 में निहित शर्तें बनाई गई हैं, तो प्रवर्तन अदालत विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को "अस्वीकार" कर सकती है। यह धारा की भाषा से ही स्पष्ट होगा, जिसमें प्रावधान है कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को केवल तभी "अस्वीकार" किया जा सकता है जब आवेदक इसमें निहित किसी भी शर्त का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

अधिनियम की धारा 48। [भाग बी, पैरा (ii) (i)] [66-डी-एफ]

2.4 . धारा 48 के शुरुआती शब्दों में अनिवार्य भाषा के बजाय अनुमेय का उपयोग किया गया है, जिसे लागू करने से इनकार किया जा सकता है। "हो सकता है" शब्दों का उपयोग इंगित करता है कि भले ही वह पक्ष जिसके खिलाफ पुरस्कार पारित किया जाता है, प्रवर्तन से इनकार करने के लिए एक या अधिक आधारों का अस्तित्व साबित करता है, अदालत एक

आपत्तियों को खारिज करने के लिए अवशिष्ट विवेकाधिकार, यदि यह पाया जाता है कि पक्षों के बीच समग्र न्याय किया गया है, और पुरस्कार के प्रवर्तन का निर्देश दे सकता है। यह आम तौर पर किया जाता है जहां इनकार करने का आधार प्रक्रियात्मक नियमों के मामूली उल्लंघन से संबंधित है।

मध्यस्थता पर लागू होता है, या यदि मध्यस्थता में इनकार करने का आधार नहीं उठाया गया था। एक अदालत यह भी विचार कर सकती है कि उल्लंघन ऐसा नहीं है कि पुरस्कार के प्रवर्तन को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। [भाग बी, पैरा (ii) (जे)] [66-जी; 67-ए-सी]

2.5. धारा 48 में निहित विदेशी पुरस्कारों को लागू करने से इनकार करने के आधार व्यापक हैं, जो [2020] 12 एस. सी. आर. से स्पष्ट है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा की भाषा, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रवर्तन से "केवल तभी" इनकार किया जा सकता है जब आवेदक उस प्रावधान में निहित किसी भी शर्त का प्रमाण प्रस्तुत करता है। प्रवर्तन अदालत को धारा 48 के तहत पुरस्कार में त्रुटियों को ठीक नहीं करना है, या पुरस्कार के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करनी है, लेकिन यदि आधार बनाए जाते हैं तो उसे प्रवर्तन को "अस्वीकार" करने की सीमित शक्ति प्रदान की जाती है। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि धारा 48 के तहत आवेदन योग्यता के बिना है, और विदेशी पुरस्कार लागू करने योग्य पाया जाता है, तो धारा 49 के तहत, पुरस्कार को "उस न्यायालय" की डिक्री माना जाएगा। कानून का सीमित उद्देश्य

काल्पनिक कथा विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के उद्देश्य से है। संबंधित उच्च न्यायालय तब सी. पी. सी. के आदेश XXI के प्रावधानों का सहारा लेकर निर्णय को लागू करेगा। [भाग बी, पैरा (ii) (के), (1) और (एम)] [67-डी; 68-ए-डी] क्या मलेशियाई अदालतों को विदेशी पुरस्कार की चुनौती का फैसला करते समय सार्वजनिक नीति के मलेशियाई कानून को लागू करने में उचित ठहराया गया था?

3.1 . प्रवर्तन अदालत अपील में नहीं बैठती है

सीट कोर्ट के निष्कर्ष। पुरस्कार का प्रवर्तन पीठ पर कार्यवाही को अलग करने से एक बाद की और अलग कार्यवाही है। प्रवर्तन अदालत करेगी भारत में विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तनीयता के मुद्दे को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करना,

3.2 . न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालतें राज्य की अदालतें हैं जहाँपुरस्कार दिया गया था, या निर्धारित किया गया है अर्थात मध्यस्थता के स्थान पर। मध्यस्थता का केंद्र एक कानूनी अवधारणा है अर्थात मध्यस्थता का न्यायिक गृह। कानूनी "सीट" को मध्यस्थता में कुछ सुनवाई करने के लिए चुने गए भौगोलिक रूप से सुविधाजनक स्थान के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। मध्यस्थता के स्थान पर अदालतों को अदालतों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो पुरस्कार पर "पर्यवेक्षी" या "प्राथमिक" अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (e) में उपयोग किए गए "कानून जिनके तहत पुरस्कार दिया गया था", भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (1) (e) में प्रतिबिंबित होता है, जो भारत सरकार के केंद्र के देश को संदर्भित करता है।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी।

मध्यस्थता, न कि वह राज्य जिसके कानून मूल को नियंत्रित करते हैं अनुबंध। [भाग सी, चर्चा और निष्कर्ष, पैरा (ii)] [77-ई-जी]

3.3 . जिन न्यायालयों के समक्ष मान्यता और प्रवर्तन के लिए विदेशी पुरस्कार लाया जाता है, वे "द्वितीयक" का प्रयोग करेंगे या

" पुरस्कार पर प्रवर्तन का अधिकार क्षेत्र, उस अधिकार क्षेत्र में पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के लिए। [भाग सी, चर्चा और निष्कर्ष, पैरा (iii)] [79-बी] 3.4 . शासी कानून अंतर्निहित वाणिज्यिक मामलों में पक्षों के मूल अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है।

अनुबंध। पक्ष आम तौर पर मूल अनुबंध के शासी कानून का चुनाव करते हैं; शासी कानून के विकल्प के अभाव में, यह न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा

मूल अनुबंध। मध्यस्थता समझौता एक अलग और स्वायत्त समझौता, जो मध्यस्थता समझौते की वैधता और विस्तार को निर्धारित करेगा; पक्ष की स्वायत्तता की सीमाएँ, न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र, आदि। क्यूरियल कानून

मध्यस्थता का निर्धारण मध्यस्थता के स्थान द्वारा किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, यह आवश्यक है कि

मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन मध्यस्थता के स्थान के कानून से जुड़ा हुआ है, जो मध्यस्थता कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करेगा। दलों के पास स्वायत्तता है

मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता की शुरुआत, न्यायालय द्वारा चूक शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थों की नियुक्ति, अस्थायी उपायों का अनुदान, साक्ष्य का संग्रह, सुनवाई और पुरस्कार को चुनौती। मध्यस्थता की पीठ पर स्थित अदालतें पर्यवेक्षी या "प्राथमिक" अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

करती हैं।माध्यस्थम कार्यवाहियां, सिवाय इसके कि पक्षकारों ने एक अलग विधि माध्यस्थम का एक स्पष्ट और प्रभावी विकल्प चुना है, जिसमें

घटना में, सीट पर अदालतों की भूमिका उन मामलों तक सीमित होगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य होने के लिए निर्दिष्ट हैं और [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गैर-अपमानजनक प्रकृति का। लेक्स फोरम अन्य क्षेत्राधिकारों में पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन के लिए कार्यवाही को नियंत्रित करता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद III में प्रावधान है कि राष्ट्रीय अदालतें मान्यता और प्रवर्तन कार्यवाही के लिए लागू सीमा अवधि के संबंध में अपने-अपने लेख मंचों को लागू करती हैं; जिस तारीख से सीमा अवधि शुरू होगी, क्या सीमा की अवधि बढ़ाने की शक्ति है। लेक्स फोरी उस न्यायालय को निर्धारित करता है जो सक्षम है और जिसके पास विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, और विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए पक्षों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय हैं। [भाग सी, चर्चा और निष्कर्ष, पैरा (iv)] [79-डी-जी; 80-ए-एफ]

3.5 . मलेशियाई न्यायालय सीट कोर्ट होने के कारण थे

भारत सरकार द्वारा उठाई गई सार्वजनिक नीति की चुनौती के लिए मलेशियाई अधिनियम को लागू करना उचित है। प्रवर्तन अदालत, हालांकि, मलेशियाई अदालतों के निष्कर्षों से बाधित हुए बिना, अधिनियम की धारा 48 के तहत उपलब्ध आधारों के अनुसार पुरस्कार को चुनौती देने की जांच करेगी। केवल इसलिए कि मलेशियाई न्यायालयों ने पुरस्कार को बरकरार रखा है, भारतीय न्यायालयों के लिए यह जांच करना एक बाधा नहीं होगी कि क्या यह पुरस्कार भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 के तहत भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ था। यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है, तो इसे भारतीय अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। प्रवर्तन अदालत हालांकि इसका समर्थन नहीं करेगी-इसकी शुद्धता का अनुमान या समीक्षाअधिनिर्णय की चुनौती का निर्णय करते समय सीट न्यायालयों का निर्णय। [भाग सी, चर्चा और निष्कर्ष, पैरा (वी)] [80-एफ-जी; 81-ए बी]

क्या 2016 के अधिनियम 3 द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 में किए गए संशोधन पूर्वव्यापी हैं

आवेदन?

4. इस मुद्दे का निर्धारण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। धारा 48 को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन द्वारा, दो स्पष्टीकरणों को शामिल करके, सार्वजनिक नीति के आधार को क़ानून द्वारा एक

संकीर्ण और विशिष्ट निर्माण दिया गया था। 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 48 में किए गए संशोधन ठोस संशोधन हैं, जो भारत सरकार v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी।

पहली बार, इसे संभावित माना जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो"शंकाओं को दूर करने के लिए" वाक्यांश का उपयोग। [भाग डी, पैरा (i), (vii), (ix)] [81-एफ; 88-डी; 89-सी-जी]

क्या विदेश पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है?

सम्मेलन: न्यायाधीशों के लिए एक पुस्तिका (2011) में कहा गया है कि विदेशी पुरस्कार से इनकार करने के आधारों पर विचार करते समय, न्यायालय को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए (i) गुण-दोष पर कोई समीक्षा नहीं; (ii) इनकार करने के आधारों की संकीर्ण व्याख्या; और (iii) सीमितविवेकाधीन शक्ति। मध्यस्थता पुरस्कार के गुण प्रवर्तन अदालत द्वारा समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं, जो सीट अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तदनुसार, निर्णय की त्रुटियाँ, विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। [भाग डी, पैरा (xviii)] [95-एच; 96-ए-बी]

5.2 . अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्याय की बुनियादी धारणाओं के विपरीत है। यह निवेदन निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सबसे पहले, अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला नहीं बनाया है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता मध्यस्थता प्रक्रिया की अखंडता के लिए एक मौलिक आधार है। पक्षकारों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार एक गैर-अपमानजनक और अनिवार्य प्रावधान है, जिस पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की पूरी इमारत आधारित है। वर्तमान मामले में इस तरह के किसी उल्लंघन का आरोप नहीं है। दूसरा, अपीलकर्ताओं ने यह नहीं बताया है कि यह पुरस्कार [2020] 12 एस की बुनियादी धारणाओं के साथ कैसे टकराव में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीई, या आई की मूल सार्वजनिक नीति का उल्लंघन: डी, पैरा (xix)] [96-डी-एफ]

बंगाल प्रतिरक्षा बनाम। बिहार राज्य और अन्य। , [1955] 2 एससीआर

603 पीछा किया।

उमेश गोयल बनाम। हिमाचल प्रदेश सहकारी समूह

हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (2016) 11 एस. सी. सी. 313: [2016]6 एस. सी. आर. 703; सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम। अब्दुल समन

लिमिटेड (2001) 6 एससीसी 356: [2001] 3 एससीआर 479; सुमितोमो निगम बनाम। सीडीसी वित्तीय सेवाएँ

(मॉरीशस) लिमिटेड (2008) 4 एससीसी 91: [2008]

3 एस. सी. आर. 309; सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल बनाम।

आयकर आयुक्त, देहरादून (2005) 12 एस. सी. सी. 717 [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303 और सांगयोंग

इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई, (2019)

15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522-निर्भर।

बीसीसीआई बनाम। कोच्चि क्रिकेट (पी) लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 287 : [2018] 2 एस. सी. आर. 829; बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम। कोटक महिंद्रा बैंक (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 324; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कं. (1994) 1 पूरक।

एससीसी 644: [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 22; रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम। भारत संघ, (2014) 7 एस. सी. सी. 603: [2014] 6 एससीआर 456; एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। स्लीपवेल

इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड (2019) 5 एस. सी. सी. 303: [2019]

4 एस. सी. आर. 617; शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। द.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 482; श्री लाल महल लिमिटेड बनाम। प्रोग्रेटो ग्रानो स्पा, (2014) 2 एस. सी. सी. 433 [2013] 13 एस. सी. आर. 599; भारत एल्यूमीनियम कं. v. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 एस. सी. सी. 648; केयर्न इंडिया लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2020)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 324; केरल राज्य विद्युत

बोर्ड, त्रिवेंद्रम बनाम। टी. पी. कुन्हालियममा (1976) 4 एससीसी

634 [1977] 1 एस. सी. आर. 996; कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अर्नमेंट ऑफ इंडिया v.

वेदांत लिमिटेड (फॉर्म केयर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी।

और एन. आर. वी. ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. , (2018) 14 एससीसी 715: [2018] 1 एस. सी. आर. 915; ओ. एन. जी. सी. बनाम सॉ पाइप्स (2003) 5 एससीसी 705 [2003] 3 एससीआर 691; बाल्को बनाम। कैसर

एल्यूमीनियम (2012) 9 एस. सी. सी. 552: [2012] 12 एस. सी. आर. 327; श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोजेटो ग्रानो एस. पी. ए. (2014) 2 एस. सी. सी. 433 [2013] 13 एस. सी. आर. 599; रेनुसागर पावर कं. जनरल इलेक्ट्रिक कं. (1994) 1 पूरक। एससीसी 644: [1993] 3 पूरक। एससीआर 22; ओएनजीसी बनाम। वेस्टर्न गेको (2014) 9 एस. सी. सी. 263; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी एंड ए. एन. आर. , 1994 एयर 860:

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22; एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम। सार्वभौमिक

ट्रैक्टर होल्डिंग एलएलसी (2013) 10 एससीसी 717: [2013] 2 एससीआर 389; पी. ई. सी. लिमिटेड बनाम। ऑस्टबलक शिपिंग (2019) 11 एस. सी. सी. 620: [2018] 13 एससीआर 830; एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। स्लीपवेल इंडस्ट्रीज (2019) 5 एस. सी. सी. [2019] 4 एस. सी. आर. 617 और विजय करिया और अन्य। वी. प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और अन्य। , (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन 177-संदर्भित को।

नोय वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा बनाम। जिंदल ड्रग्स लिमिटेड 2006 (3) अरब एल. आर. 510; लुई ड्रेफस कमोडिटीज सुइस बनाम। सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2015) 6 बम सी. आर. 258; आईमैक्स कॉर्पोरेशन बनाम। ई-सिटी एंटरटेनमेंट (आई) प्रा. लि. लिमिटेड (2020) 1 एयर बम 82; मेसर्स। कम्पानिया नेवेरा 'सोडनॉक' वी। भारत रिफाइनरीज लिमिटेड (2008) 1 ए. आर. बी. एल. आर. 344; पुनर्गठित रेल निगम 867 एफ. सप 25,30 (डी. डी. सी. 1994) एम. फ्लाटो बनाम। इस्लामी गणराज्य ईरान और एफ. एम. सी. कार्पोरेशन 1999 यू. एस. डिस्ट लेक्सिस 18957; (2000) XXV Ybk Com Arbn 641; मैरीटाइम एंटरप्राइजेज लिमिटेड v. एग्रोमार लाइनियस लिमिटेड (1989) XIV Ybk Com Arbn

693 ; कुवैत राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री बनाम। सर फ्रेडरिक स्नो एंड पार्टनर्स [1983] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 818 सी. ए.; नॉर्दर्न सेल्स कंपनी लिमिटेड v. कम्प.

मारिटिमा विला नोवा एसए, फेडरल कोर्ट ऑफ अपील, विनीपेग, मैनिटोबा, 20 नवंबर 1991, (1993) XVIII Ybk Com Arbn 363; गुड चैलेंजर नवे

गांटे वी। मेटालेक्सपोर्टिम्पोर्ट [2003] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 10 (कॉम); शिवनाथ राय हरनारैन इंडिया कं. जी. जी. रॉटरडैम

164 (2009) डी. एल. टी. 197; उषा ड्रेगर प्रा. लिमिटेड वी. ड्रैगरवर्क एजी, (170) डीएलटी 628; कॉनरॉस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड वी. लु किन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।, 2015 (1) अरब एल. आर. 463 (बॉम्बे): (2015) 2 बम सी. आर. 1; क्रूज़ सिटी I मॉरीशस होल्डिंग्स बनाम। यूनिटेक लिमिटेड (2017)

239 डी. एल. टी. 649; पी. टी. असुरान्सी जासा इंडोनेशिया (पर्सेरो) बनाम। डेक्सिया बैंक एसए [2006] एसजीसीए 41; भारत सरकार बनाम। केयर्न एनर्जी पीटीवाई। लिमिटेड और ए. एन. आर. [2011] 6 एम. एल. जे. 441 और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। 2019 (6) अरब एल. आर. 171 (एस. सी.)-संदर्भित। पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कं. इंक. बनाम सोसाइटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डु पापियर (आर. ए. के. टी. ए.) 508 एफ. 2 डी 969 (दूसरा सी. आई. आर. 1974); बी. सी. बी. होल्डिंग्स लिमिटेड और द बेलीज बैंक लिमिटेड बनाम। बेलीज के अटॉर्नी जनरल, कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, अपीलीय क्षेत्राधिकार, 26 जुलाई 2013, [2013] CCJ 5 (AJ); ट्रैक्सिस यूरोप S. A. v. बालाजी कोक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, फेडरल कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, 23 मार्च 2012, [2012] एफ. सी. ए. 276; युगांडा टेलीकॉम लिमिटेड बनाम। हाई-टेक टेलीकॉम पीटीवाई लिमिटेड, फेडरल कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, 22 फरवरी 2011, [2011] एफसीए 131; पेट्रोटेस्टिंग कोलंबिया एस. ए. और साउथईस्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बनाम। रॉस एनर्जी एस. ए., सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोलंबिया, 27 जुलाई 2011; हेबेई आयात और निर्यात निगम। वी. पॉलीटेक इंजीनियरिंग कं. लिमिटेड, कोर्ट ऑफ

अंतिम अपील, हांगकांग, 9 फरवरी 1999, [1999] 2 एच. के. सी 205; ब्रोस्ट्रोम टैंकर ए. बी. बनाम। फैक्टेरिया वल्कानो एस. ए., उच्च न्यायालय, डबलिन, आयरलैंड, 19 मई 2004, एक्सएक्सएक्स वाई. बी. कॉम। अरब। 591 (2005) ; इंटरनेशनल नेविगेशन लिमिटेड v. वाटरसाइड ओशन नेविगेशन कं. इंक. 737 एफ. 2 डी 150 (सेकंड सर्किट, 1984); टेलीनॉर मोबाइल

संचार v. स्टॉर्म एलएलसी 524 F.Supp। 2 डी 332 (एस. डी. एन. वाई. 2007); पी. टी. असुरान्सी जासा इंडोनेशिया (पर्सेरो) बनाम। डेक्सिया बैंक एसए [2006] एसजीसीए 41 और डोंगवू मान + हम्मेल कंपनी लिमिटेड बनाम मान + हम्मेल जीएमबीएच। [2008]

एस. जी. एच. सी. 67-संदर्भित।

विकास निगम बनाम। बल्ली ट्रेडिंग) ईयरबुक कमर्शियल आर्बिट्रेशन XXIV (1999) पीपी। 732-738 (यू. के. No.52); पाकलिटो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम। क्लॉकनर ईस्ट एशिया) ईयरबुक कमर्शियल आर्बिट्रेशन XIX (1994) पीपी। 664-674 (हांगकांग संख्या 6); ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, भारत सरकार बनाम।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी।

अपील न्यायालय, 18 जून 2008 (आई. पी. ओ. सी. इंटरनेशनल) ग्रोथ फंड लिमिटेड बनाम एल. वी. फाइनेंस ग्रुप लिमिटेड)

पीपी। 408-432 (ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह संख्या 1) अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग, द न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन

1958 का: एक समान न्यायिक व्याख्या की ओर,

1981 , पृष्ठ पर क्लूवर लॉ एंड टैक्सेशन पब्लिशर्स

265 ; यूनाइटेड किंगडम: उच्च न्यायालय, रानी की पीठप्रभाग (वाणिज्यिक न्यायालय), 20 जनवरी 1997 (चीन)

कृषि व्यवसाय); हांगकांग का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय

अदालत, 16 दिसंबर 1994 (नानजिंग अनाज, तेल और प्राकृतिक गैस)

खाद्य पदार्थ आयात और निर्यात निगम बनाम भाग्यशाली।

कमोडिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड) ईयरबुक कमर्शियल

मध्यस्थता XXI (1996) पीपी। 542-545 (हांगकांग

नंबर 9); कानूनों का संघर्ष, डाइसी, मॉरिस और

कोलिन्स, (15 वां संस्करण) खण्ड 1, अध्याय 16, अनुच्छेद 16-035 , पी। 843. मध्यस्थता पर रसेल, स्वीट एंड

मैक्सवेल (24 वां संस्करण, 2015); द न्यूयॉर्क

1958 का कन्वेंशन, क्लूवर, 1981, पीपी। 267-268 , उद्धृत किया गया

रेडफर्न एंड हंटर, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफअंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, पाँचवाँ संस्करण। , 2009 ,

मध्यस्थता का चौथा संस्करण, खंड। 2 , पेज। 1163-1164 ,वोल्टर्स क्लूवर-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

भाग ए, पैरा वी (ए) (iii)

[2018] 2 एससीआर 829

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 22 संदर्भित

भाग ए, पैरा वी (बी)

[2014] 6 एससीआर 456

भाग ए, पैरा वी (बी) (vii)

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 एससीआर 479

भाग ए, पैरा VI (ए) (vi)

उस पर भरोसा करें

[2019] 4 एससीआर 617

भाग ए, पैरा VI (ए) (vi)

संदर्भित किया गया है

भाग ए, पैरा VI (ए) (vii)

[2013] 13 एससीआर 599

संदर्भित किया गया है

(2012) 9 एस. सी. सी. 648

भाग ए, पैरा VI (ए) (ix)

संदर्भित किया गया है

[2016] 6 एससीआर 703

भाग ए, पैरा VII (vii)

उस पर भरोसा करें

[2018] 10 एससीआर 451

भाग ए, पैरा VII (vii)

उस पर भरोसा करें

[2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 178 पर निर्भर

भाग ए, पैरा VII (vii)

[2020] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग ए, पैरा VII (viii)

[1955] 2 एससीआर 603

पीछा किया।

[2018] 5 एससीआर 829

भाग ए, पैरा VII (viii)

उस पर भरोसा करें

[1977] 1 एससीआर 996

भाग ए, पैरा VII (xi)

संदर्भित किया गया है

[2011] 11 एससीआर 1

भाग ए, पैरा VII (xv)

संदर्भित किया गया है

[2018] 1 एससीआर 915

भाग ए, पैरा VII (xv)

संदर्भित किया गया है

भाग ए, पैरा VII (xv)

[2008] 3 एससीआर 309

उस पर भरोसा करें

[2013] 2 एससीआर 389

भाग बी, पैरा (ii) (ए)

संदर्भित किया गया है

[2018] 13 एससीआर 830

भाग बी, पैरा (ii) (ई)

संदर्भित किया गया है

[2019] 4 एससीआर 617

भाग बी, पैरा (ii) (च)

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 एससीआर 691

भाग सी, पैरा (vi)

संदर्भित किया गया है

भाग सी, पैरा (x)

[2012] 12 एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

[2013] 13 एससीआर 599

भाग डी, पैरा (ii)

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

भाग डी, पैरा (iii)

(2014) 9 एससीसी 263

भाग डी, पैरा (vi)

संदर्भित किया गया है

भाग डी, पैरा (ix)

[2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303 पर निर्भर था

[2019] 7 एससीआर 522

भाग डी, पैरा (ix)

उस पर भरोसा करें

भाग डी, पैरा (xv)

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3185

2020 से।

उच्च न्यायालय के 19.02.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में ओ. एम. पी. (ई. एफ. ए.) (कॉम.) 2020 का सं. 15।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, गौरव बनर्जी, हरीश

साल्वे, सी. ए. सुंदरम, अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, के. आर. शशिप्रभु,

सुश्री चेतना नयनतारा राय, समीर पारेख, मेसर्स। पारेख एंड कंपनी, अनिरुद्ध दास, आशीष गुप्ता, अर्जुन पाल, अनिरुद्ध लेखी, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता और एस. एस. श्रॉफ, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

भारत सरकार v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

न्याय

सूचकांक *

पृष्ठभूमि तथ्य

आई.

2

उत्पादन साझाकरण की प्रासंगिक शर्तें

II.

अनुबंध

3

विवाद की उत्पत्ति

III

8

सीट न्यायालयों के समक्ष पुरस्कार को चुनौती

IV

कुआलालंपुर

13

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

15

वी.

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

VI

22

चर्चा और विश्लेषण

VII

28

प्रवर्तन/निष्पादन दाखिल करने की सीमा

भाग ए

धारा 47 के तहत विदेशी पुरस्कार की याचिका

1996 के अधिनियम का

28

के प्रवर्तन के लिए 1996 अधिनियम की भाग बी योजना

37

न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार

क्या मलेशियाई न्यायालयों में न्यायसंगत थे

भाग सी

सार्वजनिक नीति के मलेशियाई कानून को लागू करनाविदेशियों के लिए चुनौती तय करते समय

44

पुरस्कार?क्या विदेशी पुरस्कार के साथ टकराव है

भाग डी

भारत की सार्वजनिक नीति?

54

इंदू मल्होत्रा, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान सिविल अपील सरकार द्वारा दायर की गई है

भारत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 19 फरवरी 2020 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देगा, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 के तहत भारत सरकार द्वारा 2015 की आई. ए. संख्या 3558 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है। धारा 47 के तहत दायर आवेदन जिसे 49 ओ. एम. पी. के साथ पढ़ा जाता है। प्रत्यर्थियों द्वारा विदेशी अधिनिर्णय को लागू करने के लिए 2016 का (ई. एफ. ए.) (कम) 15 और प्रत्यर्थियों द्वारा निष्पादन याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए 2014 का आई. ए. सं. 20149 को अनुमति दी गई थी।

* सूचकांक मूल निर्णय के अनुसार है।

I. पृष्ठभूमि तथ्य

1993 में भारत सरकार रवा गैस और तेल क्षेत्रों में पेट्रोलियम संसाधनों की खोज और विकास करना चाहती थी

(बंगाल की खाड़ी में 10 से 15 किलोमीटर समुद्र तट पर स्थित), जिसके लिए बोलियों को आमंत्रित करने के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी निविदा जारी की गई थी। इसके अनुसार, वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और कमांड पेट्रोलियम होल्डिंग्स एन. वी.

उत्तरदाताओं के पूर्ववर्तियों ने अन्य बोलीदाताओं के साथ रवा क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की। इस पेट्रोलियम के लिए अनुबंध

उत्पादन साझाकरण अनुबंध के माध्यम से उत्पादन साझाकरण के आधार पर विकास किया जाना था।

28.10.1994 पर, भारत सरकार और निम्नलिखित पक्षों के बीच उत्पादन साझाकरण अनुबंध ("PSC") को निष्पादित किया गया था राववा तेल और गैस क्षेत्र का व्यावसायिक रूप से अन्वेषण और विकास:

(क) कमांड पेट्रोलियम (इंडिया) प्रा. लि. लिमिटेड, एक ऑस्ट्रेलियाई

नए राज्य के कानूनों के तहत स्थापित कंपनीसाउथ वेल्स, जिसका नाम बदलकर केयर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई कर दिया गया है। लिमिटेड;

(ख)

रवा ऑयल (सिंगापुर) पीटीवाई। लिमिटेड, के तहत स्थापित एक कंपनी

सिंगापुर के कानून; वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, के तहत स्थापित एक कंपनी

((ग)

भारत के कानून; और

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ. एन. जी. सी.)।

((घ)

पी. एस. सी. 25 वर्षों की अवधि के लिए था, और रवा क्षेत्र का विकास और अन्वेषण के संदर्भ में किया जाना था

' रवा विकास योजना '। पी. एस. सी. के अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के अनुसार, आर. वी. वी. ए. विकास योजना के परिशिष्ट 1 और 2 को पी. एस. सी. के साथ परिशिष्ट एफ. के रूप में जोड़ा गया था। उक्त योजना के अनुसार रवा क्षेत्र में पेट्रोलियम संचालन। रवा विकास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ रवा क्षेत्र में 19 तेल और 2 गैस कुओं को खोदने पर विचार किया गया था।

II. उत्पादन साझाकरण अनुबंध की प्रासंगिक शर्तें

पार्टियों के बीच विवाद पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15 से उत्पन्न होता है जो अन्य बातों के साथ आधार की वसूली के लिए प्रावधान करता है।

उत्तरदाताओं द्वारा खर्च की गई विकास लागत ("बी. डी. सी".)-रवा क्षेत्र के विकास के लिए दावेदार। पी. एस. सी. के प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैं:

भारत की उत्पत्ति v. वेदांत लिमिटेड (फॉर्म केयर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.

(i) पी. एस. सी. का अनुच्छेद 11.2 इस प्रकार है:

"11.2 रवा विकास योजना

इस अनुबंध का परिशिष्ट एफ मौजूदा खोजों के लिए विकास योजना का गठन करेगा।

"रवव विकास योजना" के रूप में)। द.

विकास योजना को अप माना जाएगा।

प्रबंध समिति द्वारा।

(ii) रवा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास योजना (आई. आर. परिशिष्ट 1 और 2), जिसे पी. ए. द्वारा स्वीकार किया गया था।

स्वीकृत रवव विकास योजना, निम्नलिखित रूप में बताती है

रवा फील्ड डेवलपमेंट ड्रिलिंग

अनुमानित औसत अच्छी लागत (अमेरिकी डॉलर में)

औसत की कुल लागत अच्छी तरह से $2,430,000

संलग्नक 10

रवा फील्ड डेवलपमेंट कैपिटल कॉस्ट्स

लागत

आई. टी. ई. एम

मिलियन अमेरिकी डॉलर

आर 10 और आर 17 प्रखंडों का विकास

तेल और संबद्ध गैस भंडार

ड्रिल और पूर्ण 19 कुएँ

एस. पी. एम. और टैंकर लोडिंग लाइन चार प्लेटफार्म

201.1

शोर इनफील्ड फ्लो लाइनों से/तक उत्पादन/इंजेक्शन पाइपलाइन

गैस उपचार और संपीड़नपानी का इंजेक्शन

गैस लिफ्ट पाइपलाइन और संपीड़न

परियोजना प्रबंधन आदि।

आर 1,7,9 का विकासगैर-संबद्ध गैस भंडार [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.9

ड्रिल एंड कम्पलीट 2 वेल्स वन मोनोपोड टावर तटवर्ती गैस उपचार योजना के लिए उत्पादन पाइपलाइन

218.0

कुल

ध्यान दें: यह परियोजना होगी, जैसा कि विकास योजना में आगे परिभाषित किया गया है, जो लागत भिन्नता शर्त का विषय होगी। उल्लिखित लागत में आयात शुल्क शामिल है लेकिन इसमें अन्वेषण और मूल्यांकन या क्षेत्र परित्याग से संबंधित व्यय शामिल नहीं हैं। के बीच का अंतर

कुल 218 मिलियन अमेरिकी डॉलर और साथ में दिए गए पत्र की धारा 1 में उद्धृत अनुमानित 236 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना पूंजी लागत 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परित्याग लागत है।

(जोर दिया गया)

रवा तेल से तेल और गैस के अन्वेषण, खोज और उत्पादन में उत्तरदाताओं द्वारा की गई विकास लागत औरगैस क्षेत्र। अनुच्छेद 15.5 नीचे दिया गया है:

" अनुच्छेद 15

तेल और गैस के लिए लागत की वसूली

15.1 15.2

15.3

15.4

15.5 विकास लागत की वसूली और 5 प्रतिशत लागत सीमा

ऐसी विकास लागतें सौ प्रतिशत (100%) प्रति वर्ष की दर से। (ख) अनुच्छेद 15.5 (क) के प्रावधानों के बावजूद और इस अनुच्छेद 15.5 के शेष प्रावधानों के अधीन, ठेकेदार केवल भारत की उत्पत्ति का निर्धारण करने के उद्देश्यों के लिए नहीं होगा।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

पेट्रोलियम की वह मात्रा जिसके लिए ठेकेदार अनुच्छेद 15.1 के तहत लागत पेट्रोलियम के रूप में हकदार होगा, अनुबंध लागत ठेकेदार की विकास लागत के रूप में दावा करता है

रववा विकास योजना के तहत विकास कार्यों के संबंध में तिथि जो ठेकेदार के आधार से अधिक है

विकास लागत (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) पांच प्रतिशत से अधिक (5 प्रतिशत)।

(ग) इस अनुच्छेद 15.5 के उद्देश्य के लिए "ठेकेदार का आधार"

विकास लागत का अर्थ है ऐसी सुविधाओं के निर्माण और/या स्थापना से संबंधित प्रभावी तिथि के बाद होने वाली लागत जो मौजूदा खोजों के भीतर से पेट्रोलियम का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन के लिए आवश्यक है, ताकि 35,000 बी. ओ. पी. डी. का कच्चा तेल उत्पादन किया जा सके।

रवव विकास योजना और ऐसी लागतों के अनुसार जो लेखांकन की धारा 3.3 के अनुसार अनुमत हैं।

प्रक्रिया। ऐसी लागतों में निम्नलिखित सुविधाओं और उससे संबंधित मामलों के संबंध में की गई लागत शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी, जैसे कि:

टैंकरों के लिए अपतटीय टैंकर लोडिंग सुविधाएं

((i)

120,000 डीडब्ल्यूटी;कुल समर्थन करने में सक्षम वेलहेड प्लेटफार्म

((ख)

24 विकास कुओं में से;

अच्छी तरह से तरल पदार्थों को तट पर ले जाने के लिए आवश्यक लाइनों का पालन करें

(iii)

प्रसंस्करण के लिए;

40, 000 तक के प्रसंस्करण के लिए तट पर प्रक्रिया सुविधाएं

((iv)

प्रति दिन तरल पदार्थ के बैरल;

(v)

500, 000 की नाममात्र क्षमता वाली भंडारण सुविधाएँ

बैरल्स;

(vi)

जलाशयों में पानी डालने की सुविधा

जलाशय दबाव रखरखाव के उद्देश्यों के लिए; (vii) सहायता के लिए एक तटवर्ती आपूर्ति आधार का निर्माण।

उत्पादन संचालन;

पर्यावरण अध्ययन;

(viii)

भूभौतिकीय, भूगर्भीय और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग

(ix)

अध्ययन; [2020] 12 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्नीस (19) विकास कुओं की खुदाई और

(x)

दो (2) गैस उत्पादन कुएँ;

विकास, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं

(xi)

नांग;

(xii) परियोजना बीमा; और

(xiii) परियोजना प्रबंधन।

पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 15.5 के उद्देश्यों के लिए ठेकेदार की आधार विकास लागत यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन (जैसा कि अगस्त 1993 में संकेत दिया गया है) का योग होगा।

रवा विकास योजना के लिए परिशिष्ट)।

.....

((i) अन्य बातों के साथ-साथ, में निर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखते हुए

अनुच्छेद 15.5 (डी) के अनुसार, दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं:

(i) स्थल पुनर्स्थापना और अन्वेषण और मूल्यांकन ड्रिलिंग से संबंधित लागत इस सीमा के अधीन नहीं होगी -लेख में दी गई ठेकेदार की विकास लागत

15.5 ((ख)

((ii) अनुच्छेद में निर्दिष्ट भंडार और/या संभावित भंडार और/या उपग्रह क्षेत्रों को विकसित करने की लागत।

15.5 (घ) (i) ठेकेदार की सीमा के अधीन नहीं होगा।

अनुच्छेद 15.5 (ख) में प्रदत्त विकास लागत

इसके बावजूद कि ऐसे भंडारों और/या संभावित भंडारों और/या उपग्रह क्षेत्रों के विकास में साझा प्रवाह लाइनें, इंजेक्शन लाइनें, गैस-लिफ्ट लाइनें और अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं जिनका निर्माण इसके हिस्से के रूप में किया गया है।

रवव विकास योजना; (iii) यदि ठेकेदार का आधार

विकास लागत प्रति व्यक्ति पाँच से अधिक है।

प्रतिशत (5 प्रतिशत) के परिणामस्वरूपः

((क) अनुच्छेद 15 (घ) (ग) में निर्दिष्ट विकास कार्यों को पूरा करने में देरी, प्राप्त करने में देरी के कारण।

आवश्यक अनुमोदन;

(ख. भारत सरकार और/या ओ. एन. जी. सी. द्वारा कंपनियों को प्रदान किए गए आंकड़ों की ठेकेदार की समीक्षा के कारण रवव विकास योजना में आवश्यक भौतिक परिवर्तन।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

अनुच्छेद 8.1 (iv) के अनुसार प्रभावी तिथि, जहां कंपनियां यह स्थापित करने में सक्षम हैं कि ऐसा डेटा था

कंपनियों में प्रभावी तिथि से पहले उपलब्ध, उचित रूप से कार्य करते हुए, रवव विकास योजना में ऐसे परिवर्तन शामिल किए गए होंगे;

(ग) अनुच्छेद 15.5 (घ) (v) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन;(घ) भौतिक जलाशय विशेषताओं की सीमा ऐसी श्रेणियों से भौतिक रूप से भिन्न है।

राव विकास योजना जिन विशेषताओं पर आधारित है;

(ङ) प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित रवव विकास योजना में परिवर्तन; या

(च) अनुच्छेद 32 में दिए गए बल प्रयोग की घटना;

फिर प्रबंधन समिति, संचालक के अनुरोध पर, अनुच्छेद 6,7 के तहत बुलाई गई एक बैठक में, तुरंत विचार करेगी कि क्या, यदि कोई हो, तो वृद्धि की जानी चाहिए।

ठेकेदार की आधार विकास लागत के लिए प्रश्न में परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 15.5 (ई) (ii) (एए) में निर्दिष्ट देरी के मामले में प्रबंधन समिति किसी भी वृद्धि पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगी जहां ऐसी देरी की गई है।

तरीके से।(ई) यदिः

(i) पक्षकारों के बीच कोई विवाद है, चाहे अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) में निर्दिष्ट कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई हो या किस हद तक उत्पन्न हुई हो।

ठेकेदार की आधार विकास लागत

पाँच प्रतिशत से अधिक (5 प्रतिशत); या

((ii) प्रबंधन समिति सहमत होने में असमर्थ है।

क्या वृद्धि की जानी चाहिए

ठेकेदार की आधार विकास लागत, या ऐसी किसी वृद्धि की राशि पर सहमत होने में असमर्थ है; फिर [2020] 12 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट प्रबंधन समिति की बैठक की तारीख से तीस (30) दिनों के बाद किसी भी समय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii), किसी भी पक्ष को स्वतंत्रता होगी -

निर्णय के लिए मामले को एकमात्र विशेषज्ञ के पास भेजेंअनुच्छेद 34.2 के प्रावधानों के अनुसार।

(जोर दिया गया)

पी. एस. सी. का अनुच्छेद 33 पी. एस. सी. पर लागू कानून प्रदान करता है, और निम्नानुसार पढ़ता है:

" अनुच्छेद 33: लागू करने योग्य कानून और अनुबंध की भाषा

"33.1 शासन के लिए भारतीय कानून

अनुच्छेद 34.12 के प्रावधानों के अधीन इस अनुबंध को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और व्याख्या की जाएगी।

33.2 भारत के कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद 17.1 के अधीन रहते हुए इस अनुबंध में कुछ भी ठेकेदार को अधिकारों, विशेषाधिकारों और अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देगा।

इस अनुबंध द्वारा इसे एक तरह से प्रदत्त शक्तियाँ

जो भारत के कानूनों का उल्लंघन करेगा।

(जोर दिया गया)

पी. एस. सी. का अनुच्छेद 34.12 निम्नानुसार है:

" अनुच्छेद 34: एकमात्र विशेषज्ञ, सुलह और मध्यस्थता

"34.1 .....

34.2 एकल विशेषज्ञ के संदर्भ

जिन मामलों को, इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, पार्टियां एक एकल विशेषज्ञ और किसी अन्य मामले को संदर्भित करने के लिए सहमत हुई हैं, जिसे पार्टियां इस तरह से संदर्भित करने के लिए सहमत हो सकती हैं, उन्हें प्रासंगिक योग्यताओं और अनुभव के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति को संदर्भित किया जाएगा, जिसे पार्टियों के बीच समझौते द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कोई भी एकलनियुक्त विशेषज्ञ एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेगा, न कि एक मध्यस्थ के रूप में, और उसे संदर्भित मामलों पर एकमात्र विशेषज्ञ का निर्णय अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, और मध्यस्थता के अधीन नहीं होगा। यदि पक्ष किसी एकल विशेषज्ञ पर सहमत होने में असमर्थ हैं, तो मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

[भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आईआरएन इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

34.3 अनसुलझे विवाद

इस अनुबंध के प्रावधानों के अधीन, पार्टियां एतद्द्वारा सहमत हैं कि कोई भी मामला, अनसुलझा विवाद,

अंतर या दावा, जिस पर बीस (21) दिनों के भीतर सहमति या सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा नहीं किया जा सकता है, उसे एकल विशेषज्ञ (जहां अनुच्छेद 34.2 लागू होता है) को या अन्यथा अंतिम निर्णय के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रदान किया गया।

34.12 मध्यस्थता समझौते का स्थान और कानून

एकमात्र विशेषज्ञ, सुलह या मध्यस्थता का स्थान

इस अनुच्छेद के अनुसार कार्यवाही, जब तक कि पक्षकार

अन्यथा सहमत, कुआलालंपुर, मलेशिया होगा और

अंग्रेजी भाषा का उपयोग करें। जहाँ तक संभव हो,

पार्टियां इन शर्तों को लागू करना जारी रखेंगी।

मध्यस्थता की शुरुआत के बावजूद अनुबंध

कार्यवाही और कोई लंबित दावा या विवाद।

अनुच्छेद 33 के प्रावधानों के बावजूदअनुच्छेद 34 में निहित मध्यस्थता समझौता होगा -

इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित "।

(जोर दिया गया)

विवाद की उत्पत्ति

पी. एस. सी. में इसके लिए एक विकास योजना थी

" मौजूदा खोजों को "रव विकास" के रूप में जाना जाता है

योजना बनाएँ। पी. एस. सी. की योजना यह थी कि दावेदार

पेट्रोलियम संचालन की लागत वहन करते हैं, और हकदार थे

उत्पादित पेट्रोलियम से उनकी लागत की वसूली करना। द.

सरकार और दावेदार प्राप्त करेंगे

पी. एस. सी. के तहत निर्धारित अनुपात में संबंधित हिस्सा।

पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15 में लागत की वसूली का प्रावधान है।

.

तेल और गैस के लिए; अनुच्छेद 15.1 एक सामान्य प्रावधान है

अनुबंध लागतों के संबंध में; अनुच्छेद 15.2 से 15.4 तक

अनुच्छेद 15.5 की व्याख्या जो विकास से संबंधित है लागतें। अनुच्छेद 15.5 (सी) ठेकेदार के आधार को परिभाषित करता है।

विकास लागत, और सुविधाओं की एक सूची तैयार करता है और

दावेदारों द्वारा बनाए जाने के लिए आवश्यक अन्य मामले।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

ठेकेदार की आधार विकास लागत प्रभावी तिथि के बाद की गई लागत थी, जो ऐसी सुविधाओं के निर्माण और/या स्थापना से संबंधित थी जो पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए आवश्यक हैं।

" कच्चे तेल को सक्षम करने के लिए "मौजूदा खोज"

रवा विकास योजना के अनुसार प्रतिदिन 35,000 बैरल तेल (बी. ओ. पी. डी.) का उत्पादन। द.

सुविधाओं में 120,000 डी. डब्ल्यू. टी. तक के टैंकरों के लिए अपतटीय टैंकर लोडिंग सुविधाओं का निर्माण शामिल था।

कुल 24 विकास कुओं तक सहायता करने में सक्षम; प्रक्रिया सुविधाएं; 500,000 बैरल की नाममात्र क्षमता के साथ भंडारण सुविधाएं; 19 विकास कुओं की खुदाई।

और 2 गैस उत्पादन कुएँ, आदि। अनुच्छेद 15.5 (बी) और (सी) ने पार्टियों के बीच समझौते को दर्ज किया कि ठेकेदार की आधार विकास लागत "यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन प्लस पाँच प्रतिशत की राशि" होगी।

यह परिकल्पना की गई थी कि 35,000 का उत्पादन प्रोफाइल

बी. ओ. पी. डी. लगभग दो वर्षों के बाद पहुंच जाएगा, और उक्त उत्पादन के आंकड़े को उसके बाद 6 वर्षों तक पठार उत्पादन के रूप में बनाए रखा जाएगा। 14 वर्षों के कुल क्षेत्र उत्पादन जीवन का अनुमान लगाया गया था।

ठेकेदार की आधार विकास लागतों पर सहमति बनी

अनुच्छेद 15.5 (घ) में निर्धारित कुछ धारणाओं और/या कारकों पर, जिसमें भौतिक जलाशय विशेषताओं की सीमा उन श्रेणियों से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है जिन पर रव विकास योजना आधारित थी।

अनुच्छेद में विशिष्ट बहिष्करण निहित हैं।

15.5 (ई) (i) और (ii), और उप-अनुच्छेद (ई) (iii) जो उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें सहमत राशि

ठेकेदार की आधार विकास लागत प्रबंधन समिति द्वारा बढ़ाई जा सकती है; या डिफ़ॉल्ट रूप से एक विशेषज्ञ द्वारा, जैसा कि विवाद समाधान खंड में प्रदान किया गया है।

पी. एस. सी. के काम करने के दौरान, उत्पादन दर

35,000 बी. ओ. पी. डी. 1997-1998 में प्राप्त किया गया था। 1998-1999 द्वारा, जब रववा में भंडार की पूरी सीमा क्षेत्र ज्ञात था, दावेदारों ने भारत सरकार से 50,000 बी. ओ. पी. डी. के उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

इस वृद्धि को प्रबंधन समिति द्वारा 25.03.1998 पर और सरकार द्वारा 01.04.1999 पर अनुमोदित किया गया था। 1999-2000 तक, 50,000 BOPD पर उत्पादन की बढ़ी हुई दर हासिल की गई थी। उत्पादन की यह दर 2008-2009 तक बनी रही, जिसके बाद यह घटकर 40,000 BOPD रह गई। तेल क्षेत्र दोनों के लिए अत्यधिक लाभदायक पाए गए।

पार्टियाँ।

दावेदारों ने प्रस्तुत किया कि 1999-2000 द्वारा, उनके पास था

35, 000 बी. ओ. पी. डी. की उत्पादन दर प्राप्त करने के लिए लगभग 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विकास लागत खर्च की गई। दावेदारों ने मांग की कि अनुच्छेद 15.5 में 'सीमा' को तदनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। 1999-2000 के बाद और 2007-2008 तक, दावेदारों ने कुल 278 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास लागत वहन की, जो उन्होंने तर्क दिया कि वे थे

लागत पेट्रोलियम के रूप में वसूली का हकदार है, क्योंकि 'कैप' होगी

1999-2000 के बाद अब आवेदन नहीं करें।

दावेदारों ने दावा किया कि वे विकास लागत के संबंध में अमेरिकी डॉलर <ID1 मिलियन से अधिक के हकदार थे

2008-2009 तक 1994-1995 में खर्च किया गया।

दूसरी ओर, सरकार ने तर्क दिया कि सभी

दावेदारों द्वारा दावा की गई विकास लागत थी

रव योजना के संबंध में खर्च किया गया, और थेउत्पादन की बढ़ी हुई मात्रा के बावजूद, अनुच्छेद 15.5 (ख) और (ग) द्वारा प्रदान की गई ऐसी लागतों पर 'सीमा' के अधीन। हालांकि, अपवादों के अधीन नहीं थे

'कैप', और अनुच्छेद 15.5 (ए) के तहत लागत पेट्रोलियम से ठीक से बरामद किया गया था जो कुल मिलाकर यूएस $65.95 मिलियन था।

· सरकार ने तर्क दिया कि काम पर विचार किया गया है

रववा योजना के अनुसार, अनुच्छेद 15.5 (सी) के अनुसार 1999-2000 तक पूरा नहीं किया गया था, जब केवल 14 कुओं को खोदा गया था; अनुच्छेद 15.5 (ग) (xi) में निर्धारित शेष 7 कुओं को 2007-2008 द्वारा खोदा गया था। नतीजतन, ठेकेदार की आधार विकास लागत पर 'सीमा' 2007-2008 तक

की पूरी लागत पर लागू होगी, न कि 1999-2000 तक की लागत पर। दावेदारों को पेट्रोलियम की लागत से अधिक का दावा करने का अधिकार नहीं था, जिस पर अमेरिकी डॉलर 198.43 मिलियन से अधिक पर सहमति हुई थी।

यू. एस. $65.95 मिलियन (अपवादों के लिए)।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सरकार ने दावेदारों द्वारा लागत के रूप में दावा की गई राशि के बराबर दावे किए

पेट्रोलियम, यू. एस. $198.43 मिलियन प्लस यू. एस. $65.95 मिलियन की सहमत राशि से अधिक।

18.08.2008 पर, पी. एस. सी. के अनुच्छेद 34 के तहत विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। दावेदारों ने श्री एंड्रयू बर्कले को मध्यस्थ के रूप में नामित किया; भारत सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद को नियुक्त किया।

न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ 18.01.2011 पर पुरस्कार पारित किया जिसमें कहा गया था कि: क) दावेदारों ने 35,000 बी. ओ. पी. डी. के कच्चे तेल के उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए मौजूदा खोजों के भीतर पेट्रोलियम का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया। द बेस

अनुच्छेद 15.5 (सी) के तहत विकास लागत की व्याख्या 35,000 बी. ओ. पी. डी. के उत्पादन प्रोफाइल और सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य के संदर्भ में की जानी थी। उस प्रोफ़ाइल को प्राप्त करने के लिए विचार किया। दावेदार

14 कुओं की खुदाई करके आई. डी. 1 द्वारा 35,000 बी. ओ. पी. डी. का लक्षय हासिल किया गया और इसकी विकास लागत

अमेरिकी डॉलर 220,737,381।

अनुच्छेद 15.5 (बी) और (सी) ने विकास लागत पर अमेरिकी डॉलर <आई. डी. 1 मिलियन + 5 प्रतिशत के सहमत आंकड़े तक की सीमा लगा दी। दावेदार अमेरिकी डॉलर 198.43 से अधिक की विकास लागत की वसूली के हकदार नहीं थे।पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) के तहत 1994-95 से 1999-2000 की अवधि के लिए प्रदान की गई सीमा को देखते हुए।

दावेदारों ने गलत तरीके से अमेरिकी डॉलर की वसूली की थी

ख)

22,307,381 इस अवधि के दौरान आधार विकास लागत के रूप में यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन के निर्धारित आंकड़े से अधिक 1994-95 1999-2000 तक। भारत सरकार लागत वसूली खातों के अंतिम निपटान में उक्त राशि के साथ जमा होने की हकदार थी।

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

पी. एस. सी. में कुछ अपवाद थे जहां दावेदारों को पी. एस. सी. और रववा के तहत प्रत्याशित से अधिक विकास लागतें उठानी पड़ सकती थीं।

प्रबंधन समिति द्वारा बी. डी. सी. सीमा बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 15.5 (डी) और (ई) के तहत। 1998-1999 में अन्वेषण के दौरान, जब रवा क्षेत्र में भंडार का पूरा विस्तार हुआ

ज्ञात है, प्रबंधन समिति ने एक

उत्पादन प्रोफाइल को 35,000 बी. ओ. पी. डी. से बढ़ाकर 50,000 बी. ओ. पी. डी. करना। उत्तरदाताओं ने 50,000 बी. ओ. पी. डी. की उत्पादन दर हासिल करने के लिए रवा क्षेत्र को विकसित करने के लिए आगे बढ़े और 7 अतिरिक्त कुओं को खोदा।

न्यायाधिकरण ने दावेदारों द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ गवाह के साक्षय को स्वीकार कर लिया, जिसमें पाया गया कि राववा क्षेत्र में ब्लॉक ए/डी के रूप में जाने जाने वाले विस्तारित जलाशय ने कई भौतिक विशेषताओं को दिखाया जो उन लोगों से "भौतिक रूप से अलग" थे जिन पर राववा विकास योजना आधारित थी। प्रासंगिक विशेषताओं की सीमा जो प्रत्याशित से अलग थी, उसमें उत्तर-पश्चिम सीमा पर फॉल्ट लाइन शामिल थी, जिसे सील नहीं किया गया था, बल्कि छिद्रपूर्ण पाया गया था; चट्टानों की पारगम्यता पाई गई थीअधिक उत्पादन दबाव के कारण तेल/पानी के संपर्क का स्तर अलग पाया गया।

अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) में प्रावधान किया गया है कि बी. डी. सी. सीमा में वृद्धि के लिए अनुरोध किया जा सकता है, क्योंकि अतिरिक्त कुओं की खुदाई में भौतिक रूप से अलग-अलग विशेषताओं का सामना करना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में, दावेदार बढ़ी हुई राशि की वसूली करने के हकदार होंगे।

अनुच्छेद 15.5 (ख) और (ग) द्वारा लगाई गई सीमा के बावजूद।

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाता हकदार थे

द्वारा खर्च की गई विकास लागत के लिए लागत पेट्रोलियम से अमेरिकी डॉलर 278,871,668 की वसूली करना।

2000-01 से 2008-09 की अवधि के लिए उत्तरदाता।

पुरस्कार निम्नलिखित रूप में घोषित किया गया:

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" इसलिए हम निम्नलिखित रूप में एक पुरस्कार की घोषणा करते हैं:

ए. उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पी. एस. सी.) के अनुच्छेद 15 के सही निर्माण पर 20 अक्टूबर 1994 (पी. एस. सी.), सभी विकास लागत

रवा के तहत विकास कार्यों के संबंध में पी. एस. सी. की तारीख के बाद दावेदार

विकास योजना पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (बी) द्वारा लगाई गई सीमा (लागत पेट्रोलियम से लागत वसूली के संबंध में) के अधीन है, अर्थात् राशि।

अनुच्छेद द्वारा आधार विकास लागत के रूप में परिभाषित

15.5 ((ग) 5 प्रतिशत से अधिक;

बी. पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) में बताए गए आंकड़े, अर्थात् यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन, पर आधार विकास लागत की सीमा के रूप में सहमति व्यक्त की गई थी -

रव के संबंध में दावेदार

विकास योजना जिस पर अगस्त में सहमति बनी थी

अक्टूबर 1993;

ग. दावेदारों ने कुल विकास लागत वहन की

$ 220,737,381 इसके संबंध में अनुबंध वर्ष (सालाना 31 मार्च) तक और उसके साथ-साथ

1999/2000 ;

घ. दावेदार लागत के हकदार नहीं थे-सहमत राशि से अधिक इस तरह की लागत की वसूली और पाँच

प्रतिशत (5 प्रतिशत) अर्थात् $198.43 मिलियन;

ई. कि दावेदारों ने अनुबंध वर्ष 2000/2001 से 2008/2009 तक इसके संबंध में विकास लागत $278,871,668 की राशि में वहन की;

कि दावेदार के अनुरोध के जवाब में,

एफ.

इस संबंध में आधार विकास लागत की राशि

अवधि को $278,871,668 से बढ़ाया जाएगा।

पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) के अनुसार;

G. कि दावेदार सभी की वसूली के हकदार थे

लागत पेट्रोलियम से ऐसी लागतें, अर्थात्,

$ 278,871,668 निम्नलिखित रूप में बनाया गयाउत्तरदाता द्वारा स्वीकार किया गया भारत का $65,952,604 ऋण v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

ऊपर (च) के तहत वृद्धि

$ 212 , 919 , 064

$ 278 , 871 , 668

कुल

एच. कि दावेदार लागत के हकदार हैं और होंगे

आगे की गई आधार विकास लागत की वसूली करें

रव विकास के संबंध में उनके द्वारा

अनुबंध वर्षों 2008/2009 के बाद योजना बनाएँ, यदि और

इस हद तक किए। इस तरह की लागत आगे के विकास में आती है।

इस पुरस्कार द्वारा परिभाषित भंडारों में से भौतिक से भौतिक रूप से भिन्न

जलाशय की विशेषताएँ जिस पर

मूल (1993) रवव विकास योजना थी

आधारित; और/या

बी। के अनुच्छेद 15.5 (बी) के तहत सीमा की राशि

इसके बाद पी. एस. सी. को बढ़ाया जा सकता है। पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) के लिए; और/या

सी। जैसा कि पक्ष सहमत हो सकते हैं;

लेकिन अन्यथा नहीं;

I. कि प्रत्यर्थी श्रेय पाने का हकदार है

फाइनल में $22,307,381 के योग के साथ

संबंधित लागत वसूली खातों का निपटान

अनुबंध के दौरान खर्च की गई विकास लागत

वर्ष 1994/5 से 1999/2000 $198.43 से अधिक

लाख "।

उत्तरदाता-दावेदार प्रस्तुत करते हैं कि उनके पत्र के माध्यम सेदिनांक 29.04.2011 भारत सरकार को संबोधित,

के अनुसार संशोधित लागत वसूली खाता विवरण

अमेरिकी डॉलर 22,307,381 की विकास लागत दी गई थीभारत सरकार।

कुआला में सीट अदालतों के समक्ष पुरस्कार को चुनौती

15.04.2011 पर, भारत सरकार ने मलेशियाई मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत पुरस्कार को चुनौती दी,

2005 मलेशियाई उच्च न्यायालय के समक्ष, तीन प्रधानों परआधार:

क) पुरस्कार एक ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या

प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है मध्यस्थता;

ख) पुरस्कार में इससे परे के मामलों पर निर्णय शामिल हैं -

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का दायरा; और

ग) पुरस्कार सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

((ख)

उच्च न्यायालय ने 30.08.2012 दिनांकित आदेश को खारिज कर दिया

पुरस्कार के लिए चुनौती यह मानते हुए कि की आवश्यकताएँ

धारा 37 (1) (ए) (iv) और (v) और धारा 37 (1) (बी) (ii)

चुनौती को बनाए रखने के लिए मलेशियाई अधिनियम को पूरा नहीं किया गया है

पुरस्कार के लिए। इस पुरस्कार में कोई नया पुरस्कार शामिल नहीं था।

अंतर ", जो इसके लिए प्रासंगिक होता

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण। उच्च न्यायालय ने पाया

ऐसा कोई कारण नहीं है जो पुरस्कार के साथ हस्तक्षेप के योग्य हो।

30.08.2012 दिनांकित आदेश से व्यथित,

(iii)

भारत सरकार ने इससे पहले एक अपील को प्राथमिकता दी

मलेशियाई अपील न्यायालय, जिसे आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था

दिनांकित 27.06.2014। मलेशियाई अपील न्यायालय ने कहा किन्यायाधिकरण ने दोनों के बीच समझौते को प्रभावी बना दिया था

पी. एस. सी. की शर्तों के तहत पक्षकार। वहाँ कोई नहीं था।

न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण जो बाहर था

पक्षों की प्रस्तुतियाँ।

((iv)

10.07.2014 पर, इसके द्वारा एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था।

उत्तरदाताओं के लिए सरकार-दावेदार, एकसरकार के हिस्से के लिए 77 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग

पी. एस. सी. के तहत लाभ पेट्रोलियम। उत्तरदाता थे

कारण दिखाने के लिए निर्देशित किया गया कि उक्त राशि क्यों होनी चाहिएद्वारा देय राशियों से सीधे वसूली नहीं की जाएगी

तेल विपणन कंपनियाँ।

(v)

21.07.2014 पर, सरकार ने इसके लिए एक आवेदन दायर किया

मलेशियाई संघीय न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति, जो17.05.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था।

छुट्टी के लिए आवेदन के लंबित होने के दौरान

(vi)

14.10.2014 पर मलेशियाई संघीय न्यायालय के समक्ष अपील,

उत्तरदाता-दावेदारों ने प्रवर्तन के लिए याचिका दायर की

भारत के कानून से पहले 1996 के अधिनियम की धारा 49 के साथ पठित धारा 47 के तहत v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

दिल्ली उच्च न्यायालय, क्षमा के लिए एक आवेदन के साथ

देरी से।

सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करते हुए धारा 48 के तहत एक आवेदन दायर किया कि प्रवर्तन

याचिका सीमा की अवधि से परे दायर की गई थी;

पुरस्कार का प्रवर्तन भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत था, और इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा के तहत याचिका को खारिज कर दिया

1

48 दिनांकित 19.02.2020 के विवादित फैसले के अनुसार, अनुमति दी गई

द्वारा दायर की गई देरी की माफी के लिए आवेदन

उत्तरदाताओं/दावेदारों, और प्रवर्तन का निर्देश दिया

पुरस्कार।

उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित सरकार ने इसके समक्ष वर्तमान दीवानी अपील दायर की है।अदालत। इस न्यायालय ने दिनांकित आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया

17.06.2020 , और पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

अगले आदेश तक।

तत्पश्चात, प्रत्यर्थियों ने आई. ए. सं. 61469 दाखिल किया

2020 दिनांकित यथास्थिति के आदेश में संशोधन के लिए

17.06.2020 , और अंतरिम निर्देशों के लिए। आई. ए. को 22.07.2020 पर सुनवाई के लिए लिया गया था, जब यथास्थिति के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था और एक निर्देश जारी किया गया था कि

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.05.2020 और 04.06.2020 आदेशों के अनुसार तेल विपणन कंपनियों द्वारा उत्तरदाताओं को सीधे बिक्री राजस्व का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि, यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा।

वर्तमान में लंबित रहने के दौरान 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बैंक गारंटी/जमा के संबंध में कार्य करना।

कार्यवाही।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्ताव

श्री. के. के. वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी

भारत ने श्री के. आर. शशिप्रभु, अधिवक्ता द्वारा निर्देश दिया

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि पुरस्कार के प्रवर्तन को निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है:

याचिका की रखरखाव क्षमता

(अ)

याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि

((i)

आवेदन की रखरखाव इस आधार पर कि

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए याचिका

धारा 47 के तहत सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।

चूंकि विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए सीमा अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है

अवशिष्ट प्रावधान-अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है।

((ख)

अनुच्छेद 137 विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन पर लागू होता है, जो "जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है" से 3 साल की अवधि प्रदान करता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि आवेदन करने का अधिकार पुरस्कार देने की तारीख से प्राप्त होगा।

वर्तमान मामले में, पुरस्कार 18.01.2011 पर पारित किया गया था, और प्रवर्तन/निष्पादन के लिए याचिका उत्तरदाताओं द्वारा 14.10.2014 पर दायर की गई थी। याचिका पर सीमा अवधि से आगे 268 दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी।

के उद्देश्यों के लिए निष्पादन याचिका

(iii)

सीमा अधिनियम को सी. पी. सी. के आदेश XXI के प्रावधानों के तहत एक आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए। 1996 के अधिनियम की धारा 49 के तहत एक विदेशी पुरस्कार का निष्पादन, बी. सी. सी. आई. बनाम कोच्चि में आयोजित आदेश XXI सी. पी. सी. के तहत किया जाता है।

क्रिकेट (पी) लिमिटेड '

((iv)

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 में एक

आदेश XXI, सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन।

धारा 5 निम्नानुसार है:

" 5. किसी भी अपील या किसी भी आवेदन में निर्धारित अवधि का विस्तार, अन्य

मामले।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत एक आवेदन को निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त कारण था अपील को प्राथमिकता देना या आवेदन करना

ऐसी अवधि के भीतर।

(जोर दिया गया)

3) 6 एससीसी 287।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

नतीजतन, आवेदन दाखिल करने में देरी

प्रवर्तन/निष्पादन को माफ नहीं किया जा सका।

भले ही यह माना जाता है कि उत्तरदाता सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं, उत्तरदाता क्षमा के लिए पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहे।

प्रवर्तन याचिका दायर करने में देरी। मलेशिया में अदालतों के समक्ष पुरस्कार की चुनौती के लंबित होने का आधार, क्षमा के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सका

देरी से।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने गलती से अभिनिर्धारित किया

कि एक मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए एक आवेदनयह सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 136 के तहत 12 साल की सीमा अवधि द्वारा शासित होगा। अनुच्छेद 136 दीवानी अदालत के किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए एक आवेदन से संबंधित है। यह निष्कर्ष इसके विपरीत है।

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक में एक्सप्रेस होल्डिंग के लिए

महिंद्रा बैंक, 2 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 136 द्वारा निर्धारित 12 वर्ष की सीमा की अवधि केवल भारतीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश पर लागू होती है। विदेशी पुरस्कार नहीं मिल सका। इसे दीवानी अदालत की डिक्री माना जाए।

यह प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का तर्क 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि यह

धारा 49 के व्यक्त शब्दों को नजरअंदाज कर दिया है, जो प्रदान करता है कि अदालत को "संतुष्ट होने की आवश्यकता होगी कि विदेशी

पुरस्कार इस अध्याय के तहत प्रवर्तनीय है। यह था।

प्रस्तुत किया कि यह आगे अधिनियम की धारा 46 की भाषा द्वारा समर्थित है जो पहले एक जांच का अनुमान लगाती है

कहा जाता है कि पुरस्कार अदालत की डिक्री का दर्जा प्राप्त करता है। एल. डी. द्वारा अपनाई गई उद्देश्यपूर्ण व्याख्या। एकल न्यायाधीश, का उपयोग व्यक्त शर्तों को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता था

कानून।

विदेशी पुरस्कार देने के उद्देश्य से

लागू करने योग्य, भाग II के तहत उपलब्ध प्रक्रिया

अधिनियम का पालन करना आवश्यक है। एक समग्र के माध्यम से ऐसे विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन और निष्पादन के लिए एक याचिका

एनलाइन एससी 324।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

धारा 47 के तहत याचिका दायर करना आवश्यक है। एक विदेशी पुरस्कार तब तक एक डिक्री नहीं बन जाता है जब तक कि यह धारा 47 से 49 के मस्टर को पारित नहीं करता है, जिसके बाद ही यह एक डिक्री का दर्जा प्राप्त करता है। यह तभी हुआ जब न्यायालय धाराओं के तहत विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता पर निर्णय देता है

47 48 तक, क्या विदेशी पुरस्कार को उस न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। इस तरह के निर्णय के बाद, विदेशी पुरस्कार को अधिनियम की धारा 49 के तहत एक मानित आदेश के रूप में घोषित किया जाता है।

1996 के अधिनियम की धारा 48 के तहत सकारात्मक निर्णय प्राप्त होने तक विदेशी पुरस्कार की कोई कानूनी पवित्रता नहीं है। धारा के तहत एक मानित डिक्री के रूप में लागू किए जाने से पहले विदेशी पुरस्कार को न्यायालय का अधिकार प्राप्त होता है।

49 1996 के अधिनियम से।

धारा 49 में प्रावधान है कि जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विदेशी पुरस्कार प्रवर्तनीय है, तो इसे न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। डीमिंग का सीमित उद्देश्य

कल्पना आदेश के तहत प्रदान की गई मशीनरी को लागू करना था

सी. पी. सी. का XXI भारतीय न्यायालयों को विदेशी पुरस्कारों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। विदेशी पुरस्कार भारत में दीवानी अदालत के आदेश में परिवर्तित नहीं होता है। विदेशी पुरस्कार एक मध्यस्थ पुरस्कार के रूप में अपना चरित्र नहीं खोता है। इसे केवल निष्पादन के उद्देश्यों के लिए न्यायालय की डिक्री माना जाता है।

भारत की सार्वजनिक नीति के आधार पर चुनौती

सरकार ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि विदेशी

रेनुसागर 3 निर्णय में व्याख्या की गई। इस न्यायालय में रेनुसागर का मानना था कि भारत की सार्वजनिक नीति, इस संदर्भ में

विदेशी पुरस्कारों में से: (क) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ख) भारत के हित; या (ग) न्याय या नैतिकता।

पी. एस. सी. प्रादेशिक जल में अपनी प्राकृतिक स्थिति में पेट्रोलियम की खोज और विकास से संबंधित है। और भारत का महाद्वीपीय शेल्फ, जो भारत संघ में निहित है। सरकार चाहती थी कि अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग के अनुसार भारत के समग्र हित में पेट्रोलियम संसाधनों का दोहन किया जाए

अभ्यास।

1) एससीसी 644।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

पाठ (1) में पी. एस. सी. स्पष्ट रूप से बताता है कि पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन होने के नाते सरकार में निहित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 के तहत। चूंकि पी. एस. सी. एक प्राकृतिक संसाधन के अन्वेषण से संबंधित था, इसलिए पी. एस. सी. के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित का एक अंतर्निहित चरित्र था, और प्राकृतिक गैस भारत के लोगों के संप्रभु विश्वास में रखी गई थी। उत्पादित पेट्रोलियम पर संप्रभुता राष्ट्र के पास बनी रहेगी, क्योंकि प्राकृतिक गैस एक संसाधन है जो पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 के दायरे में आता है।

विद्वान ए. जी. की ओर से प्रस्तुत किया गया

भारत सरकार ने कहा कि यह पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत था। न्यायाधिकरण ने रवव विकास योजना के साथ पठित अनुच्छेद 15.5 (सी) के विभिन्न खंडों और विशेष रूप से संलग्नक 10 को नजरअंदाज कर दिया था।

इसमें उत्तरदाताओं को आधार के रूप में देय अमेरिकी डॉलर 188.98 मिलियन की "राशि" की गणना का आधार शामिल था।

विकास लागत। रावव विकास योजना के साथ पढ़ा गया पी. एस. सी. का अनुच्छेद 15.5 (सी) दोनों पक्षों के बीच विवाद का आधार बना। अनुच्छेद 15.5 (ग) में प्रावधान किया गया है कि आधार विकास लागत का अर्थ होगा -

ऐसी सुविधाओं के निर्माण और/या स्थापना से संबंधित प्रभावी तिथि जो उत्पादन के लिए आवश्यक थी।

रवा विकास योजना के अनुसार 35,000 बी. ओ. पी. डी. कच्चे तेल के उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए मौजूदा खोजों के भीतर से पेट्रोलियम। ऐसी लागतों में उसमें उल्लिखित सुविधाओं की सूची के संबंध में की गई लागत शामिल होगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगी। पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) के तहत उपखंड (xi) में विशेष रूप से उन्नीस (19) तेल कुओं और दो (2) गैस उत्पादन कुओं की खुदाई का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15.5 (सी) के तहत पक्षों ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की थी कि ठेकेदार की आधार विकास लागत यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन की "राशि" होगी, जैसा कि रावव विकास योजना में इंगित किया गया है, जो पी. एस. सी. का एक अभिन्न अंग था। [2020] 12 एस. सी. आर. के रूप में 21 कुओं की खुदाई को ध्यान में रखते हुए यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन की राशि दी गई।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, विशेष रूप से रववा को संलग्नक 10 पर गौर करने में न्यायाधिकरण की विफलता विकास योजना, जो पी. एस. सी. का एक अभिन्न अंग थी और जिसमें आधार विकास लागत के रूप में देय राशि की गणना शामिल थी, विवेक को झकझोर देगी।

एल. डी. ए. जी. ने तर्क दिया कि उक्त योजना में यू. एस. $188.98 मिलियन की राशि की गणना शामिल हैपी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) के तहत आधार विकास लागत के लिए भुगतान किया गया। रववा योजना ने अनुमानित लागत प्रदान की

रावा फील्ड में एक कुएं को खोदने के लिए 24.3 लाख अमेरिकी डॉलर। रवा विकास योजना के परिशिष्ट 2 में संलग्नक 10 आर 10 और आर 17 ब्लॉकों-तेल और संबद्ध गैस भंडारों के विकास को निर्धारित करता है। इसमें 19 कुओं, एस. पी. एम. और टैंकर की खुदाई और उन्हें पूरा करने का प्रावधान है।

लोडिंग लाइनें, चार प्लेटफार्म, उत्पादन/इंजेक्शन पाइपलाइन तट से क्षेत्र प्रवाह लाइनें, तटवर्ती तेल प्रक्रिया सुविधाएं, तटवर्ती तेल भंडारण, गैस उपचार और संपीड़न, जल इंजेक्शन, गैस लिफ्ट पाइपलाइन और

रवा विकास लागत (अर्थात 210.1 + 16.9) के लिए देय कुल राशि 218 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद परित्याग लागत के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात शुल्क के लिए 11.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती, देय राशि

यह अमेरिकी डॉलर <आई. डी. 1 मिलियन तक काम करेगा, जो पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) में उल्लिखित राशि है।न्यायाधिकरण ने 35,000 बी. ओ. पी. डी. प्राप्त करने के अनुच्छेद 15.5 (सी) में उल्लिखित एक पृथक मानदंड के आधार पर दावेदारों के पक्ष में पुरस्कार पारित किया।

वास्तव में, द मेंट ऑफ इंडिया v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

दावेदार अन्य बातों के साथ-साथ विकास सुविधाओं के संबंध में अनुच्छेद 15.5 (सी) में बताई गई अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे, जिसमें 19 तेल कुओं और 2 गैस भंडारों की खुदाई शामिल थी। इसका विशेष रूप से रव में उल्लेख किया गया है।

विकास योजना, जो पी. एस. सी. का एक अभिन्न अंग था जैसा कि पी. एस. सी. के अनुच्छेद 11.2 में कहा गया है। एक पृथक मानदंड के आधार पर दावा तय करके, इसने अन्य सभी शर्तों को मंजूरी दे दी थी, जो पक्षों के बीच अनुबंध की अनिवार्य शर्तों को फिर से लिखने और सरकार को दायित्वों के साथ थोपने के बराबर होगी, जिन पर कभी सहमति नहीं बनी थी। मध्यस्थता निर्णय का शुद्ध परिणाम यह था कि भारत सरकार को लगभग 1,600 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ, जो भारत के हितों के विपरीत होगा। न्यायाधिकरण की अनुच्छेद 15.5 (सी) की व्याख्या का उपखंड की साधारण भाषा को प्रतिस्थापित करने का प्रभाव पड़ा।

अनुच्छेद 15.5 (सी) अर्थात 35,000 बी. ओ. पी. डी. में निर्दिष्ट उत्पादन की दैनिक दर उत्पादन की 'पठार' दर थी जिसे प्राप्त किया जाना था और एक निश्चित अवधि के लिए बनाए रखा जाना था। अनुबंध अवधि के 6 वर्ष की अवधि। यह उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक बार का लक्षय नहीं था। 35, 000 बी. ओ. पी. डी. के उत्पादन की स्थिर दर यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन की सीमा से संबंधित नहीं हो सकती थी, जो केवल 21 कुओं सहित अनुच्छेद 15.5 (सी) के तहत निर्दिष्ट सुविधाओं की स्थापना के लिए की गई लागत से संबंधित थी।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण यह नोट करने में विफल रहा कि अमेरिकी डॉलर 188.98 की सीमा

मिलियन पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) में उल्लिखित सुविधाओं से संबंधित था, जिसमें स्पष्ट रूप से 19 तेल के कुओं और दो गैस कुओं की खुदाई और पूरा करना शामिल था। न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन की सीमा केवल 35,000 बी. ओ. पी. डी. के उत्पादन लक्षय की प्राप्ति से संबंधित है, और 14 कुओं की खुदाई पर यू. एस. $188 मिलियन के सीमित आंकड़े को समायोजित किया, जब 35,000 बी. ओ. पी. डी. की उत्पादन क्षमता हासिल की गई थी। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उसके बाद खोदे गए 7 कुओं के संबंध में 27.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत का वहन सरकार को करना होगा।

सरकार उत्तरदाताओं को।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जवाबी दावा उठाया गया था

सरकार द्वारा अनुच्छेद में संक्षेप में निपटाया गया था

100 पुरस्कार और न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष दिया जो अनुबंध के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान के खंड 33.1 और 33.2

पी. एस. सी. ने प्रावधान किया कि पी. एस. सी. को भारतीय कानून के अनुसार शासित और व्याख्या की गई थी। मध्यस्थता के स्थान पर मलेशियाई न्यायालयों ने पुरस्कार को चुनौती देते समय गलती से मलेशियाई मध्यस्थता अधिनियम (अधिनियम 646), 2005 लागू किया था। पी. एस. सी. के अनुच्छेद 33 द्वारा अनिवार्य भारतीय कानून के आधार पर पुरस्कार का परीक्षण किया जाना था। पी. एस. सी. की व्याख्या भारतीय कानून के अनुसार की जानी थी।

रिलायंस को अनुच्छेद 76.4 पर रखा गया था

रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम में निर्णय भारत संघ,

4

जिसमें इस न्यायालय ने उस निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में कहा था कि चूंकि अनुबंध को नियंत्रित करने वाली मूल कानून भारतीय कानून है, इसलिए इंग्लैंड के न्यायालयों (मध्यस्थता का स्थान) को भी सार्वजनिक नीति के भारतीय कानून को लागू करके मध्यस्थता के मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

इस मामले में मलेशियाई अदालतों ने गलती की थी

पुरस्कार की वैधता को बनाए रखने के लिए मलेशिया के मध्यस्थता अधिनियम को लागू किया।

सी 603।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व श्री सी. ए. सुंदरम ने किया और इबल, वरिष्ठ अधिवक्ता।

एन सीमा

यह तर्क दिया गया था कि 1996 के अधिनियम की धारा 49 के तहत, विदेशी पुरस्कार भारतीय अदालत का एक फरमान बन जाता है, जब पुरस्कार पर आपत्तियों का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है।

प्रवर्तन न्यायालय।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 में एक अवधि निर्धारित की गई है।

दीवानी अदालत की डिक्री की तारीख से 12 साल, जो एक विदेशी पुरस्कार के निष्पादन के लिए उपयुक्त प्रावधान होगा। वर्तमान मामले में, विदेशी पुरस्कार 18.01.2011 पर पारित किया गया था, और उत्तरदाताओं के पास पुरस्कार को लागू करने की मांग करने के लिए 12 साल की अवधि थी।

17.01.2023 . इसलिए फांसी की याचिका दायर की गई थी।

सीमा अवधि के भीतर।

वैकल्पिक रूप में, यह तर्क दिया गया था कि यदि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 इसके लिए लागू माना जाता है

यदि विधायिका का इरादा होता, तो यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया होता। आवेदन करने का अधिकार बाद की तारीख को भी प्राप्त हो सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है।पुरस्कार 18.01.2011 पर पारित किया गया था जिसमें उत्तरदाताओं-दावेदारों के पक्ष में एक घोषणा दी गई थी। द.

भारत सरकार का जवाबी दावा आंशिक रूप से था

अनुमति दी, उत्तरदाताओं को लागत को संशोधित करने का निर्देश दिया

पुनर्प्राप्ति कथन। नतीजतन, उत्तरदाताओं-दावेदारों द्वारा भारत सरकार को 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देय हो गई।

10.07.2014 पर, भारत सरकार ने दावेदारों को कारण दिखाने के लिए एक नोटिस जारी किया कि क्यों 7.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि से सीधे वसूली नहीं की जानी चाहिए।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा देय।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि आवेदन करने का अधिकार

यह आगे तर्क दिया गया कि सीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मध्यस्थता के स्थान पर अंतिमता। वर्तमान मामले में, पुरस्कार ने 10.05.2016 पर सीट कोर्ट में अंतिमता प्राप्त की, जब

मलेशिया के संघीय न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया

भारत सरकार अपील करने की अनुमति मांग रही है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि चाहे

विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन, धारा 5 यह दोनों मामलों में लागू होता है। सीमा अधिनियम की धारा 5 किसी भी अपील या किसी भी आवेदन पर लागू होती है।

प्रवर्तन/निष्पादन के लिए आवेदन प्रतिवादी-दावेदारों द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 47 और 49 के तहत दायर किया गया था, जो कि फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम में निर्णयों के अनुसार एक समग्र आवेदन था। जिंदल

स्टीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड "। यह आगे तर्क दिया गया कि सीमा तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है। रिलायंस को अनुच्छेद पर रखा गया था

113 सीमा अधिनियम, जो प्रदान करता है कि किसी भी मुकदमे के लिए

जिसमें सीमा की कोई अवधि कहीं और प्रदान नहीं की गई है

अनुसूची, सीमा की अवधि उस तारीख से 3 साल है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। वकील ने निर्भरता रखी

शक्ति भोग फूड में इस अदालत के फैसले पर

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारतीय केंद्रीय बैंक '। अनुच्छेद 137 फाइल करने के लिए अनुच्छेद 113 में अवशिष्ट प्रावधान के समान है।

आवेदन, जिनके लिए कोई सीमा अवधि नहीं है

इस प्रभाग में कहीं और प्रदान किया गया है, और आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने की तारीख से 3 साल की अवधि प्रदान करता है।यदि मूल आवेदन 1996 के अधिनियम की धारा 47 और 49 के तहत दायर किया गया था, तो यह आदेश के तहत नहीं आएगा।

सी. पी. सी. का XXI, और इसलिए धारा 5 के तहत एक आवेदन

सी 356।

302 .

एनलाइन एससी 482।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

सीमा अधिनियम, 1963 बनाए रखने योग्य होगा।

इसके अलावा, चूंकि कानून में अनिश्चितता थी, क्योंकि

मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन के लिए सीमा निर्धारित की थी

एक विदेशी पुरस्कार 12 साल का होगा, जबकि बॉम्बे हाई

अदालत ने इसे 3 साल माना, पर्याप्त आधार था

विलम्ब को क्षमा करने के लिए।

यह प्रस्तुत किया गया था कि इसके बीच एक अंतर है

के आदेश XXI के तहत एक विदेशी डिक्री का निष्पादन सी. पी. सी., और 1996 अधिनियम की धारा 49 के तहत एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन। इसके अलावा, भले ही धारा 36 सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार एक घरेलू पुरस्कार के प्रवर्तन को संदर्भित करती है, धारा 49 का उल्लेख नहीं है

सीपीसी।विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन इस प्रकार धारा 47 के तहत एक ठोस आवेदन था

1996 अधिनियम, और सी. पी. सी. के आदेश XXI के तहत एक नहीं। द.

परिणामस्वरूप धारा 5 के प्रावधान लागू होंगे -

प्रवर्तन के लिए आवेदन, और उच्च न्यायालय था आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने का अधिकार।

भारत की सार्वजनिक नीति

यह प्रस्तुत किया गया था कि पक्षों के बीच विवाद।

पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) की व्याख्या से संबंधित है,

जो आधार विकास की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रावधान करता है

प्रत्यर्थी द्वारा की गई लागत-रवव में दावेदार

मैदान।अनुच्छेद 15.5 (सी) ने निर्धारित किया कि उत्तरदाता उन सुविधाओं के लिए बी. डी. सी. के रूप में यू. एस. $198 मिलियन ($188 मिलियन + 5 प्रतिशत) की वसूली करने के हकदार थे, जिन्हें उन्होंने एक लक्षय प्राप्त करने के लिए विकसित किया था।

35, 000 बीओपीडी की उत्पादन क्षमता। उस समय जब पी. एस. सी. में प्रवेश किया गया था, यह परिकल्पना की गई थी कि

35, 000 बी. ओ. पी. डी. की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए 21 कुओं की आवश्यकता होगी। हालांकि, उत्पादन क्षमता थी उत्तरदाताओं द्वारा 14 के निर्माण के साथ प्राप्त किया गया

कुएँ।

उत्तरदाताओं ने निम्नलिखित रूप में बी. डी. सी. की वसूली का दावा किया:(क) के उत्पादन प्रोफाइल को प्राप्त करने के लिए 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर

35,000 बीओपीडी, 1999/2000 द्वारा खर्च किया गया; और [2020] 12 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

(ख) उत्पादन प्रोफ़ाइल को 35,000 बी. ओ. पी. डी. से 50,000 बी. ओ. पी. डी. तक बढ़ाने के लिए 278 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2000/2001 से खर्च किया गया।

2008/2009 तक।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन की सीमा केवल ऐसी सुविधाओं पर लागू थी जो 35,000 बी. ओ. पी. डी. की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक थीं, जो इस मामले में 14 कुओं की खुदाई द्वारा प्राप्त की गई थी। उत्तरदाताओं को पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) में सूचीबद्ध 21 कुओं को यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन की सीमा के भीतर विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी।

न्यायाधिकरण ने पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) की सही व्याख्या की थी, जिसमें कहा गया था कि यू. एस. $198 मिलियन की सीमा

1999-2000 तक 14 कुओं की खुदाई करके 35,000 बी. ओ. पी. डी. की उत्पादन क्षमता हासिल की, उत्तरदाताओं को यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन की वसूली करने का अधिकार था।शेष 7 कुओं के संबंध में, यह पाया गया कि रवा क्षेत्र भौतिक रूप से अलग था।

मूल रूप से मानी गई जलाशय विशेषताओं की तुलना में

जब पी. एस. सी. को निष्पादित किया गया था। तदनुसार, अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) के तहत ट्रिगर 1999-2000 से 2007-2008 तक की अवधि के दौरान लागू हुआ। ड्रिलिंग के लिए

शेष 7 कुओं में से, उत्तरदाता 27.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि के हकदार थे।

यह तर्क दिया गया कि पुरस्कार के तहत न्यायाधिकरण ने पक्षों के पक्ष में घोषणाएं की थीं। न्यायाधिकरण ने उस तरीके को बरकरार रखा था जिसमें प्रत्यर्थियों-दावेदारों ने पी. एस. सी. के तहत उनकी देय लागत की गणना और वसूली की थी। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों द्वारा भारत सरकार को देय 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि घोषित की थी, जिसका भुगतान पुरस्कार पारित होने के बाद किया गया था।

यह तर्क दिया गया कि पी. एस. सी. की व्याख्या और पुरस्कार के गुण-दोष की समीक्षा का मुद्दा 1996 के अधिनियम की धारा 48 के तहत नहीं उठाया जा सकता है। धारा 48 के तहत जांच का दायरा सीमित है, और भारत के अपीलार्थी v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

न्यायालय को पुरस्कार पर "दूसरी बार गौर" करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते।

योग्यता पर समीक्षा की मांग करके।

रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया था

श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोग्रेटो ग्रानो स्पा, जिसमें यह यह माना गया था कि:

“ 45. इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 48 में कोई प्रावधान नहीं है।

विदेशी पुरस्कार पर 'दूसरी नज़र' डालने का अवसर

पुरस्कार-प्रवर्तन चरण। जाँच के दायरे के तहत

अस्वीकार्य साक्षय या साक्षय को अनदेखा/अस्वीकार करना जो बाध्यकारी प्रकृति का हो सकता है) विदेशी पाठ्यक्रम में

मध्यस्थता अनिवार्य रूप से एक पुरस्कार को माफ करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैसार्वजनिक नीति के आधार पर प्रवर्तन।

XXX

47. विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता पर विचार करते हुए,

न्यायालय अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करता है

विदेशी पुरस्कार और न ही यह पूछताछ करता है कि क्या, जबकि

विदेशी पुरस्कार प्रदान करने में कुछ त्रुटि हुई है।

धारा 48 (2) (बी) के तहत विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

मना तभी किया जा सकता है जब ऐसा प्रवर्तन विपरीत पाया जाए

(1) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (2) हितों के लिएभारत का; या (3) न्याय या नैतिकता। द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ

अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है और,

इसलिए विदेशी पुरस्कारों को इसके विपरीत नहीं माना जा सकता है।

धारा के तहत विचार के अनुसार भारत की सार्वजनिक नीति के लिए

48 (2) (ख) "।

इस दृष्टिकोण को अधिनियम की धारा 48 (2) के स्पष्टीकरण 2 द्वारा और मजबूत किया गया है जो स्पष्ट करता है कि "इस बात का परीक्षण कि क्या कोई

भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ संबंध नहीं होगा।

मैं विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा करता हूँ। "

(viii)

रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया था

विजय करिया बनाम प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एस. आर. एल., जिसमें

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन नहीं हो सकता है

4) 2 एससीसी 433।

एससीसी ऑनलाइन एससी 177।

अनुबंध की एक अलग व्याख्या करके अस्वीकार कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 45. अमेरिकी मामलों से पता चलता है कि "प्रो" को देखते हुए

मध्यस्थता अधिनियम, 1996-पक्षों पर सबूत का बोझप्रवर्तन की मांग अब पार्टियों पर रखी गई है

देश की सार्वजनिक नीति की आड़ में विदेशी पुरस्कारों को अलग नहीं रखा जा सकता है

दूसरा मध्यस्थ की व्याख्या का अनुमान लगाना

पक्षों का समझौता; चुनौती प्रक्रिया

प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में अधिक छूट देता है

न्यायालयों का किसी अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए संकीर्ण से अधिक

न्यूयॉर्क में निहित प्रतिबंधात्मक आधार कन्वेंशन जब एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन होता है

विरोध किया।

XXX

96 ..... जैसा कि आयोजित किया गया है, कुछ का उल्लेख करते हुए

ऊपर उद्धृत निर्णय, विशेष रूप से श्री लाल

महल (ऊपर), एक समझौते की व्याख्या

एक मध्यस्थ द्वारा विकृत होना एक आधार नहीं है किनिहित किसी भी आधार के तहत बनाया जा सकता है

धारा 48 (1) (बी) में। इसलिए प्रवेश किए बिना क्या न्यायाधिकरण की व्याख्या संतुलित है,

सही या यहां तक कि प्रशंसनीय, इस आधार को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(जोर दिया गया)

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि पक्षों ने

स्वेच्छा से कुआलालंपुर, मलेशिया को मध्यस्थता की सीट के रूप में चुना गया। इस तरह का विकल्प चुनने के बाद, सरकार भारतीय सार्वजनिक नीति की आड़ में अपने मामले के गुण-दोष पर पुनर्विचार करने के लिए भारतीय अदालतों को आमंत्रित नहीं कर सकी। इस संबंध में, भारत में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई थीएल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा कंपनी 0 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

सी 648।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

" 116. सभी निर्णयों के परिप्रेक्षय से जो कानूनी स्थिति सामने आती है, वह यह प्रतीत होती है कि मध्यस्थता के स्थान के रूप में किसी अन्य देश का चयन अनिवार्य रूप से होता है।यह स्वीकार करता है कि मध्यस्थता के संचालन और पर्यवेक्षण से संबंधित उस देश का कानून कार्यवाही पर लागू होगा।

XXX

163. हमारी राय में, उपरोक्त निर्णय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि पक्षों को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया गया था। बल्कि इंग्लैंड में इसके तार्किक निष्कर्ष तक उपचार का अनुसरण किया गया। केवल इसलिए कि ऐसी परिस्थितियों में उपचार एक पक्ष के दृष्टिकोण से अधिक कठिन हो सकता है, एक पक्ष को उपचार के बिना छोड़ने के समान नहीं है। समान स्थिति उन मामलों में होगी जहां पक्ष इस संबंध में अंतरिम राहत चाहते हैं परिसंपत्तियों का संरक्षण। एक बार जब दलों ने चुना है

स्वेच्छा से कि मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर होगा, उन्हें निहित रूप से आवश्यक घटनाओं और परिणामों को चुनने के लिए भी समझा जाता है

इस तरह का चुनाव। इसलिए, हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों में कोई सार नहीं पाते हैं, कि यदि भाग I की प्रयोज्यता सीमित है जो मध्यस्थता भारत में होती है, वह कई पक्षों को बिना उपचार के छोड़ देगी।

(जोर दिया गया)

वकील ने प्रस्तुत किया कि द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

न्यायाधिकरण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था, क्योंकि अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) एक अपवाद है अर्थात जब इसकी सीमा में परिवर्तन होता है।

भौतिक जलाशय में, आधार विकास लागत की सीमा बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान मामला इस अपवाद में पड़ता है। यह तर्क दिया गया कि खंड 15.5 (सी) ने "आधार विकास लागत" को परिभाषित किया है जिसका अर्थ है ऐसी सुविधाओं के निर्माण और/या स्थापना से संबंधित प्रभावी तिथि के बाद की गई लागत जो "आवश्यक हैं" -

रवा के अनुसार 35,000 बी. ओ. पी. डी. कच्चे तेल के उत्पादन को सक्षम करने के लिए पेट्रोलियम का उत्पादन करें

विकास योजना। यह तर्क दिया गया कि दावेदारों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लक्षय 35,000 बी. ओ. पी. डी. का उत्पादन करना था।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण ने अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) पर सही ढंग से भरोसा किया।

विद्यमान जलाशय की भौतिक विशेषताएँ खोजों को उनसे भौतिक रूप से अलग पाया गया

जिस पर रवा विकास योजना आधारित थी। द.उत्तरदाताओं ने 35,000 बी. ओ. पी. डी. का लक्षय हासिल किया था

1999-2000 14 कुओं की खुदाई के साथ। आगे के कुएँ

जिन्हें बाद में ड्रिल किया गया था, उन्हें ध्यान में रखा जाएगामौजूदा भंडारों की परिवर्तित भौतिक विशेषताएँ।

न्यायाधिकरण ने अनुच्छेद 15.5 (सी) (xi) की सही व्याख्या की थी -

अभिनिर्धारित करें कि यह उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया वचन नहीं था

21 कुओं को खोदने के लिए, भले ही केवल 14 की आवश्यकता थी।

इसलिए पुरस्कार के साथ विरोधाभास नहीं था

भारत की सार्वजनिक नीति, और इसके लिए आधार आकर्षित नहीं किया

धारा 48 के तहत परिकल्पित प्रवर्तन से इनकार

1996 एक्ट करें।

चर्चा और विश्लेषण

प्रवर्तन/निष्पादन दाखिल करने के लिए एक सीमा

धारा 47 के तहत विदेशी पुरस्कार की याचिका

1996 अधिनियम

)

इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार रखे गए हैं।

की अवधि के संबंध में कुछ उच्च न्यायालयों द्वाराकिसी विदेशी को लागू करने के लिए याचिका दायर करने की सीमा

1996 के अधिनियम के तहत पुरस्कार। इसलिए यह बन गया है

इस मुद्दे पर कानून का निपटारा करना आवश्यक है।

नोय वालेसिना इंजीनियरिंग स्पा बनाम जिंदल ड्रग्स लिमिटेड 11

बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा

कि किसी के द्वारा प्रदान की गई कोई सीमा अवधि नहीं हैसीमा अधिनियम की अनुसूची में अनुच्छेद, के लिए

विदेशी पुरस्कार के निष्पादन के लिए आवेदन करना।

यह माना गया था कि एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

यह दो चरणों में होना चाहिए। पहले चरण में,

बी एलआर 510।

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता तय की जाएगी, जो अवशिष्ट प्रावधान यानी अनुच्छेद 137 द्वारा नियंत्रित होगी, जो आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होने से 3 साल के लिए प्रदान करता है। पुरस्कार की प्रवर्तनीयता का मुद्दा निर्धारित होने के बाद, पुरस्कार को एक डिक्री माना जाता है, और एक मानित डिक्री के रूप में पुरस्कार का निष्पादन अनुच्छेद 136 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो 12 साल की अवधि प्रदान करता है।

लुई ड्रेफस कमोडिटीज सुइस बनाम सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 1 2

एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा एक और दृष्टिकोण लिया गया था

इस मामले में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विदेशी अधिनिर्णय के प्रवर्तन के लिए सीमा की अवधि उस तारीख से 3 वर्ष होगी जब आवेदन करने का अधिकार अर्जित होता है अर्थात सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137।

आईमैक्स कॉर्पोरेशन बनाम ई-सिटी एंटरटेनमेंट (आई) प्राइवेट। लिमिटेड 13

आईमैक्स में, एक तीसरा दृष्टिकोण बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया था, जो फ्यूर्स्ट डे लॉसन, 1 4 में निर्णय और अभिनिर्धारित किया कि तब से

1996 के अधिनियम की धारा 47 और 49 के तहत पुरस्कार के निष्पादन के लिए लिया जाता है। एक कार्यवाही में हो सकता है विभिन्न चरणों में, पहला चरण यह है कि न्यायालय को उक्त प्रावधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की प्रवर्तनीयता पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी; और उसके बाद, पुरस्कार के निष्पादन के लिए आगे के कदम उठाने के लिए आगे बढ़ें। यह निष्कर्ष निकाला गया कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 136 विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए लागू होगा।

सीआर 258। ओम 82। 56.

[2020] 12 एस सी आर।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

एम/एस। कम्पानिया नेवेरा 'सोडनॉक' बनाम भारत रिफाइनरीज लिमिटेड 1 5 15

मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि

धारक, और इसके लिए 12 साल की अवधि होगीप्रवर्तन।

केयर्न इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ 1

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में

इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 136एक विदेशी के प्रवर्तन के लिए लागू होगा

पुरस्कार। पुरस्कार का निष्पादन तीन चरणों में होता है: अभिगम्यता, मान्यता और प्रवर्तन। धारा 47 पहले और दूसरे चरणों से संबंधित है अर्थात पहुँच और

मान्यता। एक विदेशी पुरस्कार जो प्रवेश द्वार से गुजरता हैधारा 47 उस स्तर पर अपने आप लागू करने योग्य है।

एक 'विदेशी डिक्री' के रूप में ताकत, और आवश्यक रूप से इस बात पर निर्भर नहीं है कि यह प्रक्रिया से गुजरता है या नहीं

धारा 48। इस तरह के विदेशी पुरस्कार को माना जाता है

एक विदेशी डिक्री के बराबर, जिसका प्रवर्तन हो सकता है

केवल धारा 48 के तहत अस्वीकार किया जाए। धारा 48 पूर्व

मान लीजिए कि एक विदेशी पुरस्कार एक डिक्री है जिसका निष्पादन का विरोध एक पक्ष द्वारा किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह है

निष्पादित किए जाने की मांग की गई, यदि यह उस बोझ का निर्वहन करने में सक्षम है जो आपत्तियों को एक या अधिक के तहत बनाए रखा जा सकता हैउप-धारा (1) और/या उप-धारा (2) के खंड

1996 के अधिनियम की धारा 48।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 136

याचिका दायर करने के लिए सीमा अधिनियम लागू होगा।विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए। भले ही यह माना जाता है

कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होता है,

देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार थे

आग्रह किया गया क्योंकि आवेदक ईमानदार थे

विश्वास है कि एक के प्रवर्तन के लिए सीमा की अवधि

आर 344। एनई एससी 324।

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

विदेशी पुरस्कार पुरस्कार की तारीख से 12 साल पहले दिया जाता था।

जैसा कि मद्रास द्वारा कम्पानिया नेवेरा (ऊपर) में आयोजित किया गया था उच्च न्यायालय।

विभिन्न उच्च अधिकारियों द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी रुख को देखते हुए

अदालतें, अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

विदेशी प्रवर्तन के लिए सीमा का मुद्दा

पुरस्कार प्रक्रियात्मक प्रकृति के होने के कारण, लेक्स के अधीन हैं।

फोरम (राज्य) का कानून जहां विदेशी

मान्यता और प्रवर्तन पर यॉर्क सम्मेलनविदेशी पुरस्कार, 1958 में कहा गया है:

" प्रत्येक संविदाकारी राज्य मध्यस्थता को मान्यता देगा।

प्रक्रिया के नियमों के अनुसार क्षेत्र जहाँ पुरस्कार पर भरोसा किया जाता है, के तहत

निम्नलिखित अनुच्छेदों में निर्धारित शर्तें।

काफी अधिक नहीं लगाया जाएगा।

भारी शर्तें या अधिक शुल्क या शुल्क

मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता या प्रवर्तन

जिन पर यह कन्वेंशन लागू होता हैघरेलू मान्यता या प्रवर्तन में

मध्यस्थता पुरस्कार "।

(जोर दिया गया)

की रिपोर्ट को संदर्भित करना शिक्षाप्रद होगा

संयुक्त राष्ट्र आयोग की महासभा

अपने 41 वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर

16 जून-3 जुलाई, 2008 विधायिका के संबंध में

मान्यता पर समझौते का कार्यान्वयनऔर विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों का प्रवर्तन (न्यूयॉर्क)

1958) (UN Doc A/CN. 9/656/Add.1), जिसमें यह था

टेड रेल कार्पोरेशन 867 एफ सप 25,30 (डीडीसी 1994) एम फ्लाटो बनाम इस्लामिक

एन. डी. एफ. एम. सी. कार्पोरेशन 1999 यू. एस. डिस्ट्रिक लेक्सिस 18957; (2000) एक्स. एक्स. वी. वाई. बी. के. कॉम ने एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम एग्रोमर लाइनियस लिमिटेड (1989) कुवैत राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग का XIV वाई. बी. के. कम टेर बनाम सर

पार्टनर्स [1983] 1 डब्ल्यूएलआर 818 सीए; नॉर्दर्न सेल्स कंपनी लिमिटेड बनाम

विला नोवा एसए, फेडरल कोर्ट ऑफ अपील, विनीपेग, मैनिटोबा, 20

1993) XVIII Ybk Com Arbn 363; गुड चैलेंजर नवे गांते बनाम टी [2003] ईडब्ल्यूएचसी 10 (कॉम)।

[2020] 12 एस सी आर।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

यह उल्लेख किया गया है कि कन्वेंशन मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है और

विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन। कन्वेंशन के अनुच्छेद III में कहा गया है कि मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन उस राज्य की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए जहां पुरस्कार लागू किया जाना था। समय सीमा विशेष रूप से प्रदान की जा सकती है

कन्वेंशन पुरस्कारों की मान्यता या प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय कानून में, या यह एक सामान्य नियम हो सकता है

अदालती कार्यवाही पर लागू। 18

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन/निष्पादन याचिका दायर करने की सीमा अवधि

भारत में, भारतीय कानून द्वारा शासित होगा। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 किसी भी अवधि को निर्दिष्ट नहीं करता है -विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए आवेदन दायर करने की सीमा। हालांकि धारा 43 में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम, 1963 मध्यस्थता पर लागू होगा, जैसा कि यह अदालत में कार्यवाही पर लागू होता है।

सीमा अधिनियम, 1963 में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 136 और 137 संविधान के तीसरे खंड में आते हैं।

सीमा अधिनियम की अनुसूची। अनुच्छेद 136 में प्रावधान है कि "दीवानी अदालत" की किसी भी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए सीमा की अवधि उस तारीख से बारह साल है जब डिक्री या आदेश लागू करने योग्य हो जाता है।

अनुच्छेद 137 सीमा अधिनियम में अवशिष्ट प्रावधान है जो प्रदान करता है कि किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि जहां सीमा की कोई अवधि नहीं है

अधिनियम में उपबंधित, "जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है" से तीन साल का होगा।

16 जून-3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की आंतरिक सभा, विदेश की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन के विधान के संबंध मेंन्यूयॉर्क 1958) (UN Doc A/CN. 9/656/Add.1) (UN Doc A/CN. 9/VERNMENT of India v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

अनुच्छेद 136 और 137 इस प्रकार हैं:

किस समय से

आवेदन का विवरण

अवधि सीमा

दौड़ना शुरू करें

136. किसी भी डिक्री के निष्पादन के लिए बारह वर्ष

जब डिक्री या आदेश

(एक देने वाली डिक्री के अलावा

लागू करने योग्य हो जाता है या कहाँ

अनिवार्य निषेधाज्ञा) या आदेश

डिक्री या कोई बाद का आदेश

आदेश किसी भी भुगतान का निर्देश देता है

कोई भी दीवानी अदालत।

धन या किसी की डिलीवरी

ए में बनाई जाने वाली संपत्ति

निश्चित तिथि या बार-बार होने पर

अवधि, जब डिफ़ॉल्ट रूप से

भुगतान करना या

जिसके संबंध में निष्पादन की मांग की जाती है, लिया जाता है

स्थान:

बशर्ते कि एक आवेदन ।प्रवर्तन के लिए

या

सीमा ।जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है।

137. इसके लिए कोई अन्य आवेदन

तीन साल

इसमें कहीं और प्रदान किया गया हैविभाजन।

(जोर दिया गया)

(vii)

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 36 एक

प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए वैधानिक कल्पना

न्यायालय के आदेश के रूप में एक 'घरेलू पुरस्कार' का, यहाँ तक कि

हालाँकि यह अन्यथा एक मध्यस्थता में एक पुरस्कार है

1 9 को आगे बढ़ाएँ। इस काल्पनिक कथा से, एक घरेलू पुरस्कार

20 न्यायालय की डिक्री मानी जाती है, भले ही यहइस प्रकार यह दीवानी अदालत द्वारा पारित डिक्री नहीं है। द.

मध्यस्थता न्यायाधिकरण को 'अदालत' नहीं माना जा सकता है और

मध्यस्थता कार्यवाही दीवानी कार्यवाही नहीं है। द.

कल्पना को पुरस्कार के रूप में मानने के लिए प्रतिबंधित है

निष्पादन के प्रयोजनों के लिए न्यायालय की डिक्री, यहां तक कि

हालाँकि यह वास्तव में केवल एक पुरस्कार है

मध्यस्थ कार्यवाही।

परम सिंह पाथेजा बनाम आई. सी. डी. एस. Ltd.2[1] 21 में, इस न्यायालय ने इस संदर्भ में

घरेलू पुरस्कार, माना जाता है कि कल्पना का उद्देश्य एक नहीं है

घ सभी प्रयोजनों के लिए या सभी कानूनों के तहत एक डिक्री, चाहे वह राज्य हो या

राल। यह एक कानूनी कल्पना है जो उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए

इश गोयल बनाम हिमाचल प्रदेश सहकारी समूह आवास सोसायटी लिमिटेड (2016) 11

313 .

दाराम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल समन और अन्र। (2018) 3 एससीसी 622। 06) 13 एससीसी 322।

[2020] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह बनाया गया था। परम पाथेजा के फैसले के पैराग्राफ 39 और 42 इस प्रकार हैं:

" 39. मध्यस्थता अधिनियम, 1899 की धारा 15 में पुरस्कार को "लागू" करने का प्रावधान है जैसे कि यह एक डिक्री हो। इस प्रकार एक अंतिम पुरस्कार, वास्तव में एक डिक्री द्वारा अनुसरण किए बिना (जैसा कि बाद में 1940 के मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 द्वारा प्रदान किया गया था), लागू किया जा सकता है यानी एक डिक्री के रूप में उसी तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। प्रवर्तन के इस सीमित उद्देश्य के लिए, दिए गए धन की प्राप्ति के लिए सी. पी. सी. के प्रावधान उपलब्ध कराए गए थे।

हालाँकि, यह पुरस्कार एक पुरस्कार बना रहा और न तो सी. पी. सी. में परिभाषित एक डिक्री बन गया और न ही दिवाला अधिनियम जैसे पूरी तरह से अलग क़ानून के उद्देश्यों का संबंध है।

42. शब्द "जैसे" उस पुरस्कार और डिक्री को प्रदर्शित करते हैं या

एक फरमान के रूप में प्रवर्तन का सीमित उद्देश्य। काल्पनिक कथा हैइसे सभी उद्देश्यों के लिए एक डिक्री बनाने का इरादा नहीं है

कानून, चाहे राज्य हो या केंद्र "।

(जोर दिया गया)

बंगाल में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

(viii)

प्रतिरक्षा बनाम बिहार राज्य और अन्य। , 22 माना कि कानूनी

कल्पनाएँ केवल किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। ए.

कानूनी कल्पना उस उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए यह

बनाया गया था, और यात्रा करना वैध नहीं होगा

उस उद्देश्य के दायरे से परे, और में पढ़ेंप्रावधान, कोई अन्य उद्देश्य कितना आकर्षक हो सकता है

बनो।

कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य में, 2,3 यह

न्यायालय ने कहा कि:

" 74. आयोग की रिपोर्ट के रूप में

भाषा सुझाव देगी, अंतिम बनाना था

दोनों राज्यों के लिए बाध्यकारी न्यायाधिकरण का निर्णय

और एक बार जब इसे इस न्यायालय की डिक्री माना जाता है,

फिर इसका बाध्यकारी प्रभाव पड़ता है। यह सुझाव दिया गया था कि

-5) 2 एससीआर 603। 7 (3) एससीसी 274।

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

धारा 6 (2) में प्रयुक्त भाषा से पता चलता है कि न्यायाधिकरण का निर्णय समान होगा।

इस न्यायालय के आदेश या डिक्री के रूप में बल। वहाँ

समान बल होने के बीच एक अंतर है

इस न्यायालय का कोई आदेश या डिक्री और

उचित निर्णय के बाद इस न्यायालय द्वारा डिक्री। संसद ने जानबूझकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है

जिसे यह माना जा सकता है कि एक कानूनी कल्पना है

जिसका उद्देश्य उस उद्देश्य की पूर्ति करना है जिसके लिए कथा

बनाया गया है और आगे की यात्रा करने का इरादा नहीं है

यह। उद्देश्य बाध्यकारी प्रभाव डालना है

न्यायाधिकरण का पुरस्कार और इसकी प्रभावशीलताप्रवर्तनीयता। इस प्रकार, यह संकीर्ण होना चाहिए

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि यह है सेवा करने के लिए।

(जोर दिया गया)

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक, 24

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सीमा का अनुच्छेद 136

अधिनियम केवल भारतीय न्यायालयों द्वारा पारित फरमानों से संबंधित है।

भारतीय न्यायालयों में दायर की जाने वाली अपीलें और आवेदन।जहाँ भी किसी आवेदन से निपटने की आवश्यकता महसूस की गई

उस स्थिति के लिए एक समय अवधि प्रदान की। विधायिका अनुच्छेद के तहत "विदेशी फरमानों" के संदर्भ को हटा दिया गया है

136 सीमा अधिनियम। विधायिका की मंशा

अनुच्छेद 136 को दीवानी अदालत के आदेशों तक सीमित रखना था।

भारत में। विदेशी फरमान के निष्पादन के लिए आवेदन

एक आवेदन होगा जो किसी अन्य के अंतर्गत नहीं आता है

सीमा अधिनियम का अनुच्छेद, और इसके अंतर्गत आएगा

सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137।

विदेशी पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक के आदेश नहीं हैं।

विदेशी पुरस्कार, इसे मान्यता दिए जाने के बाद औरधारा 48 के तहत प्रवर्तन, माना जाएगा

के सीमित उद्देश्य के लिए "उस न्यायालय" की एक डिक्री

लाइन 324।

[2020] 12 एस सी आर।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

प्रवर्तन। वाक्यांश "वह न्यायालय" न्यायालय को संदर्भित करता है।

जिसके तहत दायर याचिका पर निर्णय लिया गया है

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए धारा 47 और 49।

हमारे विचार में, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 136 किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि यह किसी नागरिक आदेश का आदेश नहीं है।भारत में न्यायालय।

संबंधित उच्च न्यायालय की मानित डिक्री के रूप में एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन [संशोधित अधिनियम के अनुसार]

2016 के अधिनियम 3 द्वारा धारा 47 का स्पष्टीकरण

के निष्पादन के लिए उच्च न्यायालय पर अनन्य अधिकार क्षेत्र

विदेशी पुरस्कार] अवशिष्ट द्वारा कवर किए जाएंगे।प्रावधान अर्थात सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137।

केरल में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेंद्रम बनाम टी. पी.कुन्हालियममा2 एस ने माना कि वाक्यांश "कोई अन्य

अनुच्छेद 137 में "आवेदन" की व्याख्या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन के रूप में इजूदेम जेनरिस के सिद्धांत पर नहीं की जा सकती है। वाक्यांश "कोई अन्य

अनुच्छेद 137 में उपयोग किए गए आवेदन में "आवेदन" शब्द के भीतर याचिकाएं शामिल होंगी, जो किसी विशेष के तहत दायर की जाएंगी।

अधिनियमन। यह सीमा अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत "आवेदन" की परिभाषा से स्पष्ट होगा। जिसमें एक याचिका शामिल है। अनुच्छेद 137 के तीसरे खंड के भाग I में अन्य सभी अनुच्छेदों से अलग है

सीमा अधिनियम, 1963।

किसी के अधीन दायर आवेदन का अपवर्जन

सीमा अधिनियम की धारा 5 के दायरे से सी. पी. सी. के आदेश XXI के प्रावधान वर्तमान सीमा अधिनियम, 1963 द्वारा लाए गए थे। पूर्ववर्ती के तहत

सीमा अधिनियम, 1908 की अलग-अलग अवधियाँ थीं -

उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 182 और 183 के साथ-साथ सी. पी. सी., 1908 की धारा 48 द्वारा निर्धारित सीमा। अनुच्छेद 182 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी दीवानी अदालत की डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए सीमा की अवधि 3 साल थी, और ऐसे मामले में जहां डिक्री या आदेश की प्रमाणित प्रति थी।

34 .

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

48 सी. पी. सी. (जिसे 1963 के सीमा अधिनियम की धारा 28 द्वारा निरस्त कर दिया गया है) ने प्रावधान किया कि डिक्री के निष्पादन के लिए सीमा की अवधि 12 वर्ष थी।विधि आयोग ने 21 जुलाई

1956 की अपनी तीसरी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि दीवानी अदालतों के फरमानों या आदेशों के निष्पादन के लिए आवेदन दायर करने के लिए अलग-अलग समय सीमाएं निर्धारित की गई थीं। यह सिफारिश की गई थी कि समय सीमा पूर्ण होनी चाहिए, और स्वीकृति द्वारा समय के आगे विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मूल नागरिक अधिकारिता और अन्य फरमानों के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित फरमानों या आदेशों के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नहीं था। किसी भी दीवानी अदालत की डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए सीमा की अधिकतम अवधि नए सीमा अधिनियम, 1963 में उस तारीख से बारह साल तय की गई थी जब डिक्री या आदेश लागू करने योग्य हो गया था।

इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान सीमा अधिनियम, 1963 आदेश 21 के तहत दायर किसी भी आवेदन को बाहर करता है।

अधिनियम की धारा 5 के दायरे से, इस उद्देश्य के साथ कि फरमानों के निष्पादन को यथासंभव तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दीवानी अदालत की डिक्री के निष्पादन के लिए सीमा की अवधि अब समान रूप से है

दीवानी न्यायालयों की फरमानों के लिए अधिकतम 12 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि धारा 47 और 49 के तहत विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए याचिका दायर करने की सीमा की अवधि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगी।

आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने से तीन साल की अवधि निर्धारित करता है।

धारा 47 और 49 के तहत आवेदन

विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत दायर एक मूल याचिका है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित [2020] 12 एस. सी. आर. है।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

स्थिति यह है कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। 26 धारा 47 के तहत आवेदन एक आवेदन नहीं है।

के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत दायर किया गया

सी. पी. सी, 1908. आवेदन उपयुक्त के समक्ष दायर किया जाता है प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय, जो सहारा लेगा

सी. पी. सी. के आदेश XXI के प्रावधानों के लिए केवल

मानित के रूप में विदेशी पुरस्कार के निष्पादन के उद्देश्य

डिक्री। धारा 5 में निहित बार, जिसमें शामिल नहीं है आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत दायर एक आवेदन

सी. पी. सी. का XXI, एक मूल पर लागू नहीं होगा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत दायर याचिका।

नतीजतन, एक पक्ष के तहत एक आवेदन दायर कर सकते हैं धारा 5 विलंब की क्षमा के लिए, यदि आवश्यक हो तो

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

वर्तमान मामले के तथ्यों में, उत्तरदाताओं

प्रस्तुत किया कि पुरस्कार दिनांक 18.01.2011 के बाद था

पारित किया गया, लागत खाता विवरणों को संशोधित किया गया, और

22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान किया गया था

भारत सरकार।

10.07.2014 पर, कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।

उत्तरदाताओं के लिए, 77 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग उठाते हुए,पेट्रोलियम के लाभ में सरकार का हिस्सा होने के नाते

पीएससी। यह तर्क दिया गया था कि कार्रवाई का कारण

धारा 47 और 49 के तहत प्रवर्तन याचिका दायर करना

10.07.2014 पर उत्पन्न हुआ। प्रवर्तन याचिका दायर की गई थी 14.10.2014 पर अर्थात उस तारीख से 3 महीने के भीतर जब

अर्जित आवेदन करने का अधिकार।

हम मानते हैं कि प्रवर्तन के लिए याचिका

सीमा अवधि के भीतर विदेशी पुरस्कार दाखिल किया गया था

सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 द्वारा विहित।

किसी भी मामले में, पर्याप्त आधार हैं

प्रवर्तन दाखिल करने में देरी, यदि कोई हो, को क्षमा करें /

सन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एससीसी 333। कांडला निर्यात ए. एन. आर. वी. ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. , (2018) 14 एस. सी. सी. 715; शिवनाथ राय कं. बनाम। जी. जी. रॉटरडैम 164 (2009) डीएलटी 197; उषा ड्रेगर प्रा. लिमिटेड वी. (170) डी. एल. टी. 628; सुमितोमो निगम बनाम। सीडीसी वित्तीय सेवाएँएड (2008) 4 एस. सी. सी. 91; कॉनरॉस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. लू किन (हांगकांग) 1 ओआरएस। , 2015 (1) अरब एल. आर. 463 (बॉम्बे): (2015) 2 बम सीआर 1।

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

धारा 47 और 49 के तहत निष्पादन याचिका, एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए सीमा की अवधि के संबंध में स्पष्टता की कमी के कारण। न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए 1996 अधिनियम की योजना

विदेशी प्रवर्तन के संबंध में विवादित निर्णय में कुछ विसंगतियों के कारण

पुरस्कारों के लिए, 1996 के अधिनियम के अध्याय I भाग II के तहत परिकल्पित योजना पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है।

फैसले के पैराग्राफ 20.5 में, उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि एक विदेशी पुरस्कार जो पारित हो जाता है

धारा 47 का प्रवेश द्वार "उस स्तर पर" है, जिसे "विदेशी डिक्री के समतुल्य" माना जाता है, जिसका

प्रवर्तन को उस पक्ष के अनुरोध पर अस्वीकार किया जा सकता है जिसके खिलाफ इसे लागू किया जाता है, यदि यह 1996 के अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के भीतर आता है।

विवादित निर्णय के पैराग्राफ 20.7 और 20.8 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"20.7 धारा 49 को सरलता से पढ़ने से पता चलेगा कि

इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे 1996 के अधिनियम की धारा 48 से संबंधित करे। उल्लेखनीय है कि 1996 के अधिनियम की धारा 48 इस अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है कि "किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है, उस पक्ष के अनुरोध पर जिसके खिलाफ यह किया जाता है।

आह्वान किया जाता है, केवल तभी जब वह पक्ष प्रस्तुत करता है

अदालत इसका प्रमाण देती है।

प्रावधान, मेरे विचार से, पूर्व-मान लिया जाता है

20.8

कि एक विदेशी पुरस्कार एक डिक्री है जिसका निष्पादन केवल एक पक्ष द्वारा बाधित किया जा सकता है

जिनके खिलाफ इसे निष्पादित करने की मांग की जाती है यदि वह अपने बोझ का निर्वहन करने में सक्षम है कि उसकी आपत्तियों को 1996 के अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) और/या उप-धारा (2) के एक या अधिक खंडों के तहत बनाए रखा जा सकता है।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

पैराग्राफ 21 में, यह माना गया है कि एक विदेशी पुरस्कार अपने बल पर लागू करने योग्य है, और नहीं है

यह आवश्यक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि यह धारा 48 की कार्यवाही की प्रक्रिया से गुजरता है या नहीं।

उपरोक्त निष्कर्ष इसके विपरीत हैं -

अधिनियम की योजना, क्योंकि एक विदेशी पुरस्कार कार्यवाही के किसी भी चरण में "विदेशी डिक्री" नहीं बन जाता है। विदेशी पुरस्कार को भारतीय न्यायालय के एक मानित आदेश के रूप में लागू किया जाता है जिसने इस पर निर्णय दिया है। धारा 47 के तहत दायर याचिका और विरोध करने वाले पक्ष द्वारा धारा 48 के तहत उठाई गई आपत्तियां

पुरस्कार का प्रवर्तन।एक विदेशी पुरस्कार अपने आप में एक डिक्री नहीं है, जो अधिनियम की धारा 49 के तहत निष्पादन योग्य है। द.

विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन अदालत के संतुष्ट होने के बाद ही होता है कि विदेशी पुरस्कार 1996 के अधिनियम के भाग II में अध्याय 1 के तहत लागू करने योग्य है। धारा 47 और 48 के चरणों के पूरा होने के बाद, पुरस्कार एक मानित डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय हो जाता है, जैसा कि धारा 49 द्वारा प्रदान किया गया है। वाक्यांश "वह अदालत" भारतीय अदालत को संदर्भित करता है जिसने धारा 47 के तहत दायर याचिका और धारा 48 के तहत आवेदन पर निर्णय दिया है।

इसके विपरीत, एक के प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया

विदेशी डिक्री 1996 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन इसके साथ पठित धारा 44ए के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

सीपीसी की धारा 13।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कारों को लागू करने के लिए 1996 के अधिनियम की योजना इस प्रकार है:

(अ)

मध्यस्थता का भाग II अध्याय 1 और

सुलह अधिनियम, 1996 प्रवर्तन से संबंधित है।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार।

1996 के अधिनियम के तहत, कोई आवश्यकता नहीं है।

सीट न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले विदेशी पुरस्कार के लिए, और उस पर एक डिक्री प्राप्त करने के लिए, जिसके बाद यह एक विदेशी डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय हो जाता है। इसे "दोहरे समीकरण" के रूप में संदर्भित किया गया था, जो जिनेवा कन्वेंशन, 1927 एफ इंडिया बनाम के तहत एक आवश्यकता थी।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आई. ए. लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

और न्यूयॉर्क द्वारा समाप्त कर दिया गया था

कन्वेंशन, जिसने इसे हटा दिया। 2 7.

1996 के अधिनियम के तहत एक आदर्श परिवर्तन हुआ है।

1996 के अधिनियम के तहत, एक पक्ष इसके लिए आवेदन कर सकता है -

विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन, इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए जाने के बाद। द.

आवेदक से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है

उस सीट का न्यायालय जिसमें, या के कानूनों के तहत जो, पुरस्कार दिया गया था।

1996 के अधिनियम की धारा 44 में प्रावधान है कि एक नया

यॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार लागू करने योग्य होगा, यदि

पुरस्कार एक वाणिज्यिक विवाद के संबंध में है,

के साथ एक राज्य में एक लिखित समझौते द्वारा कवर

जो भारत सरकार के पास एक पारस्परिक है

संबंध, जैसा कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

धारा 46 में यह प्रावधान है कि एक विदेशी पुरस्कार जो

के भाग II के अध्याय 1 के तहत प्रवर्तनीय है

1996 अधिनियम को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा

पक्षों, और के माध्यम से भरोसा किया जा सकता है

बचाव, बंद, या अन्यथा, किसी भी कानूनी मामले में

भारत में आगे बढ़ रहा है।

धारा 47 दाखिल करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है

किसी विदेशी के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए याचिका

पुरस्कार। यह खंड के अनुच्छेद IV (1) को दोहराता है

न्यूयॉर्क कन्वेंशन जिसमें आवेदक की आवश्यकता होती है

मूल पुरस्कार की प्रमाणित प्रति दाखिल करने के लिए,

या मूल के साथ इसकी प्रमाणित प्रति

अनुच्छेद II में निर्दिष्ट समझौता, या एक प्रमाणित याचिका दायर करने के समय इसकी प्रतिलिपि।

धारा 47 में यह प्रावधान है कि आवेदन होगा -

निम्नलिखित साक्षय के साथ प्रस्तुत किया गया अर्थात:

1. मूल पुरस्कार, या एक प्रमाणित प्रति, में

सीट के कानूनों के अनुसार मध्यस्थता;

ओवर कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं. (1994) सप्लीमेंट। (1) एससीसी एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम यूनिवर्सल ट्रैक्टर होल्डिंग एलएलसी (2013) 10 [2020] 12 एस. सी. आर.

2. मूल मध्यस्थता समझौता, या प्रमाणित

उसकी प्रतिलिपि;

3. ऐसा सबूत, जो साबित करने के लिए आवश्यक हो

कि यह पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार है।

पी. ई. सी. लिमिटेड बनाम ऑस्टबुल्क शिपिंग, 28 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही धारा 47 प्रदान करती है

कि पुरस्कार धारक ऐसा "उत्पन्न करेगा"

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन के साथ साक्षय, यह एक प्रक्रियात्मक है

आवश्यकता, एक व्यावहारिक, लचीला और गैर-औपचारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रारंभिक चरण में दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर प्रवर्तन के लिए आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। पक्ष को साक्षय प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

कार्यवाहियों के दौरान, न्यायालय को प्रवर्तन याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। यह था।

यह देखा गया कि मामले में अत्यधिक औपचारिकता

विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन होना चाहिए अस्वीकृत।

पुरस्कार धारक विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन करने का हकदार है।

एक आम याचिका के माध्यम से। फ्यूर्स्ट डे में लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, 29 यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि मान्यता की मांग करने वाली कार्यवाही और

1996 की धारा 47 और 48 की आवश्यकताएँ एक्ट करें। एक बार विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता तय हो जाने के बाद, यह आगे भी प्रभावी होता जाएगा।

पुरस्कार के निष्पादन के लिए कदम। प्रासंगिक

फैसले का उद्धरण इस प्रकार है:

" 31. अधिनियम के प्रवर्तन से पहले,

इस देश में मध्यस्थता का कानून था भारत बनाम तीन अधिनियमों में काफी हद तक निहित है।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में ए लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

अर्थात् (1) मध्यस्थता अधिनियम, 1940, (2) मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम,

1937 और (3) विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961। एक पार्टी का आयोजन

इन अधिनियमों का सहारा लेने के लिए एक विदेशी पुरस्कार की आवश्यकता थी। अधिनियम की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य

संबंधित भारतीय कानूनों को समेकित और संशोधित करना

घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय

वाणिज्यिक मध्यस्थता और प्रवर्तन

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार। अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना और त्वरित न्याय देना है। इस दृष्टिकोण से, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 में अधिनिर्णय को अदालत का नियम बनाने के लिए अदालत से संपर्क करने का चरण।

वर्तमान अधिनियम में छूट दी गई है। यदि प्रत्यर्थी का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिनियम के उद्देश्यों में से एक निराश और पराजित हो जाएगा। पुराने अधिनियम के तहत, पुरस्कार देने के बाद और निष्पादन से पहले, एक पुरस्कार दायर करने और उसे अदालत का नियम बनाने की प्रक्रिया थी, यानी एक डिक्री। चूँकि अधिनियम का उद्देश्य विवाद का त्वरित और वैकल्पिक समाधान प्रदान करना है, इसलिए नए अधिनियम के तहत उसी प्रक्रिया पर जोर नहीं दिया जा सकता है जब इसे सलाह के साथ समाप्त कर दिया जाता है। अगर अलग है कार्यवाही की जानी है, एक विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता तय करने के लिए और दूसरा उसके बाद निष्पादन के लिए, यह केवल मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने और धन, समय और शक्ति के मामले में वादी की पीड़ा को बढ़ाने में योगदान देगा। इस तरह की कठिनाइयों से बचना अधिनियम के उद्देश्यों में से एक है जिसे अधिनियम की योजना से एकत्र किया जा सकता है और विशेष रूप से विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के संबंध में धारा 46 से 49 में निहित प्रावधानों को देखा जा सकता है। पहले से ही ऊपर निकाले गए थिसेन निर्णय के पैरा 40 में, यह कहा गया है कि वास्तव में, [2020] 12 एस. सी. आर. नहीं है।

अदालत की रिपोर्ट

1961 के अधिनियम और अधिनियम के प्रावधानों के बीच बहुत अंतर विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन। एकमात्र

अंतर जैसा कि पाया गया है कि विदेशी पुरस्कार अधिनियम के तहत एक डिक्री का पालन किया जाता है, नए अधिनियम के तहत विदेशी पुरस्कार पर पहले से ही डिक्री के रूप में मुहर लगी हुई है। इस प्रकार, हमारे विचार में, विदेशी पुरस्कार धारण करने वाला पक्ष इसके लिए आवेदन कर सकता है।

इसका प्रवर्तन लेकिन न्यायालय को पुरस्कार के निष्पादन के लिए आगे प्रभावी कदम उठाने से पहले उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा।

धारा 47 से 49 तक। वहाँ की एक कार्यवाही में

अलग-अलग चरण हो सकते हैं। पहले चरण में न्यायालय को इसके बारे में निर्णय लेना पड़ सकता है -

प्रवर्तनीय, यह उसी के निष्पादन के लिए आगे प्रभावी कदम उठाने के लिए आगे बढ़ सकता है। विदेशी पुरस्कार देने का सवाल ही नहीं उठता। अदालत/डिक्री के नियम के रूप में फिर से। यदि उद्देश्य और उद्देश्य को उसी में पूरा किया जा सकता है

कार्यवाही, हमारे विचार में, कोई आवश्यकता नहीं है

मुकदमेबाजी की बहुलता के परिणामस्वरूप दो अलग-अलग कार्यवाही करें। यह उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 4 में निहित उद्देश्यों से भी स्पष्ट है।

47 49 और अधिनियम की योजना कि प्रत्येक अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार को लागू किया जाना है जैसे कि यह एक था न्यायालय का आदेश। यह निवेदन कि निष्पादन याचिका को धारा 47 के तहत एक आवेदन के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तकनीकी है और हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का कोई परिणाम नहीं है। हमारी राय में,

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, एक नियम बनाने के लिए पुरस्कार की प्रवर्तनीयता तय करने के लिए।

न्यायालय या डिक्री और उसके बाद निष्पादन करने के लिए दूसरा। एक कार्यवाही में, भारत बनाम।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में डिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

पहले से ही ऊपर कहा गया है, अदालत एक को लागू करती है

विदेशी पुरस्कार पूरे मामले से निपट सकता है।

अन्यथा भी, यह प्रक्रिया नहीं है

जो कहा गया है उसके आलोक में एक पक्ष को पूर्वाग्रह

थिसेन निर्णय के पैरा 40 में।

(जोर दिया गया)

एल. एम. जे. में हाल ही में दिए गए एक फैसले में

इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। स्लीपवेल इंडस्ट्रीज 30, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटारे के विधायी इरादे और न्यायालयों के सीमित हस्तक्षेप को देखते हुए, प्रवर्तन याचिका की स्थिरता और दायर आपत्तियों के निर्णय पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

सामान्य कार्यवाही।

प्रवर्तन/निष्पादन याचिका आवश्यक है।

संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाना, जैसे -

2016 के अधिनियम 3 द्वारा धारा 47 में संशोधन के अनुसार

(जो 23.10.2015 पर लागू हुआ)। द.

धारा 47 के स्पष्टीकरण में संशोधन किया गया है, जो

अब इस प्रकार पढ़ता है:

" 47. साक्षय-(1)।

(2) .....[स्पष्टीकरण। इस खंड में और

इस अध्याय में निम्नलिखित धाराएँ, "न्यायालय"

इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय के पास मूल

प्रश्न तय करने का अधिकार क्षेत्र

मध्यस्थता पुरस्कार की विषय वस्तु यदि

वही विषय था-एक की बात अपने मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र पर मुकदमा और

उच्च न्यायालय में अन्य मामलों में

फरमानों की अपीलों को सुनने का अधिकार क्षेत्र

ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय।

(जोर दिया गया)

धारा 48 न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V की प्रतिकृति है, और उन सीमित शर्तों को निर्धारित करती है जिन पर विदेशी पुरस्कार को लागू किया जा सकता है।

मना कर दिया।

धारा 48 की उप-धारा (1) और (2) में विदेशी कानून लागू करने से इनकार करने के लिए सात आधार हैं।

पुरस्कार। उप-धारा (1) में पाँच आधार हैं जिन्हें हारने वाले पक्ष द्वारा अस्वीकार करने के लिए उठाया जा सकता है

विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन, जबकि उप-धारा (2) में दो आधार हैं जिन्हें न्यायालय पदेन रूप से लागू करने से इनकार करने के लिए आह्वान कर सकता है

अधिनिर्णय, 3 1 अर्थात भारत के कानूनों के तहत विवाद के विषय की गैर-मध्यस्थता; और दूसरा, पुरस्कार की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव हैभारत।

प्रवर्तन न्यायालय एक को अलग नहीं कर सकता है

विदेशी पुरस्कार, भले ही धारा के तहत शर्तें हों

48 बनाए जाते हैं। विदेशी पुरस्कार को अलग रखने की शक्ति केवल न्यायालय के पास निहित होती है।

मध्यस्थता, क्योंकि पर्यवेक्षी या प्राथमिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग मध्यस्थता के स्थान पर क्यूरियल अदालतों द्वारा किया जाता है।

प्रवर्तन अदालत "मना" कर सकती है।

विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन, यदि धारा 48 में निहित शर्तें बनाई गई हैं। यह धारा की भाषा से ही स्पष्ट होगा, जिसमें प्रावधान है कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को केवल तभी "अस्वीकार" किया जा सकता है जब आवेदक अधिनियम की धारा 48 में निहित किसी भी शर्त का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

धारा 48 के प्रारंभिक शब्दों में अनिवार्य भाषा के बजाय अनुमेय का उपयोग किया गया है, जो प्रवर्तन है। " "अस्वीकार" किया जा सकता है। 3 2 "मे" शब्दों का प्रयोग

एरी ऑन द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन, चौथा संस्करण, खंड। 2 , पेज। 1163

& ओआरएस। v प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और अन्य।

, 2020 एस. सी. सी. भारत सरकार बनाम वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

मध्यस्थता, या यदि अस्वीकृति का आधार मध्यस्थता में नहीं उठाया गया था। 34 एक अदालत का यह भी विचार हो सकता है कि उल्लंघन ऐसा नहीं है जिससे इसे रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुरस्कार का प्रवर्तन। 35

विदेशी प्रवर्तन से इनकार करने के कारण

(के)

धारा 48 में निहित पुरस्कार संपूर्ण हैं, जो धारा की भाषा से स्पष्ट है,

जो प्रावधान करता है कि प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है

33 यह हांगकांग के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1994 के एक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है जिसने पुष्टि की है: ..... विरोध के आधार को लचीले ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए। अवशिष्ट विवेकाधिकार लागू करने वाले न्यायालय को सभी परिस्थितियों में न्यायसंगत परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हांगकांग, सुप्रीम कोर्ट, 13 जुलाई, 1994, चाइना नानहाई ऑयल ज्वाइंट सर्विस कॉर्प बनाम गी ताई होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड, ईयरबुक कमर्शियल आर्बिट्रेशन, XX-1995,671 देखें। 677. वेस्टएकर इन्वेस्टमेंट्स इंक. बनाम जुगोइम्पोर्ट-एस. डी. आर. पी. होल्डिंग कंपनी लिमिटेड. [1999] ऐप भी देखें। एल. आर. 05/12; क्रूज़ सिटी 1 मॉरीशस होल्डिंग्स बनाम यूनिटेक लिमिटेड, 2017 (3) ए. आर. बी. एल. आर. 20 (दिल्ली): 239 (2017) डी. एल. टी. 649 [इस निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 32244/2017 में 19 जनवरी 2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया है।] ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कोर्ट ऑफ अपील, 18 जून 2008 (आई. पी. ओ. सी. इंटरनेशनल ग्रोथ फंड लिमिटेड बनाम एल. वी. फाइनेंस ग्रुप लिमिटेड) ईयरबुक कमर्शियल आर्बिट्रेशन XXXIII (2008) पीपी। 408-432 (ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह संख्या 1); यूनाइटेड किंगडम: उच्च न्यायालय, क्वींस बेंच डिवीजन (वाणिज्यिक न्यायालय), 20 जनवरी 1997 (चीन कृषि व्यवसाय विकास निगम बनाम बल्ली ट्रेडिंग) वार्षिक पुस्तक वाणिज्यिक मध्यस्थता XXIV (1999) पीपी। 732-738 (यू. के. No.52)। 34 हॉन्गकॉन्ग: हांगकांग का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, 15 जनवरी 1993 (पाकलिटो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम क्लॉक्नर ईस्ट एशिया) वार्षिक पुस्तक वाणिज्यिक मध्यस्थता XIX (1994) पीपी। 664-674 (हांगकांग सं. 6); हांगकांग का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, 16 दिसंबर 1994 (नानजिंग अनाज, तेल और खाद्य पदार्थ आयात और निर्यात निगम बनाम लकमेट

कमोडिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड) ईयरबुक कमर्शियल आर्बिट्रेशन XXI (1996) पीपी। 542-545 (हांगकांग नंबर 9);

35 अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग, 1958 का न्यूयॉर्क मध्यस्थता सम्मेलन: एक समान न्यायिक व्याख्या की ओर, 1981, पृष्ठ 265 पर क्लूवर लॉ एंड टैक्सेशन पब्लिशर्स।

" केवल तभी जब आवेदक उस प्रावधान में निहित किसी भी शर्त का प्रमाण प्रस्तुत करता है। 36

प्रवर्तन अदालत को इसे ठीक नहीं करना है

(1)

धारा 48 के तहत पुरस्कार में त्रुटियां, या पुरस्कार के गुण-दोष पर समीक्षा करना, लेकिन यदि आधार बनाए जाते हैं तो प्रवर्तन को "अस्वीकार" करने की सीमित शक्ति से सम्मानित किया जाता है।

(एम)

यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदन के तहत

धारा 48 योग्यता के बिना है, और विदेशी पुरस्कार प्रवर्तनीय पाया जाता है, तो धारा 49 के तहत, पुरस्कार को "उस न्यायालय" की डिक्री माना जाएगा। कानूनी कथा का सीमित उद्देश्य विदेशी को लागू करने के उद्देश्य से है।

पुरस्कार। संबंधित उच्च न्यायालय तब सहारा लेकर पुरस्कार को लागू करें

सी. पी. सी. के आदेश 21 के प्रावधान।

क्या मलेशियाई अदालतों को विदेशी पुरस्कार की चुनौती का फैसला करते समय सार्वजनिक नीति के मलेशियाई कानून को लागू करने में उचित ठहराया गया था?

एल. डी. ए. जी. ने यह आधार उठाया कि मलेशियाई

सार्वजनिक नीति के साथ टकराव का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए कानून के अनुसार किया जाना चाहिए था।न्यायालय ने रिलायंस 3 7 (ऊपर) में निर्णय के अनुच्छेद 76.4 में कहा।

यह न्यायालय दिनांकित 24.08.2020 नियुक्त आदेश के माध्यम से

श्री गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, इस सीमित मुद्दे पर सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में।

न्यायमित्र की प्रस्तुतियाँ:

श्री गौरव बनर्जी, विद्वान न्यायमित्र उपस्थित हुए

इस न्यायालय के समक्ष 26.08.2020 पर, और मौखिक रूप से

रितियस होल्डिंग्स बनाम। यूनिटेक लिमिटेड (2017) 239 डीएलटी 649। रीज़ वी। भारत संघ (2014) 7 एस. सी. सी. 603।

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

कानून के संबंध में प्रस्तुतियाँ जो होंगीसीट न्यायालय के समक्ष चुनौती के स्तर पर लागू, और प्रवर्तन स्तर पर लागू कानून।

विद्वान न्यायमित्र ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया कि: लागू कानून को पुरस्कार को रद्द करने के लिए उठाए गए चुनौती के विशिष्ट आधार के संदर्भ में निर्णय लेना होगा।

भारत सरकार ने तीन मामलों में मलेशियाई उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी

आधार:

ए। पुरस्कार एक ऐसे विवाद से संबंधित था जिस पर विचार नहीं किया गया था, या जो प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता था

मध्यस्थता के लिए;

बी। पुरस्कार में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं; और

सी। यह पुरस्कार सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

पहले दो आधार अधिकता से संबंधित हैं

अधिकारिता, जो मलेशियाई अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) (iv) और (v) द्वारा कवर की गई है, जबकि तीसरा आधार

यह सार्वजनिक नीति से संबंधित है, जो उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 37 (2) (बी) (ii) के अंतर्गत आती है।

पी. एस. सी. के अनुच्छेद 33.1 और 33.2 के अवलोकन से पता चलेगा कि अनुबंध का मूल कानून भारतीय कानून है। मध्यस्थता समझौता इसके द्वारा शासित होता है " पी. एस. सी. के अनुच्छेद 34.12 द्वारा प्रदान किए गए इंग्लैंड के कानून। चूंकि मध्यस्थता का केंद्र मलेशिया के कुआलालंपुर में था, इसलिए क्यूरियल कानून मलेशियाई कानून होगा।

मलेशिया ने UNCITRAL मॉडल को अपनाया है।

कानून. (मलेशियाई) मध्यस्थता अधिनियम 2005 ("मलेशियाई अधिनियम") की धारा 37 UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 पर आधारित है और इसमें इसके सभी आधार शामिल हैं। मलेशियाई मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार है:

मेरी अदालत की रिपोर्ट

" अलग रखने के लिए आवेदन

37. (1) उच्च न्यायालय द्वारा किसी पुरस्कार को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब

(क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण देता है कि

(i) मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष किसी भी अक्षमता के अधीन था;

((ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके लिए पक्षों ने इसे अधीन किया है, या उस पर किसी भी संकेत में विफल रहने पर, के कानूनों के तहत

मलेशिया;(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा उस पक्ष का मामला पेश करने में असमर्थ था;

(v) उप-धारा (3) के अधीन रहते हुए, पुरस्कार में इसके दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं। मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना; या

(vi) मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा न हो।

समझौता इस अधिनियम के एक प्रावधान के साथ संघर्ष में था जिससे पक्षकार अवमूल्यन नहीं कर सकते थे, या इस तरह के समझौते में विफल रहना, इस अधिनियम के अनुसार नहीं था; या

(ख) उच्च न्यायालय ने पाया कि (i) विवाद का विषय इन कानूनों के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है -

मलेशिया; या

((ii) यह पुरस्कार सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

मलेशिया का भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

(2) की व्यापकता को सीमित किए बिना

उपपैरा (1) (बी) (ii), एक पुरस्कार विवादित है।

मलेशिया की सार्वजनिक नीति के साथ जहाँ

(क) पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया गया था या धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित; या

((b) प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन

घटित हुआ

((ii) पुरस्कार देने के संबंध में।(3) जहाँ प्रस्तुत किए गए मामलों पर निर्णय

मध्यस्थता को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो ऐसा नहीं करते हैं

प्रस्तुत किया गया, केवल पुरस्कार का वह हिस्सा जोप्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थता को अलग रखा जा सकता है।'

(जोर दिया गया)

मलेशियाई अधिनियम प्रदान करता है कि सार्वजनिक नीति

रक्षा का निर्णय मलेशियाई कानून के अनुसार किया जाना है, जो विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर सम्मेलन, 1958 के अनुरूप है। सीट कोर्ट सार्वजनिक नीति की चुनौती का फैसला करते समय, अपनी घरेलू सार्वजनिक नीति के अनुसार इसका फैसला करेगा।

जमीन पर चुनौती के संबंध में

" अधिकारिता की अधिकता ", यह प्रस्तुत किया गया था कि कानून में सही स्थिति यह है कि अधिकारिता की अधिकता का मुद्दा अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होगा, क्योंकि पी. एस. सी. के अनुच्छेद 34.12 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 34 में निहित मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा।

भले ही अनुबंध का मूल कानून

भारतीय कानून था, यह निर्णय लेने के लिए लागू नहीं होगा अधिकारिता की अधिकता के मुद्दे को चुनौती।

मलेशियाई उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया

भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के लिए किया गया, और भारतीय [2020] 12 एस. सी. आर. के निर्णय पर भी भरोसा किया गया।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

ओ. एन. जी. सी. बनाम सॉ पाइप्स 3 8 में उच्चतम न्यायालय। करते समय इसलिए, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अपील न्यायालय

सिंगापुर में पीटी असुरान्सी जासा इंडोनेशिया (पर्सेरो)

v डेक्सिया बैंक SA39 ने निर्णय का पालन नहीं किया था

सॉ पाइप्स मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय। द.

विद्वान एमिकस ने प्रस्तुत किया कि इन टिप्पणियों के

मलेशियाई उच्च न्यायालय के लिए पूरी तरह से अनावश्यक थेविचाराधीन मुद्दे।

यह प्रस्तुत किया गया था कि मलेशिया का उच्च न्यायालय

लागू होने के संबंध में विरोधाभासी निष्कर्ष दिए गए

अधिकारिता की अधिकता के मुद्दे पर निर्णय लेते समय कानून।

प्रारंभ में, पैराग्राफ 159 और 161 में, मलेशियाई उच्च

अदालत का विचार था कि सीट कुआला में हैलंपुर, इस तरह की चुनौती के लिए लागू कानून

मलेशिया की धारा 37 (1) (ए) (iv) और (v) के तहत हो।

कानून, क्यूरियल कानून होने के नाते। पैराग्राफ 158 से 161 पढ़ें

के रूप में:

" लागू होने वाला कानून

158. मैं इस मामले से निपटने के लिए यहाँ रुकता हूँ

लागू कानून। वादी ने तर्क दिया है कि

धारा 30 के साथ पढ़ें, न्यायालय को अलग कर देना चाहिएउपपैरा 37 (1) (ए) (iv) और (v) और (बी) (ii) के तहत पुरस्कार। धारा 30 के आधार पर,

अनुबंध का मूल कानून भारतीय कानून है

अनुबंध। उन तर्कों पर कि उन्होंने प्रचार किया था

और जिसे मैंने पहले निर्धारित किया था, वादी

तर्क दिया कि न्यायालय को अलग कर देना चाहिए

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर पुरस्कार

सॉ पाइप्स में निर्णय।

159. सम्मान के साथ, मुझे असहमत होना चाहिए। सौदा करते समय

उपपैरा 37 (1) (ए) (iv) के तहत चुनौतियों के साथ

और (v); और (b) (ii), चुनौती अनुबंध के मूल कानून के संदर्भ से निर्धारित नहीं की जाती है। चूंकि मध्यस्थता का केंद्र कुआलालंपुर है,

क्यूरियल कानून सीट का है, यानी, मलेशियाई

05 .

1 .

भारत का बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व में डिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

कानून; और यह पुरस्कार दिए जाने या सौंपे जाने के बाद भी बना रहता है।

160. सरकार में संघीय न्यायालय

भारत बनाम केयर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई। लिमिटेड और एनोर। [2011] 6 एम. एल. जे. 441,455 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं थे।

सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 825, हालांकि बाद में इसका समर्थन किया गया। एम/एस में। डोस्को इंडिया लिमिटेड बनाम एम/एस। डूसन इन्फ्राकोर कं. लिमिटेड (2008 की मध्यस्थता याचिका संख्या 5) 2010 (9) यूजे 4521 (एससी) जिसने अन्यथा स्थिति ली:

(6..... इस प्रकार, इस मामले में कुआलालंपुर था

मध्यस्थता के न्यायिक स्थान के रूप में चुना गया,

क्यूरियल लॉ मलेशिया के कानून हैं, और हम ऐसा मानते हैं। और हम यह जोड़ेंगे कि पार्टियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि

मध्यस्थता की सीट के अनिवार्य नियमों का पालन करें क्योंकि सीट के ऐसे अनिवार्य प्रक्रियात्मक नियमों (क्यूरियल लॉ) का अनुप्रयोग अधिकार क्षेत्र के अधीन रहेगा और

पुरस्कारों को अलग करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय सहित मध्यस्थता के स्थान के न्यायालयों का नियंत्रण। इसलिए हम आश्वस्त नहीं हैं किभारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाना चाहिए।

161. यद्यपि भारतीय कानून मूल कानून है।

या अनुबंध या पी. एस. सी. का उचित कानून, और अंग्रेजी कानून मध्यस्थता समझौते का कानून है; इसका किसी भी तरह से मतलब यह नहीं है कि भारतीय मध्यस्थता धारा 37 के तहत एक आवेदन के निर्धारण पर लागू होती है।" "

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 165 में, हालांकि, उच्च न्यायालय,

यह मत व्यक्त किया कि अंग्रेजी कानून मध्यस्थता समझौते का मूल कानून है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है।

" 165. मैं इस बात की सराहना करता हूं कि पी. टी. में अपील न्यायालय

असुरंशी [2020] 12 एस. सी. आर. के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रहा था।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

के साथ एक संघर्ष के आधार पर एक चुनौती

सार्वजनिक नीति। हालांकि यह स्थिति बनी हुई है।

यहां तक कि जब अन्य आधारों पर भरोसा किया जाता है

यहाँ "की अधिकता" पर भारतीय कानून के रूप में

क्षेत्राधिकार "लागू कानून नहीं है। मैं सहमत हूँ।

प्रतिवादियों के साथ कि अंग्रेजी कानून जो है

मध्यस्थता समझौते का मूल कानून

के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न का उत्तर दें

मध्यस्थ न्यायाधिकरण। इस में मान्यता दी गई थी सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज बनाम तेल और प्राकृतिक गैस

आयोग 1995 1 लॉयड्स प्रतिनिधि 45। ....."

(जोर दिया गया)

मलेशिया के उच्च न्यायालय ने इस पर भरोसा किया

सुमितोमो हैवी में पॉटर, जे. का निर्णय इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम तेल और प्राकृतिक गैस

आयोग, 40 जिसका सुसंगत भाग पढ़ता है -

इस प्रकार है:

" ..... (2) मध्यस्थता का उचित कानून

समझौता, अर्थात अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कानून और उनसे उत्पन्न होने वाले पक्षों के दायित्व

मध्यस्थता के लिए समझौता और, विशेष रूप से, उनके

अपने विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का दायित्व और एक पुरस्कार का सम्मान करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं

मध्यस्थता की वैधता के बारे में प्रश्न

समझौता, मध्यस्थता की सूचना की वैधता,

न्यायाधिकरण का गठन और प्रश्न

क्या कोई पुरस्कार इसके अधिकार क्षेत्र में आता है

मध्यस्थ "।

(जोर दिया गया)

(viii) भारत सरकार ने पहले एक अपील दायर की थी।

मलेशियाई अपील न्यायालय। अपील न्यायालय

निर्णय के अनुच्छेद 31 में, जिसमें यह राय दी गई है

वह:

" 31. यह अपीलार्थी का तर्क है कि

उच्च न्यायालय में लागू होने वाला कानून

ए. डब्ल्यू. 45 रिपोर्ट करता है।

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

कार्यवाही भारतीय क्यूरियल कानून है। इसे खारिज कर दिया गया।

विद्वान न्यायाधीश द्वारा और हम उसी से सहमत हैं जैसा कि हमारा विचार है कि कानून द्वारा तय किया जाता है

सरकार के मामले में संघीय न्यायालयइंडिया बनाम केयर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एनोर (2011)

6 एमएलजे 441।

(जोर दिया गया)

सरकार में संघीय न्यायालय के निर्णय में

भारत सरकार ने संघीय सरकार को पाँच प्रश्न भेजेन्यायालय, जिनमें से प्रश्न 1 और 2 प्रासंगिक हैं, और हैं

नीचे दिया गया है:

" 1. जहाँ एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

वाणिज्यिक मध्यस्थता समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती हैधारा 24 (2) के तहत मलेशियाई अदालतों के समक्ष

मध्यस्थता अधिनियम 1952 और अनुबंध

एक विदेशी कानून के अनुप्रयोग का प्रावधान करता है

अनुबंध को नियंत्रित करने के लिए (अर्थात् के कानूनभारत) और एक अन्य विदेशी कानून

मध्यस्थता समझौता (अर्थात् के कानून)

इंग्लैंड), क्या यह मलेशियाई न्यायालय के लिए उचित है

मलेशियाई कानून को विशेष रूप से निर्णय लेने के लिए लागू करनामध्यस्थता पुरस्कारों में हस्तक्षेप का दायरा

मध्यस्थता मलेशिया में है? यदि अंग्रेजी कानून को विकल्प के रूप में लागू करना है

2 .

पक्षकार, क्या उपयुक्त कानून यह है कि

अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1979 में कहा गया है

(अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1950 में संशोधन)

जो उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करता है

से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर

पुरस्कार "

मध्यस्थता के स्थान से संबंधित प्रश्न। सरकार ने

यह कि अंग्रेजी कानून लागू था, और यह कि

मध्यस्थता अधिनियम, 1979। -41 .

[2020] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, संघीय न्यायालय ने माना कि यह एक आकस्मिक मुद्दा था

कानून, और क्यूरियल कानून मध्यस्थता के केंद्र का कानून होना चाहिए। मलेशिया के संघीय न्यायालय ने पैराग्राफ 25 में कहा कि:

" [25] इसलिए यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी अपील न्यायालय

यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि क्यूरियल कानून सीट का होना चाहिए। मध्यस्थता का। जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमारी अदालतों ने एक

समान स्थिति। इस प्रकार, इस मामले में कुआलालंपुर था

मध्यस्थता के न्यायिक स्थान के रूप में चुना गया, क्यूरियल लॉ है

मलेशिया के कानून और हम ऐसा मानते हैं। और हम यह जोड़ेंगे कि

दलों के लिए सीट के अनिवार्य नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है

इस तरह के अनिवार्य आवेदन के बाद से मध्यस्थता

सीट के प्रक्रियात्मक नियम (क्यूरियल लॉ) विषय बने रहेंगे।

के आसन के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण के लिए

निर्धारित करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय सहित मध्यस्थता

पुरस्कारों के अलावा। इसलिए हम आश्वस्त नहीं हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू किया जाना चाहिए। ”

(जोर दिया गया)

(x) यह प्रस्तुत किया गया था कि मध्यस्थता के स्थान पर न्यायालय,

किसी विदेशी पुरस्कार को रद्द करने या अलग रखने का विशेष अधिकार क्षेत्र है। विद्वान न्यायमित्र ने बाल्को बनाम कैसर एल्यूमीनियम, 4 2 में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया और इसका विशिष्ट संदर्भ दिया:

" 153 ..... कानून के तहत अभिव्यक्ति केवल संदर्भ है

पुरस्कार दिया गया था और जिसके कानून के तहत पुरस्कार दिया गया था बनाया गया। इसमें अनुबंध के मूल कानून का कोई संदर्भ नहीं है।

दलों के बीच। मामले के इस तरह के दृष्टिकोण में, हमारे पास नहीं है

विद्वान वकील की प्रस्तुति को अस्वीकार करने में हिचकिचाहट

अपीलार्थियों के लिए "।

(जोर दिया गया)

मलेशियाई न्यायालयों ने सार्वजनिक नीति की चुनौती की सही जांच की

मलेशियाई अधिनियम के अनुसार, मध्यस्थता का प्रारंभिक कानून है।

अधिकारिता की अधिकता के आधार पर चुनौती के संबंध में,

यह प्रस्तुत किया गया था कि इसका परीक्षण मध्यस्थता समझौते के उचित कानून यानी अंग्रेजी कानून के आधार पर किया जाना चाहिए था।

42 (2012) 9 एससीसी 552।

भारत का आशय v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]प्रवर्तन स्तर पर लागू कानून, न्यायालय करेंगे

भारत की सार्वजनिक नीति के अनुसार भी।

आघात और निष्कर्ष

वर्तमान मामले में, मध्यस्थता के समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून पी. एस. सी. के अनुच्छेद 34.12 के अनुसार अंग्रेजी कानून था।

जो प्रावधान करता है कि मध्यस्थता समझौता होगा

इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित। भले ही सीट अदालतों द्वारा मध्यस्थता करने के लिए समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून के आवेदन में कुछ भ्रम प्रतीत होता है, जैसा कि विद्वान न्यायमित्र ने बताया है, हम इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि प्रवर्तन अदालत सीट अदालत के निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठती है। इसके अलावा, राष्ट्रों के समुदाय के सिद्धांतों को देखते हुए, यह न्यायालय टिप्पणी नहीं करेगा

अन्य अधिकारिताओं में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों पर।

पुरस्कार का प्रवर्तन बाद में होता है और

सीट पर कार्यवाही को अलग करने से अलग कार्यवाही। प्रवर्तन न्यायालय भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अध्याय 1 भाग 2 के प्रावधानों के अनुसार भारत में विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तनीयता के मुद्दे को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करेगा।

एक नए कानून को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालतें

यॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार राज्य की अदालतें हैं जहाँ

पुरस्कार दिया गया था, या निर्धारित किया गया है अर्थात मध्यस्थता के स्थान पर। मध्यस्थता का केंद्र एक कानूनी अवधारणा है अर्थात मध्यस्थता का न्यायिक गृह। द.

कानूनी "सीट" को भौगोलिक रूप से एक के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए

मध्यस्थता में कुछ सुनवाई करने के लिए चुना गया सुविधाजनक स्थान। मध्यस्थता के स्थान पर अदालतों को अदालतों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो पुरस्कार पर "पर्यवेक्षी" या "प्राथमिक" अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। वे कानून जिनके तहत पुरस्कार दिया जाता है

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (e) में उपयोग किया गया था, भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (1) (e) में प्रतिबिंबित किया गया है, जो मध्यस्थता के केंद्र के देश को संदर्भित करता है, न कि उस राज्य को जिसके कानून को नियंत्रित करते हैंमूल अनुबंध।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

बाल्को बनाम कैसर एल्यूमीनियम 43 में संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 76. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस स्थान या स्थान का कानून जहां मध्यस्थता आयोजित की जाती है, आम तौर पर उस मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून होता है। क्षेत्रीय संबंध के बीच

मध्यस्थता का स्थान और उस मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाली विधि अंतर्राष्ट्रीय साधनों, अर्थात् 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन और 1985 के अनसिट्रल मॉडल लॉ में अच्छी तरह से स्थापित है। .....

123. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आचरण का विनियमन

मध्यस्थता और किसी पुरस्कार को चुनौती देनी होगी

देश की अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें

मध्यस्थता की जा रही है। ऐसा न्यायालय तब है

पर्यवेक्षी अदालत के पास रद्द करने की शक्ति थी

पुरस्कार। यह योजना के अनुसार है

जिनेवा जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरण

सम्मेलन और न्यूयॉर्क सम्मेलन के साथ-साथ

अनसिट्रल मॉडल कानून। यह क्षेत्रीय को भी मान्यता देता है

सिद्धांत जो एक के संप्रभु अधिकार को प्रभावी बनाता है

अपने राष्ट्रीय न्यायालयों के माध्यम से विनियमित करने के लिए देश

न्यायनिर्णायक कर्तव्य अपन देशमे कयल जा रहल अछि।

एक तुलनात्मक उदाहरण के माध्यम से, हम सी वी में अपील न्यायालय, इंग्लैंड द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहरा सकते हैं। डी [2008 बस एलआर 843: 2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1282 (सी. ए.)]

जहाँ यह देखा गया है कि:

" इससे पता चलता है कि इसके लिए सीट का चुनाव

मध्यस्थता उपचार के लिए मंच का एक विकल्प होना चाहिए

उपरोक्त मामले में, अपील न्यायालय ने मंजूरी दे दी थीए वी में की गई टिप्पणियाँ। बी [(2007) 1 ऑल ईआर (कॉम) 591: (2007) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 237] जिसमें यह मनाया जाता है

वह:

सीसी 552।

भारत का आशय v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

मध्यस्थता के स्थान के बारे में एक समझौता एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के समान है। किसी उपचार के लिए कोई भी दावा. किसी मौजूदा अंतरिम या अंतिम निर्णय की वैधता के बारे में केवल अदालतों में किए जाने के लिए सहमत है।

मध्यस्थता के स्थान के रूप में निर्दिष्ट स्थान का।

जिन न्यायालयों के समक्ष विदेशी पुरस्कार को मान्यता और प्रवर्तन के लिए लाया जाता है, वे पुरस्कार पर "माध्यमिक" या "प्रवर्तन" अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, ताकि उस में पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तनीयता निर्धारित की जा सके।

अधिकार क्षेत्र।

अब हम संक्षेप में चार प्रकार के कानूनों पर चर्चा करेंगे जो एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में लागू होते हैं, और वहां से उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही। ये हैं:क) शासी कानून अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध में पक्षों के मूल अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। पक्ष आम तौर पर मूल अनुबंध के शासी कानून का चुनाव करते हैं; शासी कानून के विकल्प के अभाव में, यह न्यायाधिकरण द्वारा कानून नियमों के टकराव के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें लागू माना जाता है।

ख) मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून को लागू होने वाले कानून से अलग निर्धारित किया जाना चाहिए।

एक अलग और स्वायत्त समझौते का गठन करता है, जो मध्यस्थता समझौते की वैधता और सीमा को निर्धारित करेगा; पक्ष की स्वायत्तता की सीमाएँ,न्यायाधिकरण, आदि।

(ग) मध्यस्थता का प्रारंभिक कानून मध्यस्थता के केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, यह आवश्यक है कि मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन मध्यस्थता के स्थान के कानून से जुड़ा हो, जो

मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करेगा

कार्यवाही। पक्षकारों के पास कानून के चयन को निर्धारित करने की स्वायत्तता है, जो मध्यस्थता को नियंत्रित करेगा।

एन ल्यू (संस्करण), अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में समकालीन समस्याएं (1986)

7-131 .

प्रक्रिया, जिसे लेक्स आर्बिट्री कहा जाता है, और है मध्यस्थता के स्थान के चयन में व्यक्त किया गया। 45

क्यूरियल लॉ मध्यस्थता की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है,

मध्यस्थता की शुरुआत, की नियुक्ति

न्यायालय द्वारा पूर्वनिर्धारित शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ,

अस्थायी उपायों का अनुदान, साक्षय का संग्रह, सुनवाई, और पुरस्कार को चुनौती।

मध्यस्थता की पीठ पर स्थित न्यायालय पर्यवेक्षी कार्य करते हैं।

सिवाय अगर दलों ने एक स्पष्ट और प्रभावी बनाया हैएक अलग लेक्स आर्बिट्री का चयन, किस घटना में, भूमिका

जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य होने के लिए निर्दिष्ट हैं और गैर-अपमानजनक प्रकृति का। 46

घ) लेक्स फोरम मान्यता के लिए कार्यवाही को नियंत्रित करता है और

अन्य क्षेत्राधिकारों में पुरस्कार का प्रवर्तन। लेख

न्यूयॉर्क कन्वेंशन का III प्रदान करता है कि राष्ट्रीय अदालतें सीमा के संबंध में अपने संबंधित लेखों को लागू करती हैं।

मान्यता और प्रवर्तन के लिए लागू अवधि

सीमा अवधि। लेक्स फोरी उस न्यायालय को निर्धारित करता है जो सक्षम है और जिसके पास इस मुद्दे को तय करने का अधिकार क्षेत्र है विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन, और

प्रवर्तन के लिए पक्षों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय

विदेशी पुरस्कार।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, मलेशियाई

सीट कोर्ट होने के कारण अदालतों को लागू करने में उचित ठहराया गया था

द्वारा उठाई गई सार्वजनिक नीति चुनौती के लिए मलेशियाई अधिनियम भारत सरकार।

प्रवर्तन अदालत, हालांकि, जांच करेगी

आधार के अनुसार पुरस्कार को चुनौती

अधिनियम की धारा 48 के तहत उपलब्ध, बिना बाधित किए मलेशियाई न्यायालयों के निष्कर्षों द्वारा। सिर्फ इसलिए कि

लिक्ट ऑफ लॉज़, डाइसी, मॉरिस और कॉलिन्स, (15 थेड।) खण्ड 1, अध्याय 16,

6-035 , पी। 843 .

मध्यस्थता, स्वीट एंड मैक्सवेल (24 वां संस्करण, 2015)।

भारत की उत्पत्ति v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

मलेशियाई अदालतों ने इस फैसले को बरकरार रखा है, यह भारतीय अदालतों के लिए यह जांच करने में बाधा नहीं होगी कि क्या

पुरस्कार भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 के तहत भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ था। यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है, तो इसे भारतीय अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। प्रवर्तन अदालत हालांकि दूसरी बात नहीं करेगी-सीट अदालतों के फैसले की शुद्धता का अनुमान या समीक्षा, चुनौती का फैसला करते समय

पुरस्कार।

(vi)

हमारे विचार में, रिलायंस 1 7 निर्णय के पैराग्राफ 76.4 में किए गए अवलोकन का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है।

कुछ विवादों की मध्यस्थता। अंतिम वाक्य मेंअनुच्छेद 76.4 उस निर्णय का अनुपात नहीं है, जो है -

अनुच्छेद 76.1 से 76.3 में निहित है।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने चुनौती दी है

(vii)

रिलायंस के निर्णय में अनुच्छेद 76.4 में किया गया, वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि मध्यस्थता का मुद्दा नहीं उठाया गया है, और इस पर रिलायंस द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी।

भाग डी क्या विदेशी पुरस्कार के साथ टकराव है

भारत की सार्वजनिक नीति?

((i)

इस मुद्दे का निर्धारण धारा 48 में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

1996 के अधिनियम का, जो इस प्रकार है:

" 48. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें। - (1)

अनुरोध पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। उस पार्टी का जिसके खिलाफ इसे लागू किया जाता है, केवल तभी जब वह पार्टी

अदालत को सबूत देता है कि

(क) धारा 44 में निर्दिष्ट समझौते के पक्षकार थे -

उन पर लागू कानून के तहत, कुछ अक्षमता के तहत, या

उक्त समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके लिए

4) 7 एससीसी 603।

पक्षकारों ने उस देश के कानून के तहत, जहां पुरस्कार दिया गया था, इसके अधीन किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहे हैं; या

(ख) जिस पक्षकार के विरुद्ध अधिनिर्णय का अनुरोध किया गया है, उसे मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी।

मध्यस्थता कार्यवाही या अन्यथा अपने पेश करने में असमर्थ था

मामला; या (सी) पुरस्कार एक अंतर से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है यामध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतिकरण:

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाना लागू किया जा सकता है; या

(घ) मध्यस्थता प्राधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी, या, इस तरह के समझौते में विफल रहने पर, इसके अनुसार नहीं थी।

उस देश के कानून के साथ जहां मध्यस्थता हुई थी;

या (ई) पुरस्कार अभी तक पक्षों पर बाध्यकारी नहीं हो गया है, या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग या निलंबित कर दिया गया है

वह देश जिसमें, या जिसके कानून के तहत, वह पुरस्कार

बनाया गया था।(2) मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से भी इनकार किया जा सकता है यदि न्यायालय को पता चलता है कि

(क) मतभेद का विषय-भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है; या

(ख) पुरस्कार का प्रवर्तन भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

" स्पष्टीकरण। — खंड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

(ख) इस धारा की, किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है यदि पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था।(3) .....

(जोर दिया गया)

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

के तहत प्रवर्तन से इनकार करने के लिए सार्वजनिक नीति रक्षा

1996 के अधिनियम की धारा 48 की व्याख्या तीन द्वारा की गई थी

श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोजेटो ग्रानो एसपीए 48 में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानून में व्याख्या की गई हैरेनुसागर निर्णय, 1996 के अधिनियम के तहत भी धारा 48 (2) (बी) के दायरे और दायरे पर लागू होगा।

फैसले का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

" 27. हमारे विचार में, विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) के संदर्भ में रेनुसागर में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, वह इसके दायरे में समान रूप से लागू होना चाहिए और

1996 के अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) का दायरा। रेनुसागर में

यह स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है कि अभिव्यक्ति

" विदेश मंत्रालय की धारा 7 (1) (बी) (ii) में सार्वजनिक नीति

पुरस्कार अधिनियम भारत की सार्वजनिक नीति को संदर्भित करता है। द.

धारा 7 (1) (बी) (ii) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" का अर्थ "भारत की सार्वजनिक नीति" माना गया था। शासित विषय के बीच सार्वजनिक नीति के नियम में अंतर

घरेलू कानून और संघर्ष से जुड़े मामले द्वारा

रेनुसागर में कानून देखे गए हैं। इन सब के लिए कोई कारण नहीं है कि क्यों रेनुसागर 3 को लागू नहीं किया जाना चाहिए

धारा 48 (2) (बी) के तहत जांच के दायरे के संबंध में। रेनुसागर के बाद, हम सोचते हैं कि धारा 48 (2) (बी) के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति को संकीर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए और

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को अस्वीकार कर दिया जाएगा

इस आधार पर कि यह भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है यदि यह

में गणना की गई तीन श्रेणियों में से एक द्वारा कवर किया गया है

रेनुसागर। हालांकि एक ही अभिव्यक्ति सार्वजनिक नीति भारत की 'धारा 34 (2 (बी) (ii) और धारा 48 (2) (बी) दोनों में उपयोग की जाती है और' भारत में सार्वजनिक नीति 'की अवधारणा दोनों धाराओं में प्रकृति में समान है, लेकिन हमारे विचार में,

आवेदन इन दोनों के रूप में डिग्री में भिन्न होता है

अनुभाग संबंधित हैं। जनता का अनुप्रयोग

धारा के प्रयोजनों के लिए भारत की नीति का सिद्धांत

48 (2) (ख) उसी के अनुप्रयोग से अधिक सीमित है

घरेलू मध्यस्थता पुरस्कार के संबंध में अभिव्यक्ति।

XXX

सी 433।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

29. हम तदनुसार मानते हैं कि विदेशी प्रवर्तन पुरस्कार को केवल धारा 48 (2) (बी) के तहत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यदि ऐसा प्रवर्तन (1) के विपरीत होगा

भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (2) भारत के हित; या (3) न्याय या नैतिकता। सबसे व्यापक

"की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति को दिया गया अर्थ

भारत "सॉ पाइप्स [ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड. v. में धारा 34 (2) (बी) (ii) में आता है। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी

705] जहाँ आपत्ति उठाई जाती है वहाँ लागू नहीं होता है

धारा के तहत विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन 48 (2) (बी)।

XXX

45. इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 48 में ऐसा नहीं है

इसे 'दूसरी बार देखने' का अवसर दें।

पुरस्कार-प्रवर्तन चरण में विदेशी पुरस्कार। धारा 48 के तहत जांच का दायरा अनुमति नहीं देता है।

योग्यता के आधार पर विदेशी पुरस्कार की समीक्षा। प्रक्रियात्मक दोष (जैसे अस्वीकार्य को ध्यान में रखना)

बाध्यकारी प्रकृति का हो सकता है) विदेशी पाठ्यक्रम में मध्यस्थता अनिवार्य रूप से एक पुरस्कार को माफ करने के लिए प्रेरित नहीं करती है

सार्वजनिक नीति के आधार पर प्रवर्तन से।

एचएचएचएच

47. विदेशी की प्रवर्तनीयता पर विचार करते हुए

पुरस्कार, न्यायालय अपीलीय कार्य नहीं करता है

विदेशी पुरस्कार पर अधिकारिता और न ही यह पूछताछ करता है कि क्या, विदेशी पुरस्कार प्रदान करते समय,

कुछ त्रुटि हुई है। खंड के तहत

इनकार केवल तभी किया जाता है जब ऐसा प्रवर्तन पाया जाता है इसके विपरीत है: (1) भारतीय कानून की मौलिक नीति;

या (2) भारत के हित; या (3) न्याय या नैतिकता। अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ इसमें नहीं आती हैं।

इनमें से कोई भी श्रेणी और, इसलिए, विदेशीपुरस्कारों को सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं माना जा सकता है

जैसा कि धारा 48 (2) (बी) के तहत विचार किया गया है। ”

(जोर दिया गया)

भारत का एनटी बनाम। वेदांत लिमिटेड (पूर्व भारत लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

रेनुसागर पावर कंपनी बनाम जनरल इलेक्ट्रिक Co.49

रेनुसागर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "सार्वजनिक नीति"

(1) भारतीय कानून की मौलिक नीति; (2) भारत के हित; और (3) न्याय या नैतिकता। यह आयोजित किया गया थायहाँ:

" 37. हमारी राय में, इसलिए, कार्यवाही में

विदेशी के तहत एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

पुरस्कार अधिनियम, 1961 से पहले जांच का दायरा

जिस न्यायालय में पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है वह है अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित आधारों तक सीमित

और उक्त कार्यवाही में किसी पक्ष को सक्षम नहीं करता है।

योग्यता के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग लाना।

XXX

66. 1958 के न्यूयॉर्क सम्मेलन का अनुच्छेद V (2) (b) और विदेशी पुरस्कारों की धारा 7 (1) (b) (ii)

अधिनियम मान्यता से इनकार को अभिनिर्धारित नहीं करता है और

इस आधार पर विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन कियह प्रवर्तन के देश के कानून के विपरीत है

और चुनौती का आधार सीमित है

मान्यता और प्रवर्तन इसके विपरीत है

उस देश की सार्वजनिक नीति जिसमें पुरस्कार दिया जाता है

लागू करने के लिए निर्धारित। इसका संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (2) (b) और न्यूयॉर्क कन्वेंशन की धारा 7 (1) (b) (ii) में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति

विदेशी पुरस्कार अधिनियम का उपयोग उसी अर्थ में नहीं किया जाता है जिसमें इसका उपयोग 1927 के जिनेवा समझौते के अनुच्छेद 1 (सी) और प्रोटोकॉल की धारा 7 (1) में किया गया था।

और 1937 का कन्वेंशन अधिनियम। इसका मतलब यह होगा कि" धारा 7 (1) (बी) (ii) में सार्वजनिक नीति का उपयोग संकीर्ण अर्थों में किया गया है और इसका उद्देश्य इस बात पर ध्यान आकर्षित करना है कि -

सार्वजनिक नीति पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है

कानून के उल्लंघन से अधिक कुछ का आह्वान करें

भारत से। चूंकि विदेशी पुरस्कार अधिनियम का संबंध है

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन के साथ जो निजी के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं

अंतर्राष्ट्रीय कानून, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" में

एससीसी 644।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) अनिवार्य है।

आवश्यक रूप से इस अर्थ में समझा जाए कि सिद्धांतसार्वजनिक नीति निजी क्षेत्र में लागू की जाती है

अंतर्राष्ट्रीय कानून। उक्त मानदंडों को लागू करना आवश्यक है

माना जाए कि एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा कि यह इसके विपरीत है

सार्वजनिक नीति यदि ऐसा प्रवर्तन विपरीत होगा

(i) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ii)

भारत के हित; या (iii) न्याय या नैतिकता।

(जोर दिया गया)

विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता होगी

में निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्णय लिया गयारेनुसागर अर्थात क्या पुरस्कार (i) के विपरीत है।

भारतीय कानून की मौलिक नीति, या (ii) भारत के हित, या (iii) न्याय या नैतिकता।

उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह था

संशोधित धारा 48, जो वर्तमान मामले पर लागू होगी; या वैकल्पिक रूप से, कि 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन पूर्वव्यापी होंगे।

प्रभाव पड़ता है।

अब हम संक्षेप में किए गए संशोधनों पर चर्चा करेंगे।

धारा 48 तक, और इस मुद्दे पर विचार करें कि क्या संशोधन पूर्वव्यापी अनुप्रयोग हैं, और वर्तमान मामले में लागू होते हैं।

धारा 48 को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित किया गया था।

डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015 को लागू करें। ये संशोधन थे -

विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट के आधार पर निगमित। धारा 48 में संशोधनों के संबंध में 246 वीं रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:

" घरेलू पुरस्कारों का निर्धारण और विदेशी पुरस्कारों की मान्यता/प्रवर्तन

34. एक बार मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद, एक पीड़ित पक्ष इस तरह के पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकता है। अनुभाग

34 अधिनियम का अनुच्छेद भारत के घरेलू पुरस्कार को अलग रखने से संबंधित है।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

और एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के परिणामस्वरूप एक घरेलू पुरस्कार जबकि धारा 48 विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तों से संबंधित है। जैसा कि वर्तमान में अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है, अलग करने के लिए आधार (धारा 34 के तहत) और इनकार करने के लिए शर्तें

प्रवर्तन (धारा 48) समान रूप से लागू होता है। अधिनियम, जैसा कि वर्तमान में इसका मसौदा तैयार किया गया है, इसलिए सभी तीन प्रकार के पुरस्कारों को माना जाता है-विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार (यानी घरेलू पुरस्कार जो किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक पुरस्कार के परिणामस्वरूप नहीं होता है)।

मध्यस्थता), एक अंतरराष्ट्रीय में घरेलू पुरस्कार

वाणिज्यिक मध्यस्थता और एक विदेशी पुरस्कार के रूप में

एक ही। आयोग का मानना है कि इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की वैधता उन मामलों की तुलना में कहीं अधिक है जहां एक अदालत एक विदेशी पुरस्कार या एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक घरेलू पुरस्कार की शुद्धता की जांच कर रही है।

XXX

37. इस संदर्भ में आयोग ने आगे कहा है कि

"सार्वजनिक" के दायरे के प्रतिबंध की सिफारिश की गई

दोनों धाराओं 34 और 48 में नीति। यह परिभाषा रेनुसागर पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड बनाम में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित परिभाषा के अनुरूप लाने के लिए है।

जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 860 जहाँ

उच्चतम न्यायालय ने विदेश पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 की धारा 7 (1) (बी) (ii) में "सार्वजनिक नीति" शब्द का अर्थ लगाते हुए कहा कि एक पुरस्कार सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा यदि ऐसा है। प्रवर्तन "(i) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ii) भारत के हितों; या (iii) न्याय या नैतिकता" के विपरीत होगा। आयोग द्वारा प्रस्तावित सूत्रीकरण और भी कड़ा है और इसमें "भारत के हितों" का संदर्भ शामिल नहीं है, जो अस्पष्ट है और व्याख्यात्मक दुरुपयोग करने में सक्षम है, विशेष रूप से

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (धारा 34 के तहत) या विदेशी पुरस्कारों (धारा 48 के तहत) से उत्पन्न होने वाले पुरस्कारों को चुनौती देने का संदर्भ। आयोग के गठन के तहत, एक पुरस्कार सार्वजनिक [2020] 12 एस. सी. आर. पर अलग रखा जा सकता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

नीतिगत आधार केवल तभी होता है जब यह "मौलिक" का विरोध करता है।

भारतीय कानून की नीति "या यह" सबसे बुनियादी "के साथ संघर्ष में है

नैतिकता या न्याय की धारणाएँ।

(जोर दिया गया)

ओ. एन. जी. सी. बनाम में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद

पश्चिमी गेको50, जिसने न्यायिक शक्ति का विस्तार किया था

समीक्षा, विधि आयोग ने एक पूरक प्रस्तुत किया

"सार्वजनिक नीति" पर रिपोर्ट करें। यह सिफारिश की गई थी कि ए

यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण को शामिल करने की आवश्यकता है कि

वाक्यांश "भारतीय कानून की मौलिक नीति" संक्षिप्त रूप से है

समझा जाता है। यह सिफारिश की गई थी कि एक नया स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण 2 को धारा 34 (2) (बी) (ii) में अंत:स्थापित किया जाए। :

" संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या वहाँ है

यह भारतीय मूल नीति का उल्लंघन है।

कानून में विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 48 को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित किया गया था। इसके द्वारा

संशोधन, सार्वजनिक नीति आधार को एक संकीर्ण आधार दिया गया था

और कानून द्वारा विशिष्ट निर्माण, दो के सम्मिलन द्वारा

व्याख्याएँ। संशोधित धारा 48 इस प्रकार है:

" 48. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें। –

(2) मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से भी इनकार किया जा सकता है। यदि न्यायालय को पता चलता है कि

(a) विषय-अंतर का विषय सक्षम नहीं है

भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान का; या

(ख) पुरस्कार का प्रवर्तन इसके विपरीत होगा -

भारत की सार्वजनिक नीति।

स्पष्टीकरण 1. किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह है स्पष्ट किया कि एक पुरस्कार जनता के साथ टकराव में है

भारत की नीति, केवल तभी जब -

((i) पुरस्कार देने के लिए प्रेरित या प्रभावित किया गया था -

धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या धारा 75 का उल्लंघन था

या धारा 81; या

ईसी 263।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

स्पष्टीकरण 2. संदेह से बचने के लिए, परीक्षणकि क्या इसके साथ कोई उल्लंघन है

भारतीय कानून की मौलिक नीति में शामिल नहीं होगा -

विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा।

(3) .....

(जोर दिया गया)

प्रमुख अंशों में किए गए संशोधनों को दिखाया गया है -

2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 48। हम पाते हैं कि ये

महत्वपूर्ण संशोधन हैं, जिन्हें शामिल किया गया है

यह ध्यान देने योग्य है कि 2016 का संशोधन हटा दिया गया है। खंड "भारत के हित", जिसके द्वारा व्याख्या की गई थी

रेनुसागर का निर्णय।

नव अंत:स्थापित स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि -

इस बात की जाँच कि क्या पुरस्कार का प्रवर्तन में है

भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ टकराव नहीं होगा

विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता है।

धारा 48 में दो स्पष्टीकरण इन शब्दों से शुरू होते हैं।

" किसी भी संदेह से बचने के लिए "। लेकिन यह नहीं हो सकता है

स्पष्टीकरणात्मक और पूर्वव्यापी माना जाता है, क्योंकि

प्रतिस्थापित स्पष्टीकरण 1 ने नए उपखंड प्रस्तुत किए हैं,

जो एक भौतिक और मूल परिवर्तन लाए हैं

खंड में। नया स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया है जो

विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा। चूंकि संशोधनपहली बार विशिष्ट मानदंड पेश किए हैं, यह होना चाहिए

उपयोग की परवाह किए बिना संभावित माना जाए

वाक्यांश "संदेह को दूर करने के लिए"। रिलायंस को रखा गया है

सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल में इस न्यायालय के फैसले पर

ड्रिल बनाम आयकर आयुक्त, देहरादून 3 1

सीसी 717।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक स्पष्टीकरण यदि यह बदलता है

कानून, इसे पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उपयोग किए गए वाक्यांश "यह घोषित किया गया है" या "संदेह को दूर करने के लिए" हैं। सांगयोंग इंजीनियरिंग में &

कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम एनएचएआई, 52 यह न्यायालय था

धारा 34 में किए गए संशोधनों पर विचार करते हुए, जिसमें धारा 34 के दो स्पष्टीकरण जोड़े गए थे, जो धारा 48 के दो स्पष्टीकरणों के साथ समान रूप से लिखे गए हैं। उस मामले में, पूर्वव्यापीता के एक समान

आधार का आग्रह किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि स्पष्टीकरण पहली बार प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए यह इसका सार है

संशोधन जिसे प्रपत्र के बजाय देखा जाना चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां "संदेह से बचने के लिए", संशोधन के माध्यम से कुछ स्पष्ट किया जाता है, ऐसा स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है, यदि पहले का कानून किया गया है

काफी हद तक बदल गया।2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान किया गया है कि:

लंबित मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम।

इस अधिनियम में निहित कुछ भी मध्यस्थ पर लागू नहीं होगा।

कार्यवाही शुरू की गई, जिसके अनुसारइस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान, जब तक कि पक्ष अन्यथा न हों।

सहमत हैं लेकिन यह अधिनियम मध्यस्थता के संबंध में लागू होगा।

तारीख को या उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही

इस अधिनियम का प्रारंभ "। संशोधन अधिनियम की धारा 26 पर विचार किया गया

इस न्यायालय के समक्ष बी. सी. सी. आई. बनाम. कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट Ltd.53

(क) आई. डी. 1 पर या उसके बाद शुरू की गई "मध्यस्थता कार्यवाही" अर्थात जिस तारीख को 2015 का संशोधन अधिनियम लागू हुआ; (ख) 23.10.2015 को या उसके बाद अदालती कार्यवाही शुरू हुई,

इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ऐसी अदालती कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होती है, या उससे संबंधित होती है जो

सीसी 131।

287 .

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

प्रारम्भ होने से पहले या बाद में संशोधन अधिनियम।

2019 का संशोधन अधिनियम (1996 के मध्यस्थता अधिनियम में)धारा 87 को स्पष्टीकरणात्मक संशोधन के रूप में अंत:स्थापित किया गया, ताकि

कि मध्यस्थता कार्यवाही और अदालती कार्यवाही "उत्पन्न होती है

ऐसी कार्यवाहियों का या उनके संबंध में

2016 की प्रयोज्यता के लिए कार्यवाही का एकल सेट

संशोधन अधिनियम। धारा 87 को पूर्वव्यापी के साथ जोड़ा गया था।

23.10.2015 से प्रभाव अर्थात लागू होने की तारीख

2016 का संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 15

संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किया कि 2015 की धारा 26

संशोधन अधिनियम को हटा दिया गया।

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ

& ओआरएस। , 54 उच्चतम न्यायालय ने धारा 87 को निरस्त कर दिया

2019 संशोधन अधिनियम, और धारा 26 को बहाल किया गया

2016 कानून की पुस्तक में संशोधन अधिनियम। में आयोजित किया गया था

पैरा 54 में कहा गया है:

" 54. परिणाम यह है कि बी. सी. सी. आई. का फैसला, इसलिए,आवेदन करना जारी रखें ताकि इसे लागू किया जा सके

2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा सभी के लिए किए गए संशोधन

23.10.2015 के बाद अदालती कार्यवाही शुरू की गई। '

(जोर दिया गया)

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि

संशोधित धारा 48 वर्तमान में लागू नहीं होगी।

मामला, चूंकि प्रवर्तन के लिए अदालती कार्यवाही थी

उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया-दावेदार 14.10.2014 पर अर्थात पूर्व

2016 का संशोधन लागू होने पर

23.10.2015 .

अब हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि क्या पुरस्कार में

वर्तमान मामला भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

और न्याय की बुनियादी धारणाओं के विपरीत, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है

अपीलार्थियों की ओर से।

वर्तमान मामले में असंशोधित धारा 48 को लागू करते हुए,

इस न्यायालय ने रेनुसागर के फैसले में निर्भरता रखी थी

5 एलआर 171 (एससी)।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी इंक. बनाम में दूसरे सर्किट के लिए यू. एस. कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति पर कानून के उच्चारण पर। सोसायटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डू पापियर (आर. ए. के. टी. ए.), 55 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

" 7. कन्वेंशन का अनुच्छेद V (2) (b) अदालत को अनुमति देता है

जिसमें एक विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार का प्रवर्तन है

प्रतिवादी के प्रस्ताव या स्वत: संज्ञान पर प्रवर्तन से इनकार करने की मांग की गई, यदि 'पुरस्कार का प्रवर्तन होगा

(मंच) देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत। प्रावधान का विधायी इतिहास कोई निश्चित जानकारी नहीं देता है।

इसके निर्माण के लिए दिशानिर्देश। में इसके अग्रदूत

जिनेवा कन्वेंशन और 1958 कन्वेंशन के तदर्थ समिति के मसौदे ने सार्वजनिक नीति अपवाद को बढ़ा दिया।

क्रमश: कानून के सिद्धांतों के विपरीत पुरस्कार और 'मौलिक सिद्धांतों' का उल्लंघन करने वाले पुरस्कार

कानून का '। एक टिप्पणीकार के विचार में, समान भाषा को शामिल करने में कन्वेंशन की विफलता एक संकीर्णता का संकेत देती है

रक्षा का [कॉन्टिनी, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

मध्यस्थता: पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

विदेशी मध्यस्थ की मान्यता और प्रवर्तन

अवार्ड्स, एम जे कॉम्प एल पी। 304] . दूसरी ओर, क्षेत्र में एक और प्रसिद्ध प्राधिकरण ने कब्जा कर लिया हैयह चूक रक्षा को व्यापक बनाने के इरादे के संकेत के रूप में [क्विगली, विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रवेश, 70 येल एल. जे.

1049 , 1070-71 (1961)] .

8. हालाँकि, कन्वेंशन के इतिहास से शायद अधिक संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।पूरा। सूचना देने वाला सामान्य प्रवर्तन समर्थक पूर्वाग्रह

कन्वेंशन और इसके अधिक्रमण की व्याख्या

जिनेवा कन्वेंशन सार्वजनिक नीति रक्षा के संकीर्ण अध्ययन की ओर इशारा करता है। एक विस्तृत निर्माण

इस बचाव से कन्वेंशन के मूल को दूषित कर देगा प्रवर्तन में पहले से मौजूद बाधाओं को दूर करने का प्रयास। [स्ट्रॉस, के बीच विवादों का मध्यस्थता देखें।

59 (2 एन. डी. सर् 1974)।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए नई रणनीतियाँ

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

114-15 (1971) ; अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों का डाइजेस्ट

व्यापार विवाद सम्मेलन, 14 अप्रैल, 1971,191 बजे

(प्रोफेसर डब्ल्यू. रीज़ की टिप्पणी)]। इसके अलावा,

पारस्परिकता पर विचार-दिए गए विचार

कन्वेंशन में ही मान्यता व्यक्त करें-सलाहकारअदालतें सावधानी के साथ सार्वजनिक नीति बचाव का आह्वान करें

ऐसा न हो कि विदेशी अदालतें अक्सर इसे बचाव के रूप में स्वीकार करें

संयुक्त राज्य में प्रदान किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रवर्तन

राज्यों।

9. इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कन्वेंशन सार्वजनिक है

नीति रक्षा को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है

इस आधार पर केवल जहां प्रवर्तन का उल्लंघन होगा

नैतिकता और न्याय के बारे में राज्य की सबसे बुनियादी धारणाएँ।

XXX

सार्वजनिक नीति रक्षा को एक संकीर्ण के रूप में पढ़ने के लिए

राष्ट्रीय राजनीतिक हितों की रक्षा करने वाला उपकरण

कन्वेंशन की उपयोगिता को गंभीर रूप से कमजोर करता है। यह

प्रावधान की अनिश्चितताओं को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है

सार्वजनिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति।

बल्कि, एक सीमित सार्वजनिक नीति सिद्धांत था

कन्वेंशन के निर्माताओं और प्रत्येक द्वारा विचार किया गया

संकेत यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, को स्वीकार करने में

कन्वेंशन, जिसका उद्देश्य इस सुपरनैशनल की सदस्यता लेना है

जोर देते हैं। सी. एफ. शेर्क वी. अल्बर्टो-कल्वर कंपनी, 417 यू. एस. 506 , 94 एस. सी. 2449। 41L.Ed। 2d 270,42 U.S.L.W., 4911,

4915-16 एन. 15 (1974) ”

(जोर दिया गया)

पार्सन्स में निर्णय का विभिन्न अन्य मामलों में पालन किया गया है। एस. 56 इन इंटरनेशनल नेविगेशन लिमिटेड बनाम वाटरसाइड ओशन

' बी होल्डिंग्स लिमिटेड और द बेलीज बैंक लिमिटेड बनाम अटॉर्नी जनरल

बीन कोर्ट ऑफ जस्टिस, अपीलीय क्षेत्राधिकार, 26 जुलाई 2013, [2013] सीसीजे

यूरोप एस. ए. बनाम बालाजी कोक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, फेडरल कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, 23

[2012] एफ. सी. ए. 276; युगांडा टेलीकॉम लिमिटेड बनाम। हाय-टेक टेलीकॉम पीटीवाई लिमिटेड, 'ऑस्ट्रेलिया, 22 फरवरी 2011, [2011] एफसीए 131; पेट्रोटेस्टिंग कोलंबिया यूएसटी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बनाम। रॉस एनर्जी एस. ए., सर्वोच्च न्यायालय, [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नेविगेशन कं. इंक., 57 द कोर्ट ऑफ अपील्स, सेकंड सर्किट, यू. एस. ए. ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक नीति रक्षा की व्याख्या न्यूयॉर्क कन्वेंशन के प्रमुख उद्देश्य के आलोक में की जानी चाहिए। न्यायालय ने पार्सन्स (ऊपर) में निर्णय लागू किया, और कहा कि सार्वजनिक नीति बचाव केवल वहीं लागू होना चाहिए जहां पुरस्कार के प्रवर्तन का उल्लंघन होगा

फोरम स्टेट की नैतिकता और न्याय की बुनियादी धारणाएँ। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, और न्यूयॉर्क समझौते के तहत सार्वजनिक नीति की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए। दक्षिणी जिले में इस स्थिति का पालन किया गया था।

टेलीनॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस बनाम स्टॉर्म LLC.58 में न्यूयार्क की राय थी कि सार्वजनिक नीति के आधार पर प्रवर्तन से इनकार करने के लिए, निर्णय को सीधे विदेशी कानून का इस तरह से खंडन करना होगा, ताकि एक के अनुपालन को दूसरे का उल्लंघन बनाया जा सके।

(xvi)

अल्बर्ट वैन डेन बर्ग ने "द न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन, 1958" पर अपनी टिप्पणी में कहा: एक वर्दी की ओर न्यायिक व्याख्या "59 का मानना है कि अधिकार क्षेत्र का दायरा

प्रवर्तन न्यायालय का है:

" यह एक आम तौर पर स्वीकृत व्याख्या है

कन्वेंशन कि जिस न्यायालय के समक्ष विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन की मांग की गई है, वह पुरस्कार के गुण-दोष की समीक्षा नहीं कर सकता है। मुख्य कारण यह है कि प्रवर्तन से इनकार करने के लिए आधारों की विस्तृत सूची

अनुच्छेद V में वास्तव में या कानून में मध्यस्थ द्वारा की गई गलती शामिल नहीं है। इसके अलावा, कन्वेंशन के तहत प्रवर्तन न्यायाधीश का कार्य सीमित है। उसके द्वारा प्रयोग किया गया नियंत्रण यह सत्यापित करने तक सीमित है कि क्या अनुच्छेद 5 (1) से इनकार करने के आधारों के आधार पर प्रत्यर्थी की आपत्ति उचित है और क्या

पुरस्कार के प्रवर्तन से उसके देश की कानून की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन होगा। इस सीमा को देखा जाना चाहिए

57 737 एफ. 2 डी 150 (दूसरा परिपथ, 1984)। 58 524 F.Supp। 2 डी 332 (एस. डी. एन. वाई. 2007)। 59 1958 का न्यूयॉर्क कन्वेंशन, क्लूवर, 1981, पीपी। 267-268 , रेडफर्न एंड हंटर, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, पांचवें संस्करण में उद्धृत। , 2009 , पी। 639 , पैरा 11.60।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आईआरएन इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक के सिद्धांत का प्रकाश

मध्यस्थता कि एक राष्ट्रीय न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

मध्यस्थता के सार के साथ '।

(जोर दिया गया)

5 की सिफारिशों को संदर्भित करना उपयोगी होगा

70 वें सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ

आई. एल. ए. 2-6 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसे आई. एल. ए. के नाम से जाना जाता है।

" सार्वजनिक नीति पर आई. एल. ए. की अनुशंसाएँ, 2002 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने वाला माना जाता है।

की सामान्य सिफारिशों का खंड 1 (ए)

आई. एल. ए. प्रदान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों की अंतिमता

वाणिज्यिक मध्यस्थता का सम्मान किया जाना चाहिए

असाधारण परिस्थितियाँ, और ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ

परिस्थितियाँ पाई जाती हैं यदि मान्यता या प्रवर्तन

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार इसके विपरीत होगाअंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति।

अनुशंसाओं के खंड 1 (घ) में कहा गया है कि -

अभिव्यक्ति "अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति" का उपयोग निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है।

सिद्धांतों और नियमों का निकाय, जो हैं: ((i) मौलिक

न्याय या नैतिकता से संबंधित सिद्धांत, कि राज्य

रक्षा करना चाहता है, तब भी जब यह सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, (ii)

आवश्यक राजनीतिक, सामाजिक या सेवा के लिए बनाए गए नियम

राज्य के आर्थिक हित, जिन्हें "लोइस" के रूप में जाना जाता है

केवल एक अनिवार्य नियम का उल्लंघन (यानी एक नियम जो हैअनिवार्य है, लेकिन राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा नहीं है।

सार्वजनिक नीति), इसकी मान्यता और प्रवर्तन को बाधित नहीं करना चाहिए,

यहां तक कि जब कहा गया नियम मंच के कानून का हिस्सा है,

अनुबंध को नियंत्रित करने वाला कानून, स्थान का कानून अनुबंध का प्रदर्शन, या सीट का कानून

मध्यस्थता।

:) वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद

(आई. सी. सी. ए.) 1958 न्यूयॉर्क की व्याख्या के लिए गाइड

सम्मेलन: ए हैंडबुक फॉर जजेज (2011) में कहा गया है कि

विदेशी पुरस्कार से इनकार करने के आधार पर विचार करते हुए, [2020] 12 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए (i) गुण-दोष पर कोई समीक्षा नहीं; (ii) निम्नलिखित आधारों की संकीर्ण व्याख्या:

इनकार; और (iii) सीमित विवेकाधीन शक्ति।

मध्यस्थता पुरस्कार के गुण समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं।

प्रवर्तन न्यायालय द्वारा, जो सीट न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तदनुसार, निर्णय की त्रुटियाँ, किसी विदेशी कानून को लागू करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं में पुरस्कारों की अंतिमता के संबंध में कानून में अच्छी तरह से स्थापित स्थिति को देखते हुए,

और जनता के आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ

प्रवर्तन राज्य की नीति, हम वर्तमान मामले के तथ्यों का विज्ञापन करेंगे। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्याय की बुनियादी धारणाओं के विपरीत है। हम निम्नलिखित के लिए इस प्रस्तुति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

कारण:

(अ)

मध्यस्थता कार्यवाही। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता अखंडता के लिए एक मौलिक आधार है।मध्यस्थता प्रक्रिया। पक्षों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार एक गैर-अपमानजनक और अनिवार्य प्रावधान है।

जो वैकल्पिक विवाद की पूरी इमारत है समाधान तंत्र आधारित है। वर्तमान मामले में,

इस तरह के किसी उल्लंघन का आरोप नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अपीलकर्ताओं ने यह नहीं बताया है कि

(ख)

कैसे पुरस्कार न्याय की बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है, या मूल सार्वजनिक नीति का उल्लंघन है

भारत से। पार्सन्स (ऊपर) के मौलिक निर्णय में, जिसका विभिन्न क्षेत्राधिकारों में पालन किया गया है, जिसमें शामिल हैं -

रेनुसागर मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, यहयह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रवर्तन को केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब यह प्रवर्तन राज्य की नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन करता है, जिसकी व्याख्या भारत की उत्पत्ति के रूप में की गई है।

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में कैर्न इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

कि प्रवर्तन से इनकार करने में बहुत हिचकिचाहट होनी चाहिए, जब तक कि इसे "भ्रष्टाचार" के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है। या धोखाधड़ी, या अनुचित साधन "।

पी. टी. असुरान्सी जासा इंडोनेशिया (पर्सेरो) बनाम डेक्सिया बैंक एस. ए., 60 में सिंगापुर अपील न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति की व्याख्या करते हुए कहा कि:

" 59 हालांकि राज्य की सार्वजनिक नीति की अवधारणा नहीं है

अधिनियम या आदर्श कानून में परिभाषित, न्यायिक और विशेषज्ञ राय की सामान्य सहमति यह है कि अधिनियम के तहत सार्वजनिक नीति एक संकीर्ण दायरे को शामिल करती है। हमारी राय में, यह केवल होना चाहिए

ऐसे उदाहरणों में कार्य करें जहां एक मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रखने से "विवेक को झटका लगेगा" (देखें डाउनर कनेक्ट ([58] ऊपर) [136] पर), या "स्पष्ट रूप से सार्वजनिक भलाई के लिए हानिकारक है या. सामान्य के लिए पूरी तरह से आपत्तिजनक है जो उचित और पूरी तरह से उचित है।

जनता के जानकार सदस्य "(देखें डॉयचे शचबाउ बनाम शेल इंटरनेशनल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड [1987] 2 लॉयड्स रेप

246 254 पर, सर जॉन डोनाल्डसन एम. आर. के अनुसार), या जहां यह नैतिकता और न्याय की मंच की सबसे बुनियादी धारणा का उल्लंघन करता है: पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी इंक बनाम सोसाइटी जेनरेल देखें।

डी ल 'इंडस्ट्री डू पापियर (आर. ए. के. टी. ए.) 508 एफ 2 डी, 969 (दूसरा सिर, 1974) 974 पर। यह सार्वजनिक नीति की अवधारणा के अनुरूप होगा जिसे प्रारंभिक सामग्री से लेकर मॉडल कानून तक निर्धारित किया जा सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है

आयोग की रिपोर्ट (ए/40/17), पैरा 297 पर (ए गाइड टू द UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल में संदर्भित) वाणिज्यिक मध्यस्थता: विधायी इतिहास और टिप्पणी

914 में हावर्ड एम होल्ट्ज़मैन और जोसेफ ई न्यूहॉस (क्लूवर, 1989) द्वारा:

'सार्वजनिक नीति' शब्द की चर्चा करते हुए यह समझा गया था

कि यह किसी राज्य के राजनीतिक रुख या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बराबर नहीं था, बल्कि इसमें न्याय की मौलिक धारणाएं और सिद्धांत शामिल थे। यह समझा गया कि 'सार्वजनिक नीति' शब्द, जिसका उपयोग 1958 के न्यूयॉर्क सम्मेलन और कई अन्य संधियों में किया गया था, में कानून और न्याय के मौलिक सिद्धांतों के साथ-साथ प्रक्रियात्मक मामलों को भी शामिल किया गया था।

इस प्रकार, भ्रष्टाचार, रिश्वत या धोखाधड़ी जैसे मामले और

■6] एसजीसीए 41.

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्टगंभीर मामले स्थापित करने के लिए एक आधार का गठन करेंगे

(जोर दिया गया)

हाल ही में सिंगापुर उच्च न्यायालय ने फैसले की पुष्टि की है।

ओंगवू मान + हम्मेल कंपनी लिमिटेड बनाम मान + हम्मेल

अपीलार्थियों की चुनौती की गंभीरता है -

पी. एस. सी. की शर्तें रव विकास के साथ पढ़ी जाती हैं।योजना, जो अनुबंध को फिर से लिखने के बराबर होगी।

न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुच्छेद 15.5 (सी) की व्याख्या पर आधारित है जिसे अपवादों के साथ पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) में निहित। न्यायाधिकरण ने कहा कि

अपवाद की सीमा के कारण खेल में आयाभौतिक जलाशय विशेषताओं का भौतिक रूप से अलग होना, जो रव विकास में सोचा गया था

योजना बनाएँ।

न्यायाधिकरण ने विशेषज्ञ के साक्षय पर भरोसा किया

दावेदारों द्वारा प्रस्तुत गवाह जिन्होंने अपदस्थ किया कि ब्लॉक ए/डी के रूप में जाने जाने वाले विस्तारित जलाशय ने कई भौतिक विशेषताओं को दिखाया, जो पी. एस. सी. के अनुच्छेद 11.1 में परिभाषित फॉल्ट ब्लॉकों से "भौतिक रूप से अलग" थे, जिस पर रववा विकास योजना आधारित थी। चूंकि मौजूदा भंडारों की भौतिक जलाशय विशेषताओं में एक भौतिक परिवर्तन हुआ था, अनुच्छेद 15.5

(ई) (iii) (डीडी) ट्रिगर हो जाएगा, जो सक्षम करेगा

निर्धारित संख्या में वृद्धि का अनुरोध करने वाले दावेदार अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) के तहत आधार विकास लागत।

न्यायाधिकरण ने कहा कि पी. एस. सी. में 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश किया गया था और पक्षों ने इस संभावना की परिकल्पना की थी कि उत्तरदाताओं को राववा विकास योजना के दौरान अनुमानित विकास लागत से अधिक खर्च करना पड़ सकता है।

और पी. एस. सी. को निष्पादित किया गया। अनुच्छेद 15.5 (घ) और (ङ) ऐसी घटनाएँ थीं जिनमें अनुच्छेद 15.5 (ग) के तहत अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकती थी।

प्रबंधन समिति द्वारा बढ़ाया जाए।

आईसी 67।

भारत का प्रस्ताव v. वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आर. एन. इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

न्यायाधिकरण ने माना कि आधार विकास पर सीमा

35, 000 बी. ओ. पी. डी. के उत्पादन प्रोफाइल को प्राप्त करने के लिए योजना के उद्देश्य के संदर्भ में अनुच्छेद 15.5 (सी) के तहत लागत को पढ़ा जाना था। लगभग 31 मार्च 1999 तक 14 कुओं की खुदाई पर 35,000 बी. ओ. पी. डी. का उत्पादन प्रोफाइल हासिल किया गया था। अनुच्छेद 15.5 (सी) (xi) के तहत 21 कुओं के संदर्भ की व्याख्या 1993 में पक्षों द्वारा विचार किए गए कुओं की संख्या के अनुमान के रूप में की गई थी, जो

35, 000 बी. ओ. पी. डी. के उत्पादन प्रोफाइल को प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसे दावेदारों द्वारा 21 कुओं को खोदने का उपक्रम नहीं माना जा सकता था, भले ही 35,000 बी. ओ. पी. डी. का लक्षित उत्पादन प्रोफाइल किया गया था।

14 कुओं की खुदाई से यह उपलब्धि हासिल की गई।

शेष 7 कुओं को बाद में खोदा गया, रवा विकास योजना के उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि

मौजूदा भंडारों की बदली हुई भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखें। अनुच्छेद 15.5 (ई) (iii) (डी. डी.) के अंतर्गत आने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं द्वारा 27.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत वहन की गई थी। 1998-1999 में जब रवा फील्ड में भंडार की पूरी सीमा का पता चला, तो प्रबंधन समिति ने 25 मार्च 1998 को उत्पादन प्रोफ़ाइल को 35,000 बीओपीडी से बढ़ाकर 50,000 बीओपीडी करने की मंजूरी दी। उत्तरदाताओं ने 50,000 बी. ओ. पी. डी. की उत्पादन दर को सक्षम करने के लिए रवा क्षेत्र को विकसित करने के लिए आगे बढ़े और 7 कुओं को खोदा। उत्तरदाताओं ने 7 कुओं की खुदाई के लिए $<ID1 मिलियन की लागत वहन की।

अपीलकर्ताओं ने यहां एक जवाबी दावा दायर किया, जिसमें उत्तरदाताओं के पास जो राशि थी, उसके बराबर राशि की मांग की गई।

पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) की व्याख्या और उन परिस्थितियों पर जिनमें पी. एस. सी. और रववाविकास योजना को निष्पादित किया गया, न्यायाधिकरण ने कहा कि

उत्तरदाता 27.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत के हकदार थे, जो 198 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। न्यायाधिकरण द्वारा 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के अपीलार्थियों के जवाबी दावे की अनुमति दी गई थी।

[2020] 12 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पी. एस. सी. के अनुच्छेद 15.5 (सी) और इसके अन्य उपखंडों के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा की गई व्याख्या से अपीलार्थी व्यथित हैं। की व्याख्या

पी. एस. सी. की शर्तें न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अपीलार्थियों के लिए योग्यता के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग चलाने की अनुमति नहीं हैप्रवर्तन अदालत के समक्ष। प्रवर्तन अदालत

अनुबंध की शर्तों की एक अलग व्याख्या करके प्रवर्तन। हम महसूस करते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा ली गई व्याख्या एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, और इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है

पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करने के लिए बनाए रखा जाए।अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुति के संबंध में कि उत्पादन साझाकरण अनुबंध हैं

" प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण से संबंधित विशेष अनुबंध, जो भारत की सार्वजनिक नीति से संबंधित हैं, का विचार है कि दावेदारों द्वारा उठाए गए विवाद पी. एस. सी. के तहत पक्षों के अधिकारों और दायित्वों से उत्पन्न होते हैं। यह पुरस्कार भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत नहीं है, या न्याय की धारणाओं के साथ टकराव में नहीं है, जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है। पी. एस. सी. का कार्यकाल 28.10.1994 से 25 साल की अवधि के लिए था, जो इस पर समाप्त हुआ।

27.10.2019 . हमें सूचित किया गया है कि पी. एस. सी. का कार्यकाल 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।वर्षों से, पक्षों के बीच आपसी समझौते के माध्यम से।

यह स्वयं दर्शाता है कि का प्रदर्शन

पी. एस. सी. के तहत दायित्व हितों के विपरीत नहीं थे।

भारत से।

हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता है, या यह न्याय की बुनियादी धारणाओं के विपरीत है।

हम आई. ए. सं. 3558/2015 में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित आई. डी. 1 के फैसले की पुष्टि करते हैं।

1996 के अधिनियम की धारा 48 और भारत के मंत्रालय के तहत दायर आवेदन v.

वेदांत लिमिटेड (पूर्व में आईआरएन इंडिया लिमिटेड) ईटीसी। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

याचिका पर पारित प्रवर्तन के आदेश की पुष्टि करें धारा 47 के प्रवर्तन के लिए 49 के साथ पढ़ा जाता है

पुरस्कार, भले ही विभिन्न कारणों से।

इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के अंतरिम आदेश दिनांक 17.06.2020 और 22.07.2020 खाली हैं। यह पुरस्कार

न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 18.01.2011 को माना जाता है

धाराओं के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तनीय

47 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 49।

इस निर्णय के साथ भाग लेने से पहले, हम एल. डी. द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना दर्ज करते हैं। न्यायमित्र

क्यूरी, श्री गौरव बनर्जी, कम समय में वरिष्ठ अधिवक्ता।

हम मूल्यवान वस्तुओं की सराहना भी करते हैं।

एल. डी. द्वारा प्रदान की गई सहायता। भारत के लिए महान्यायवादी,

श्री के. के. वेणुगोपाल और श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर

भारत के महाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, और श्री सी. ए. सुंदरम और श्री अखिल सिब्बल,

उत्तरदाताओं, और मौखिक और लिखित माध्यम से हमारी सहायता की प्रस्तुतियाँ।

तदनुसार सिविल अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

)

लागतों के बारे में।

अंत करने वाले आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

तदनुसार आदेश दिया।

याचिका खारिज कर दी गई।